तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४३

मंगलवार, १६ अप्रैल, १९६३
२६ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)   चार शिलिंग (विदेश में)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या ८७८ से ८८५, ८८७ से ८८९ और ८९१ से ८९३ . . . . . . ४३०३—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९४ से ८९८ . . ४३२५—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०४ से १९७७ . . . ४३२८—५८

सदस्य द्वारा हिरासत के लिये समर्पण . . . . ४३५९—६०

प्राक्कलन समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४३६०

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३६०—४४०६

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय . . . ४३६०—८५

श्री स० मो० बनर्जी . . . . . ४३६०—६१

डा० क० ल० राव . . . . . ४३६१—६२

श्री खाडिलकर . . . . . . ४३६२—६३

श्री नाथपाई . . . . . . ४३६३—६४

श्री हाथी . . . . . . ४३६४—६९

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह ४३७०

श्री बड़े . . . . . ४३७१—७३

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . . . . ४३७४—७५

श्री हेड़ा . . . . . . ४३७५—७६

श्री स्वैल . . . . . . ४३७६—७७

श्री बिशनचन्द्र सेठ . . . . . ४३७७—७९

श्री टि० त० कृष्णमाचारी . . . . . ४३७९—८५

संसद् कार्य विभाग . . . . . . ४३८५—९७

श्री ही० ना० मुकर्जी . . . . . ४३८५—८६

श्री कपूर सिंह ४३८६

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १६ अप्रैल, १९६३

२६ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ता उपनगरीय गाड़ियों के लिये उपकरण

+

†*८७८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कलकत्ता उपनगरीय विद्युत्-चालित गाड़ियों के लिये ब्रिटिश सार्थों से ए० सी० बिजली के इंजनों के पुर्जे और इंजन खरीदने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रयादेश (आर्डर) दे दिये गये हैं ; और

(ग) इन उपकरणों के कब संभरण किये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या किसी अन्य देश को कोई क्रयादेश दे दिया गया है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां। हमने मिले जुले यातायात के २८ विद्युत् चालित इंजनों के लिये जापान को क्रयादेश दे दिया है। ये सियालदह-राणाघाट, राणाघाट-कृष्णनगर, डमडम-वोनगाव और कालीनारायणपुर-शांतीपुर सेक्शनों पर बदलने के लिये हैं। सेवायें इस वर्ष सितम्बर से पहिले आरम्भ हो जायेंगी।

†मूल अंग्रेजी में

387 (Ai) LSD—1.

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, डी० सी० के इंजन बनाने के बाद ए० सी० के इंजन बनायेगा, यदि हां, तो क्या उससे विदेशी इंजनों की मांग समाप्त नहीं हो जायेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : बात यह है। यह उपनगरीय यातायात के लिये हैं और ये मिले जुले यातायात के लिये विशेष प्रकार के हैं। आशा है कि चित्तरंजन तीसरी योजना काल में मुख्य लाइन के लिये ए० सी० के १३८ इंजन बनायेगा। जहां तक इसका संबंध है, हमने इसके लिये क्रयादेश दे दिया है, क्योंकि यद्यपि जो भी सर्वोत्तम होगा वे बहुगुणन ई० एम० यू० होंगे, तथापि २५ के० वी० वाले ई० एम० यू० का हमें पर्याप्त अनुभव नहीं है। अतः सेवा आरम्भ करने के लिये हमने इन मिले जुले यातायात के इंजनों का क्रयादेश दिया है।

†रेलवे मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मेरे साथी द्वारा दी गई जानकारी से आगे यह और बता दूं कि प्रत्यक्ष है कि जब देश में निर्माण होने लगेगा, तो उस सीमा तक विदेशी इंजनों की मांग कम हो जायेगी ।

सफेद बाघ

+

†८७६. { श्री वेंकटासुब्बया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले इन समाचारों की ओर गया है कि रीवां के महाराजा के पास जो सफेद बाघ थे उन्हें वह जंगल में छोड़ देने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) वन्य जीवों, विशेषतः तेजी से मिटती जा रही नस्लों, के परिरक्षण की सरकार की स्वीकृत नीति के अनुसार इसे रोकने तथा इस दुष्प्राप्य नस्ल के शेरों के बचाव के लिये सरकार यदि कोई उपाय कर रही है तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर के प्राधिकारियों ने इन बाघों को खरीदने का प्रस्ताव किया है और यह सौदा करने में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा रीवां महाराज को सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार दिल्ली के चिड़ियाघर में उन सभी सफेद बाघों को लेने और उन्हें पालने को तैयार है जो उनके पास हैं और जिनका मूल्य योग्य विशेषज्ञों के परामर्श से बाद में निर्धारित किया जायेगा। मुख्य मंत्री द्वारा उन्हें यह भी बता दिया गया है कि यदि अब महाराजा बाघों को छोड़ना या मारना चाहें जैसा कि घोषित किया गया है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर है और इसका उन्हें उत्तर देना होगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : इसका ध्यान रखकर कि इन सब कार्यवाही में समय लगेगा, क्या सरकार का विचार इन बाघों को तत्काल अपने अधिकार में लेने और फिर मूल्य, आदि के बारे में वार्ता आरम्भ करने का है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमने २३ फरवरी को मुख्य मंत्री को लिखा था कि वह उन सब बाघों को हमें दिलाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करें और यदि महाराजा चाहें तो हम उन बाघों को रीवां में भी रखने को तैयार हैं—उनमें से कुछ वहां और कुछ यहां।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि कुछ विदेश भी इस दुर्लभ नसल को अपने यहां ले जाना चाहते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार को किसी विदेशी सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमें एक प्रस्ताव मिला था और उस समय हमने वह स्वीकार कर लिया था, महाराजा ने इनमें से एक सफेद बाघ अमरीकी चिड़ियाघर को बेच दिया था। हम अन्य बाघों को पालना चाहते हैं जो अब वहां हैं क्योंकि वे दुलर्भ नसल के हैं और हम उन्हें रखना चाहते हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि व्हाइट टाइगर्ज की संख्या कितनी है और उन में से नर कितने और मादा कितने ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस में क्यों ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ?

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि एक सफेद बाघ की कितनी कीमत सरकार दे रही है और महाराजा कितनी मांग रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : महाराजा साहब ने तीन लाख रुपया मांगा है। आठ बाघ हैं, दो गैर-सफेद और छः सफेद। तीन लाख उन्होंने मांगा है। मगर हम लोगों ने कहा है कि तीन एक्सपर्ट्स जो बाघों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं, वे लोग जो दाम बतायेंगे, उतना देने को हम लोग तैयार हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार इन बाघों का निर्यात बन्द करेगी वे चाहे किसी मित्र देश या किसी अन्य सरकार द्वारा खरीदे जायें ? अब तक क्या प्रयास किया गया है ताकि यह नसल, केवल सफेद ही नहीं अपितु अन्य नसलें भी, जो दुर्लभ हैं, बनी रहें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : एक भारतीय वनजीव बोर्ड है जो सदैव ही वनजीवों की सभी नसलों को बनाये रखने का प्रयास करता है और वह बाघों की अन्य नसलों पर भी लागू होता है। आजकल इन छः बाघों के बारे में, हम ने निश्चय किया है कि उन्हें उनके खरीदे जाने तक यहां रखा जाये; उन्हें बाहर नहीं भेजा जायेगा।

श्री काशीराम गुप्त : इन का मूल्य निश्चित होने से पहिले यदि भारत सरकार के कब्जे में रहते कोई टाइगर मर जाय तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

डा० राम सुभग सिंह : जिस वक्त हम लोग बाघ लेंगे उस वक्त सब की कीमत हम देंगे और अगर कोई मरेगा तो उसकी हमारी जवाबदेही होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के समक्ष अपने सफेद हाथियों का प्रजनन करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या इस के लिए उनकी कोई योजना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सफेद बाघों से यह बहुत बड़ी उछाल होगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह वनजीव बोर्ड के अन्तर्गत आती है।

श्री यशपाल सिंह : क्या अमरीका की सरकार ने इन बाघों को खरीदने की इच्छा प्रकट की है, यदि हां, तो क्या यह सही है कि उससे भारत को ज्यादा फारेन एक्सचेंज मिल सकता है, उसको ज्यादा फायदा हो सकता है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस मामले में क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब वह दे चुके हैं, आपने शायद सुना नहीं है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या चिड़िया घर सम्बन्धी इस दुर्लभ नसल के निकट भविष्य में समाप्त होने का भय है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी नहीं; कोई भय नहीं है। हम उनकी नसल बढ़ाना चाहते हैं।

ग्राम "उत्पादन योजना"

†*८८०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में प्रत्येक गांव की अपनी "उत्पादन योजना" होगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—११२९/६३]**

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि किसान को पैदावार करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, खाद, बीज इत्यादि की, इन को उसके पास पहुंचाने की जिम्मेवारी किस की है और वे कब तक पहुंचाई जा सकती हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : इसकी जिम्मेदारी कुछ तो कोआप्रेटिव इंस्टीट्यूशंज पर है और कुछ पंचायतों पर है और इन दोनों को मिला कर जिम्मेदारी पूरी वहन की जा सकती है।

श्री विभूति मिश्र : यदि किसी किसान को कोआप्रेटिव या पंचायत खेती के उत्पादन के साधन पहुंचाने में देरी करती है या नहीं पहुंचाती है तो क्या सरकार ने कोई ऐसा इंतज़ाम किया है कि उनको सज़ा की जा सके ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां शिकायत होती है वहां सज़ा की बात होती है। लेकिन जो कमियां कोआप्रेटिव्ज़ में या पंचायतों में पाई जा रही हैं उन को दूर करने का हमेशा प्रयत्न किया

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है । इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाने की गांवों में योजना है और उसके लिए एक समिति बनाई जाये, उसकी योजना है । इसके ज़रिये सप्लाइज़ का और सर्विसिस का, सब का समन्वय करक इस योजना का लाभ किसानों को हो सके, ऐसी कोशिश है ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : यह योजना कृषकों को समय पर बीज, खाद, उर्वरक, जल, आदि का दिया जाना किस प्रकार सुनिश्चित करेगी जिन के बिना पैदावार मारी जाती है ?

†श्री श्यामधर मिश्र : सहकारी समितियों तथा खण्डों में काम करने वाली एजेंसियों सहित सभी विभाग जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर, यदि वे योजना में शामिल हों जिसका कि आधार ही गांव है; आशा है कि ऋण, सेवाओं तथा संस्थाओं के अन्य कार्यों से बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि यह ग्राम उत्पादन योजना सदैव ही पंचायतों और सहकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकार की जाती है और क्या इन संस्थाओं ने कभी शिकायत की है कि वे उर्वरक, खाद तथा उत्तम बीज की उचित उपलब्धि पाने में असमर्थ हैं ?

†श्री श्यामधर मिश्र : यह ग्राम कृषि उत्पादन कार्यक्रम पंचायतों के समक्ष रखा जाता है जिन में सहकारी संस्थाओं के भी प्रतिनिधि होते हैं, और पंचायतों की स्वीकृति के बाद ही यह उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया जाता है । जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, मुझे किसी विशेष शिकायत की जानकारी नहीं है । सामान्य शिकायतों पर सदैव ही ध्यान दिया जाता है ।

†श्री पु० र० पटेल : पंचायतें, सहकारी समितियां और विस्तार प्रोग्राम भी हैं । फिर भी, उत्पादन नहीं बढ़ा है । इन सब बातों के होते हुए भी कृषकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की क्या व्यवस्था है ताकि वह उनका उत्पादन बढ़ा सके ।

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : उत्पादन जल, बीज, उर्वरक, मिश्रित खाद आदि के पर्याप्त उपयोग पर निर्भर होगा ।

†श्री पु० र० पटेल : यह सब सैद्धातिन्क है, परन्तु व्यावहारिक क्या है ?

†श्री सु० कु० डे : इन का संभरण मांग से कम है । जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरकों का उपभोग पंचगुना हो गया है । फिर भी, वहां मांग में शीघ्र वृद्धि होगी जहां संभरण कम है और सभी सम्बन्धित विभाग इन क्षेत्रों में संभरण बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : हम इस ग्राम उत्पादन की बात बहुत समय से सुन रहे हैं । क्या लिखित रूप योजना के आयोजन तथा क्षेत्र में उसकी कार्यान्विति के बारे में कोई निश्चय किया गया है कि कार्यान्विति कौन करेगा ?

†श्री सु० कु० डे : इन राज्यों में अनेक संस्थायें शामिल हैं---पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, सहकारी विभाग और अन्य विभाग---अतः सभी विभाग अपने प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम संस्थाओं को ग्राम उत्पादन योजना लागू करने में सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : क्या ग्राम उत्पादन के लक्ष्य ऊपर से निर्धारित किये जायेंगे अथवा किसी अन्य स्तर पर, योजना के कुल लक्ष्यों का गांवों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से तालमेज कैसे मिलाया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : गांव आधार पर विभिन्न आयोजन निश्चय हो स्वयं गांव वालों को करना होगा और फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई राष्ट्रीय लक्ष्य है जो शिविर के भी अनुसार है, कुछ तालमेल भी होगा और विशेष दिशाओं में सीधे आयोजन के लिए प्रयास भी होगा ।

†श्री कपूर सिंह : इस योजना को कहां तक राज्यों द्वारा बलपूर्वक लागू किया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : अभी तक भारत में बल प्रयोग नहीं हुआ है और मुझे आशा है कि यह होगा भी नहीं ।

†डा० सरोजिनी महिषी : ग्राम सेवक दल ग्राम उत्पादन योजना में कैसे सहायता देगा ?

†श्री सु० कु० डे : आशा है कि ग्राम सेवक दल में मुख्यकर गांवों के प्रगतिशील कृषक हैं, जिन में से अधिकतर को पिछले तीन या चार वर्ष में शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया है । ये प्रगतिशील कृषक, सापेक्षतया विभाग द्वारा बताई उतम विधियों का प्रयोग करेंगे और उन्हें अपने पास के अन्य लोगों को बतायेंगे ।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : यह योजना सुधार करने के पिछली क्रिया से किस प्रकार भिन्न है ?

†श्री सु० कु० डे : प्रयासों को बढ़ाने तथा व्यक्तियों का अधिक प्रतिनिधान प्राप्त करने की दृष्टि से ।

†श्री त्यागी : क्या योजना के लक्ष्य पूरा करने के लिए, जो गांव वालों तथा कृषकों के लिए नियत किये गये हैं, उनकी आवश्यकताओं सम्बन्धी जानकारी गांववार एकत्रित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री सु० कु० डे : निश्चय ही ऐसा किया जायेगा ।

सहकारी कृषि

+

†*८८१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री पु० र० पटेल :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी कृषि की प्रगति का पता लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सहकारी कृषि पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों और ग्राम-दान क्षेत्रों में कितनी फैल गई है ; और

(ग) ऐसे भूमिविहीन कृषकों की संख्या कितनी है जोकि सहकारी फार्मों में लग गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, अभी नहीं । प्रो० डी० आर० गाडगिल के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की जा रही है ।

(ख) पिछले दो वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में १०३ सहकारी कृषि समितियां आयोजित की गई हैं और दक्षिण क्षेत्र में १४२ समितियां स्थापित की गई हैं । दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्रों की सहकारी खेती की प्रगति अधम रही है ।

ग्रामदान क्षेत्रों में अब तक २७१ सहकारी समितियां बनी हैं । इन क्षेत्रों में आयोजित सहकारी कृषि समितियों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु ३८० सहकारी संग्रह कृषि समितियां, जिनमें मुख्यकर भूमिहीन कृषक हैं, अभी तक पिछले दो वर्षों में आयोजित हुई हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने का निश्चय किया है ताकि कृषि फार्मों में उच्चतम सीमा से प्राप्त भूमि दी जा सके और यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं इस की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की थी कि सरकारी भूमि सहकारी समितियों को दी जानी चाहिये और अधिकतर भूमिहीन मजदूरों को दी जानी चाहिये ? ऐसा करने के लिए, विशेष कर दण्डकारण्य में, जहां भूमि पूर्वी बंगलाल के विस्थापितों के लिए कृषि योग्य बनाई जा रही है, क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैंने भाग (ग) के उत्तर में कहा है कि पिछले दो वर्षों में ३८० सहकारी सामूहिक कृषि समितियां बनाई गई हैं । ये सामूहिक कृषि समितियां सरकारी भूमि के बारे में हैं । दण्डकारण्य के बारे में, निश्चय पहिले ही किया जा चुका है कि कृषि योग्य बनाई जाने वाली भूमि सहकारी कृषि को दी जायेगी और यह बहुत शीघ्र लागू हो जायेगी ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मंत्री जी हमें भूमि सुधार योजनाओं से मुक्त की गई भूमि के बारे में बता सकते हैं और सरकार उन्हें संयुक्त कृषि, सहकारी कृषि के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चय किया गया है कि अनेक राज्य अधिनियमों की उच्चतम सीमा से प्राप्त होने वाली सारी भूमि और सभी बंजर भूमि यथासंभव रूप में सहकारी समितियों को दी जायेगी ।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि यह सहकारी कृषि योजना को आरम्भ में चीन ने लागू किया था और वहां यह असफल रही है ? क्या यहां भी कृषक इस सहकारी कृषि के विरुद्ध हैं और इसलिये राज्यों ने सहकारी सेवा योजना बनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र** : अब तक यह पर्याप्त प्रदर्शित हो गया है कि जो भी अग्रिय समितियां बनाई गई हैं, उन का अपना प्रदर्शन महत्व है और कृषि में पैदावार बढ़ी है । उन्हों ने कृषकों को प्रभावित किया है इसलिए अनाग्रिम समितियां स्वेच्छा से अनेक क्षेत्रों में स्वयं कृषकों ने बनाई हैं ।

†**श्री बड़े** : मैं जानना चाहता था कि क्या राज्यों ने सहकारी कृषि योजना के बदले सहकारी सेवा योजना बनाई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं जहां भी सहकारी कृषि की गई, फल अच्छा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस बारे में कोई ठीक या ठीक प्राय आंकड़े उपलब्ध हैं कि आचार्य विनोभा भावे के भूमिदान आन्दोलन से जो भी भूमि मिली है, वह सहकारी खेती के लिए मिली है, वह सहकारी खेती के लिए भूमिहीन मजदूरों को दे दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री सु० कु० डे)** : जिन व्यक्तियों को भूमिदान की भूमि दी गई है उन की सामान्य प्रवृत्ति यह रही है कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से जोतें । यह बात बाद में आई है कि हम ग्रामदान क्षेत्रों में ग्रामदान प्राधिकारियों को सहकारी संयुक्त कृषि कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए मना रहे हैं । स्वाभाविक है, यह प्रोग्राम पूर्णतया व्यक्तियों की इच्छा पर छोड़ा गया है और हम उन की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या इस के ऋणों का कोई अध्ययन किया गया है कि कुछ प्रदेशों में, जैसे पूर्व में, सहकारी कृषि सफल न होने के क्या कारण हैं ; यदि हां, तो क्या उन्हें दूर करने का कोई प्रयास किया गया है जो विकास में रोड़ा बनते हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : पूर्वी क्षेत्र संयुक्त सहकारी कृषि का विकास पूर्णतया देश के उस भाग में सामान्य सहकारिता का विकास परिलक्षित करता है ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार का अन्तिम उद्देश्य यह है कि इस सहकारी कृषि को रूस के ढंग की सामूहिक कृषि में बदला जाये ?

†**श्री सु० कु० डे** : रूसी, चीनी, या अन्य किसी ढंग की कृषि का प्रश्न ही नहीं उठता । हम प्रयोग द्वारा अपना ढंग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं (**अन्तर्बाधा**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति—श्री शिव नारायण ।

श्री शिव नारायण : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लैंडलैस लेबरर हैं उन के खाने पीने और रहन सहन तथा एम्पलायमेंट के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? उन का प्राबलम कैसे हल होगा ?

श्री श्याम धर मिश्र : यह तो बड़ा भारी सवाल है । इस पर प्लानिंग कमीशन विचार कर रहा है । जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग का सवाल है, उस में लैंड लैस लेबरर्स ने भी कुछ हद तक हिस्सा लिया है, और इन ३७८ सोसाइटियों के जो कोआपरेटिव फार्म हैं उन में ज्यादातर लैंडलेस लेबरर शामिल हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिना लाइसेंस वाले रेडियो

+

†*८८२. { श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत से बिना लाइसेंस वाले रेडियो चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अकेले दिल्ली में ही १९६२-६३ में लगभग १२१ ऐसे मामले पकड़े गये थे जिन में बिना लाइसेंस वाले रेडियो चलाये जा रहे थे ; और

(घ) यदि हां, तो उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) मैं भी ऐसा समझता हूं ।

(ख) सरकार ने बिना लाइसेंस वाले रेडियों का पता लगाने के लिए वायरलैस इंस्पैक्टर नियुक्त किये हैं । सामान्य जांच के अतिरिक्त ये इंस्पैक्टर समय समय पर चुने हुए क्षेत्रों में घर घर जा कर जांच करेंगे कि प्रत्येक रेडियो के लिए लाइसेंस लिया गया है अथवा नहीं ।

(ग) १९६२-६३ में दिल्ली सर्किल में बिना लाइसेंस के रेडियो रखने के ३५४७ मामलों का पता लगाया था । फरवरी १९६३ में की गई विशेष जांच के दौरान दिल्ली सर्किल में १२१ मामले इन में शामिल हैं ।

(घ) २८१६ मामलों में ८९,४७५ रुपये का अधिभार तथा लाइसेंस फीस वसूल की गई । १४ मामलों में मुकदमे चलाये गये । ७१७ मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा है ।

†श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने रेडियो बिकते हैं क्या उस से यह कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता कि उन में से कितनों के लाइसेंस बने हैं और कितनों के नहीं ? आजकल बहुत ज्यादा तादाद में बिला लाइसेंस के रेडियो चल रहे हैं ?

†श्री भगवती : मैं रेडियो की कुल संख्या नहीं बता सकता हूं । १९६१-६२ में २७,४८,३५८ रेडियो लाइसेंस जारी किए गए थे ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि रेडियो के अतिरिक्त वह ट्रांजिस्टस्टर्स भी बिना लाइसेंस के हैं जो चोरी छिपे देश में लाये जा रहे हैं । यदि हां, तो सरकार ने यह जानने के लिये क्या कार्यवाही की है कि चोरी छिपे लाये गये ट्रांजिस्टरों के लिए लाइसेंस ले लिये जायें ?

†श्री भगवती : मैं बता चुका हूं कि बिना लाइसेंस के रेडियो की छानबीन के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय देश में कितने लाइसेंस्ड रेडियो हैं और कितने अनलाइसेंस्ड रेडियो हैं, और उन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : लाइसस्ड कितने हैं यह तो वह बता सकेंगे और अनलाइसेंस्ड कितने हैं यह माननीय सदस्य बतायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : सरकार के पास डाटा तो होगा कि कितने खरीदे जाते हैं और कितना स्टाक है ।

†श्री भगवती : मैं ने रेडियो लाइसेंसों की संख्या बता दी है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार का विचार कानून में संशोधन कर देने का तथा लाइसेंस दे कर ही रेडियो बचने के लिए व्यापारियों से कहने का है ?

†श्री भगवती : वर्तमान अधिनियम के अनुसार उन को अधिकारियों को जानकारी देनी होती है तथा तदनुसार कार्यवाही करनी होती है ।

†श्री कमलनयन बजाज : जिस तरह मोटर बेचने वाला उसको रजिस्टर करवा कर देत है, इसी तरह यदि रेडियो बेचनेवाला भी उसका लाइसेंस करवा कर बेचे तो क्या उसमें सरकार को कोई दिक्कत होती है ? यदि नहीं तो ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि यह छोटी चीज होने से लोग इसको बतलाना भल जाते हैं और इस तरह सरकार को रेवेन्यू में काफी हानि हो रही है । क्या इस ओर सरकार ध्यान दे रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि रेडियो खरीदने के स्थान पर लाइसेंस फीस ली जाये जिससे खरीदार को वार्षिक शुल्क आदि देने की चिन्ता न करनी पड़े ?

†अध्यक्ष महोदय : यह भी सुझाव है ।

†श्री त्यागी : जी नहीं यह सुझाव नहीं है । ऐसी व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही थी ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

एशियाई राजपथ

†*८८३. श्री महेश्वर नायक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई राजपथ प्रणाली बनाने के प्रस्ताव में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) एशियाई राजपथ प्रणाली के अधीन अब तक भारतीय तथा पाकिस्तानी राजपथों का कितना कितना भाग लाया गया है ;

(ग) भाग लेने वाले देशों को योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी और ;

(घ) भाग लेने वाले देशों को किन उपायों को अपनाने का सुझाव दिया गया है जिस से कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिये राजपथों का समुचित उपयोग करने के मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध बाधा बन कर खड़े न हों ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११३०/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से यह मालूम होता है कि हमारे राष्ट्रीय राजपथ का एक भाग एशियाई राजपथ में आ जाता है । क्या भारत में सड़क प्रणाली को उस स्तर का बनाने के लिए इकाफे से अतिरिक्त सहायता ली जा रही है जिससे भारत में सड़क प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाये ;

†**श्री भगवती** : इकाफे संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि में से कुछ धन लेने का प्रयत्न कर रहा है । अनुमान है कि विदेशी मुद्रा ११,१७,०२० डालर के लगभग होगी ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या भारत, पाकिस्तान तथा बर्मा के बीच छूटी हुई सड़कों को पुनः बनाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

†**श्री भगवती** : पूर्व में इंडोनेशिया से पश्चिम में तुर्की की सभी राजधानियों को मिला देने का है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की स्थिति में है कि देर से देर कब तक इन सड़कों को बनाने का काम पूरा हो जायेगा ।

†**श्री भगवती** : विवरण में दी गई कार्यवाही बता चुकी हूं । इसके अतिरिक्त दो सर्वेक्षण किए गए हैं । जिन विशेषज्ञों ने यह दोनों सर्वेक्षण किए हैं उन्होंने सिफारिश की है कि बर्मा, पूर्व पाकिस्तान-अफगानिस्तान, ईरान होकर मार्ग के लिए पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण के लिए २७,८५,६०० डालरों की आवश्यकता होगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी समझे नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि इस काम में कितना समय लगेगा, पाँच साल या दस साल । क्या कोई अन्दाजा है कि यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री भगवती** : यह बताना बड़ा कठिन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से मालूम होता है कि भारत में ११ प्राथमिक मार्ग हैं तथा ६ अतिरिक्त मार्ग हैं । काम कितने मार्गों पर किया गया है ? कितने मार्गों का प्राक्कलन बनाया गया है तथा कितने मार्गों पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

†**श्री भगवती** : विवरण में की गई कार्यवाही पूरी तरह से बता दी गई है । इसके अतिरिक्त दो सर्वेक्षण किए गए हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कहाँ ।

†**श्री भगवती** : बर्मा-पूर्व पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं भारत के मार्गों के बारे में पूछ रहा हूं माननीय मंत्री पाकिस्तान के मार्गों के बारे में बता रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शाँति शाँति । प्रश्न था कि भारत में कितने मार्गों पर काम शुरू किया गया था तथा कितने मार्गों की योजना बनाई गई ।

†**श्री भगवती** : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गम क्षेत्र समिति

***८८४. श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्षों पहले भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर बनाने के सुझाव देने के लिए "दुर्गम क्षेत्र समिति" के नाम से एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कहाँ तक अमल किया है ; और

(ग) स्वयं केन्द्रीय सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११३१/६३]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सत्य है कि इस तरह के इलाक़ों के विकास के बारे में एक गोष्ठी अभी कुछ दिन पहले शिमले में हुई थी जिस में सुझाव दिया गया था कि एक हिल से डेवलपमैंट बोर्ड बनाया जाय, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का उस में क्या रुख है और उस की कब तक स्थापना हो जायगी ?

डा० राम सुभग सिंह : आज उस के सम्बन्ध में बात की जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में यह बताया गया है कि इस कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उन्हें राज्य सरकारों ने और संघीय क्षेत्रों ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है । लेकिन यह नहीं बताया गया कि इन की क्या प्रगति हो रही है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि राज्य सरकारों से समय समय पर रिपोर्टें ली जाएं और उनसे प्रगति के बारे में जाँच पड़ताल चलती रहे ?

†डा० राम सुभग सिंह : जी हाँ, इसका प्रयास किया जाएगा ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या श्री भक्त दर्शन ने जिसका अभी उल्लेख किया उस बोर्ड को बनाने के लिए शिमला में पर्वतीय विकास गोष्ठी द्वारा किए गए सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया था ?

†डा० राम सुभग सिंह : पहले ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई थी। शिमला में पर्वतीय विकास गोष्ठी में सर्वसम्मति से एक नये प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। परन्तु हमें अन्य अधिकारियों तथा राज्य सरकारों से चर्चा करनी होंगी और यह देखना होगा कि इस पर शीघ्र निर्णय हो जाये और स्पष्ट आदेश दे दिए जायें ।

†श्री स्वैल : पर्वतीय विकास गोष्ठी के संबंध में क्या यह सच है कि आसाम के पर्वतीय जिलों के किसी प्रतिनिधि को गोष्ठी में आमंत्रित नहीं किया था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

†डा० राम सुभग सिंह : मूलत: यह विचार था कि ५०० मीटर से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये । हमने कृषि निदेशक, आसाम को नियंत्रण भेजा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद सदस्य को भी निमंत्रित किया गया था । यदि मेरे मित्र, श्री स्वैल को निमंत्रण नहीं मिला तो मैं उनकी भविष्य में अवश्य सलाह लूंगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि चाय के बागान भी हिली ऐरियाज़ के अंदर आयेंगे या यह उन से अलग रहेंगे ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा कि मैं ने कहा कि ५०० मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सब को इस में शामिल किया गया है । कुछ चाय के बागान जो कि उस से नीचे हैं, छूट जायेंगे लेकिन उंचाई वाले ज़रूर आ जायेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या चीनी आक्रमण के बाद सरकार ने इन दुर्गम क्षेत्रों को सुगम बनाने का निर्णय किया है ? राज्य सरकार को जिम्मेदारी देने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है कि इन क्षेत्रों में ठीक प्रकार से लोग बस जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न खाद्यान्नों के संबंध में है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा निवेदन है कि दुर्गम क्षेत्रों को सुगम बनाया जाये । उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को जिम्मेदारी देने के अतिरिक्त ऐसी क्या कार्यवाही की है वहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रश्न के भाग (क) के अनुसार प्रश्नकर्ता खाद्यान्नों की आत्म निर्भरता की सिफारिश की ओर ध्यान दिलाया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् फ़ुडस्टफ्स के बारे में इस समिति ने सिफ़ारिश की थी कि जिन ऐरियाज़ में कम्युनिकेशंस की व्यवस्था न हो उनको उस सम्बन्ध में डेवलप किया जाय ताकि यह ऐरियाज़ इनऐक्ससेबुल न रह सकें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी के बारे में सरकार हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नेफा के दुर्गम क्षेत्रों को सुगम बनाने का प्रयत्न कर रही है । अन्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम अपने क्षेत्रों का ध्यान रख रही हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में मालूम होता है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संबंध है वहाँ के पर्वतीय जिलों के लिए उपलब्ध है परन्तु पंजाब और अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व पंजाब की कुल घाटी तक सीमित है । क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि पंजाब में गुरदासपुर ज़िले के समान क्षेत्र है जो ५००० मीटर से भी ऊंचाई पर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : ५००० मीटर ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पंजाब तथा भारत के अन्य स्थानों में जो क्षेत्र ५०० मीटर से ऊंचे हैं उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : होशियारपुर में . . . .

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : गुरदासपुर ।

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : जहाँ तक मैं जानता हूं कि यह क्षेत्र ५००० मीटर से अधिक ऊंचे नहीं है। वे ५०० मीटर से ऊंचे हो सकते हैं। परन्तु इस गोष्ठी ने इन सभी क्षेत्रों के बारे में विचार किया था। शिमला पंजाब में है तथा इसकी ऊंचाई ५०० मीटर से अधिक है। परन्तु दुर्गम क्षेत्र समिति में केवल कुलुधारी को शामिल किया गया था।

श्री विभूति मिश्र : इस शिमला सैमिनार में हिली ऐरियाज़ के डेवलपमैंट के सम्बन्ध में कौन कौन सी मुख्य बातें सामने आई हैं जिनके लिए कि मंत्री जी ने कहा कि उनको तुरन्त करना चाहिए ?

डा० राम सुभग सिंह : मुख्य बात, जैसा कि पहले पूछा गया, एक हिल डेवलपमैंट बोर्ड की स्थापना की जाय। उस के बारे में प्रधान मंत्री जी, दूसरे मंत्रालयों और प्लानिंग कमिशन से बात आज शुरू की जायगी और राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जायगा उसके अलावा जो विस्तृत कार्यक्रम है वह भूमि संरक्षण, संचार, विपणन, परिशोधन, तकनीकी कर्मचारी, औजार तथा उपकरण ऊंचाई पर सिंचाई, शुष्क तथा अर्द्ध शुष्क खण्ड फ्रूट्स और वैजीटेबिल्स के उत्पादन और ऐनिमल हस्बैंडरी के बारे में है।

आहारपुष्टि सम्बन्धी शिक्षा

+

†*८८५. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री राम हरख यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आहार-पुष्टि संबंधी शिक्षा तथा खाद्य के उत्तम उपयोग और परिरक्षण के लिए एक चलती फिरती खाद्य तथा आहार-पुष्टि विस्तार सेवा आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की व्याप्ति तथा कार्यप्रणाली क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) :** (क) सरकार प्रत्येक प्रदेश में अर्थात् उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेशों में जिन के मुख्यकार्यालय नयी दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हैं, एक एक चलते फिरते खाद्य तथा आहार-पुष्टि विस्तार एकक स्थापित कर चुकी है। नयी दिल्ली स्थित एकक २२ मार्च, १९६३ को चालू किया गया था और अन्य एकक भी संभवतः निकट भविष्य में चालू कर दिये जायेंगे।

(ख) संक्षेप में इस योजना का क्षेत्र इस प्रकार है :

(१) नये और पौष्टिक तथा उन्नत खाद्य जारी करना और उनका प्रचार करना।

(२) आहारपुष्टि, सन्तुलित भोजन आदि सम्बन्धी कल्पनाओं का प्रचार और आहार-पुष्टि की कमी के रोगों और उन्हें रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी देना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भोजन के पदार्थ तैयार करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए नयी और समुन्नत शैलियों का प्रचार; और

(४) खाद्य की खपत के प्रकारों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जो लोग भोजन बनाने के तरीके सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई किताबें प्रकाशित की गयी हैं, ताकि वे खाद्य पदार्थों से अधिकाधिक पुष्टि प्राप्त कर सकें ?

†**श्री शिन्दे** : जी हां। योजना आरम्भ की जानी है और कुछ तैयारी हो चुकी है। योजना के प्रचार के लिए कुछ पुस्तिकायें भी जारी की जा चुकी हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : प्रत्येक गाड़ी पर कितना रुपया खर्च किया गया है और क्या सरकार देश के दूसरे महत्वपूर्ण शहरों में गाड़ी की यह सुविधा देने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : गाड़ी और साजसामान की लागत लगभग ७०,००० रुपये है। हमारा विचार है कि और अधिक प्रादेशिक विस्तार एकक चालू किये जाने के बाद प्रत्येक राज्य में एक एक विस्तार एकक रखा जाये और बाद में परिस्थितियों के अनुसार उसे बढ़ाया जाये।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इस सेवा का लाभ भीतरी क्षेत्रों को भी पहुंचाने का विचार है ?

†**श्री शिन्दे** : यह योजना शहरी और देहाती इलाकों में भी कार्यान्वित की जायगी।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या सरकार के पास और भी चलती फिरती गाड़ियां हैं जिन्हें वह गैर-सरकारी संगठनों को दे सकती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : चार प्रादेशिक क्षेत्रों में केवल चार गाड़ियां हैं। इन राज्यों की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद ही दूसरी मांगों पर विचार किया जा सकेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : आहारपुष्टि और संतुलित आहार सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है ?

†**श्री शिन्दे** : इस योजना के अधीन, विज्ञान कालेज, गृह-विज्ञान कालेज, समाज कल्याण संगठन, औद्योगिक संस्थाएं और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और विज्ञान मंदिर और इसी प्रकार के अन्य संगठनों के सहयोग से काम किया जायगा।

†**डा० गायतोन्डे** : क्या कोई दूसरा मंत्रालय अर्थात् स्वास्थ्य भी इस ढंग का काम कर रहा है और यदि हां, तो क्या खाद्य और कृषि मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस योजना के सम्बन्ध में सम्पर्क रखा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : स्वास्थ्य मंत्रालय से आवश्यक सहयोग प्राप्त हो रहा है। फिर राष्ट्रीय आहार मंत्रणा भी है जिस में स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि और सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। हम ने जो ढांचा अपनाया है उसके अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय में ऐसी कोई प्रशाखा नहीं है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या देश के लोगों के भोजन सम्बन्धी आदतों का पौष्टिकता विषयक सर्वेक्षण करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री शिन्दे** : जी हां, सर्वेक्षणों से पता चला है कि भारत में पौष्टिक आहार की कमी व्यापक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : कितने ही दिनों से इस स्कीम की चर्चा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्विस प्रेक्टिकल होगी या थ्योरेटीकल होगी ? अगर थ्योरेटीकल होगी तो उसका लाइन बताई जाये। क्या कुछ लोगों को खिला कर दिखाया जायेगा कि यह पौष्टिक आहार है ?

†**श्री शिन्दे :** वह बहुत बड़ा काम है लेकिन अनुमान है कि वह योजना व्यावहारिक होगी।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि आहारपुष्टि विस्तार सेवा और इस योजना में किस प्रकार का समन्वय है ?

†**श्री शिन्दे :** जो योजनाएं भारत में कार्यान्वित की जा रही हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल सहायता निधि से सहायता मिल रही है।

बिहार में खाद्य का उत्पादन

†*८८७. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री ह० चं० सौय : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिहार में लाख का उत्पादन बढ़ाने तथा उसके विपणन की वर्तमान योजना के इच्छित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो पूरी योजना में परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) बिहार में लाख का उत्पादन बढ़ाने की योजना सफल हुई है। लाख के बिक्री का कोई योजना बिहार में नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि चूंकि लैक के बाजार का कोई उचित और सही ढंग नहीं है, इसलिए उसकी खेती में बाधा पड़ती है और उसका खेती करने वालों को काफी प्रोत्साहन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बात सही है। इसके लिए एक साढ़े १८ लाख की योजना बनाई गई है जिस में सीड लैक को कोआप्रेटिव के ज़रिये खरीदा जायेगा। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रांची में है, वहां एक सीड लैक बनाने की फैक्ट्री बन रही है। कोआप्रेटिव को यह अधिकार देने की बात भी तय की गई है कि वे स्टिक लैक को सीड लैक में परिवर्तित करें। जब सीड लैक बिकेगा तो खुद-ब-खुद सीड लैक की कीमत बढ़ जायेगी। हमारी यह कोशिश भी होगी कि स्टिक लैक की कीमत वाजिब लोगों को मिले।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो कोआप्रेटिव सोसाइटी बनाई जायेगी वह सरकार द्वारा बनाई जायेगी या जो स्थानीय लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनके ज़रिये इसकी कोई व्यवस्था होगी ? यदि वह सरकारी होगी तो इस में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने की क्या कोशिश की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : कोग्रोप्रेटिव का मतलब है स्थानीय आदमी जो हैं, लैक का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, उनकी वह बने । कोग्रोप्रेटिव के रजिस्टार, कम्युनिटी डिवेलेपमेंट मिनिस्ट्री और एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के लोगों ने विचार विमर्श किया है और बिहार के मुख्य मंत्री को लिखा गया है कि जल्दी वह इसके सम्बन्ध में उचित कोई इंतजाम करा दें ।

†**डा० रानेन सेन** : इस बात को देखते हुए कि लाख उत्पादन का उद्योग बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है, क्या बंगाल और बिहार, दोनों क्षेत्रों में लाख के विकास की कोई समन्वित योजना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जो हां, न केवल बंगाल और बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा के कुछ भागों के लिए भी समन्वित योजना बनायी जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि लाख उद्योग ही बिहार का एक ऐसा उद्योग है, खासकर पालामाऊ जिले में, जहां पुराने तरीके से काम किया जाता है और यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मदद से उन तरीकों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : पालामाऊ जिले के मुख्यालय, डाल्टन गंज में राज्य व्यापार निगम का एक केन्द्र खोलने के लिए हम ने कार्रवाई की है । वह केन्द्र सीड लैक खरीदेगा और स्टिक लैक उत्पादक अपना माल बेचेंगे । राज्य व्यापार निगम वहां सारा खरीद लेगा ।

श्री विभूति मिश्र : लैक के व्यापार पर सरकार का एकाधिकार है । जो लैक के ग्रोअर हैं, उन को सात रुपये मिलते हैं और जब उस को बेचा जाता है तो अस्सी रुपये में बेचा जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि लैक के ग्रोअर को उचित कीमत मिले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : इसी विरोधी चीज़ को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि इन्हीं उत्पादकों को कोग्रोप्रेटिव बना कर उन को सुविधा दी जाये कि वे स्टिक लैक का सीड लैक बना लें । जो दो तीन एक्सपोर्टर्ज हैं उनके नियंत्रण को दूर करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को इस व्यापार में आने के लिए निमंत्रित किया गया है और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है कि हम सारा सीड लैक खरीद कर बाहर भिजवाने की कोशिश करेंगे ।

†**श्री हेडा** : लाख के उत्पादन के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि मूल्य स्थिर नहीं रहते । इसलिए क्या सरकार कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में सोच रही है ताकि उत्पादक को मालूम रहे कि क्या स्थिति रहेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सीड लैक के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा चुका है । डाल्टनगंज, रांची, बलरामपुर, गोन्डा और बिलासपुर के खरीद केन्द्रों में वह ३४ रुपये प्रति मन है । हम ने स्टिक लैक का मूल्य भी निकाल लिया है । वह विभिन्न किस्मों के आधार पर १३ से १६ रुपये प्रति मन के बीच होगा । मैं जानता हूं कि दूर के इलाकों में रहने वाले उत्पादकों को शायद ही उचित मूल्य मिलता है । उचित मूल्य निश्चित करने की दृष्टि से ही हम सभी कार्रवाइयां कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

+

†*८८८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध संभरण योजना ने गत तीन वर्षों से अपने दूध विक्रय केन्द्रों का जमीन किराया नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) :** (क) और (ख). नयी दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिसम्बर, १९६२ में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बनाये गये विक्रय केन्द्रों के संबंध में नगरपालिका ने किराये के भुगतान की मांग की है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कितनी रकम अदा की गयी थी और वह पहले क्यों नहीं अदा की गयी ?

†**श्री शिन्दे :** वास्तव में बिल पिछले दिसम्बर में ही पेश किया गया था। नयी दिल्ली नगर पालिका ने लगभग २४,७७३ रुपया मांगा था और वह दे दिया गया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच है कि इस किराये के कारण ही दूध का दाम बढ़ गया है ? यदि हां, तो दूध का दाम कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हर आदमी उसे खरीद सके ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** जैसा कि सभी जानते हैं, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिया जाने वाला दूध सबसे सस्ता होता है। निगम के क्षेत्र के अन्दर जमीन के किराये का जहां तक संबंध है, हम प्रत्येक बूथ के लिये १० रुपये की दर से भुगतान कर रहे हैं और नयी दिल्ली नगरपालिका प्रत्येक बूथ के लिये १८.२५ रुपया मांग रही है। हम नगरपालिका के साथ इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने इस तरह की कोई मूव की है कि इससे कृषि मंत्रालय का अपना कोई लाभ नहीं है और दिल्ली की जनता का ही इस में लाभ है, इसलिये यह जमीन जो है यह दिल्ली की जनता के लिये दी जाये और इस पर किसी किराये वगैरह की मांग करने की जरूरत नहीं है ?

†**श्री शिन्दे :** माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार नगरपालिका से लिखापढ़ी की जा रही है। दुग्ध सप्लाई-प्राधिकार उचित किराया देने के लिये सहमत है। प्रश्न केवल यह है कि अत्यधिक किराया न लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय रेलों का विद्युतीकरण

†*८८९. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के विद्युतीकरण का कार्य इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) क्या विद्युतीकरण के कार्य से संबंधित छोटी वस्तुयें जैसे अल्युमीनियम के रॉड, सालिड कोर इंसुलेटर, घातवर्ध्य ढलवां लोहे की फिटिंग का निर्माण देश में हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग) तक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—११३२/६३]**

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** हावड़ा से मुगलसराय तक, जिसमें हावड़ा और बर्दवान के बीच कार्ड सर्विस भी शामिल है, बिजली की गाड़ियां कब चलने लगेंगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कार्यक्रम इस प्रकार है : वारिया डाक्स—दिसम्बर, १९६४, मुगलसराय से इलाहाबाद—सितम्बर, १९६४ ; इलाहाबाद से कानपुर—सितम्बर, १९६५ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इलाहाबाद–मुगलसराय के बारे में जानना चाहते थे ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वह लगभग दो साल में पूरा हो जायगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** विवरण से यह मालूम होता है कि देशी साधनों को बढ़ाने के लिये रेलवे मंत्रालय के प्रयत्नों के बावजूद, विद्युतीकरण के लिये आनुषंगिक वस्तुयें काफी मात्रा में अब भी बाहर से मंगायी जा रही हैं । ये वस्तुयें देश में कब तैयार की जायेंगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जैसा कि विवरण में बताया गया है, पहले उनकी प्रतिशतता ३४ थी और अब वह १२ हो गयी है । इस प्रतिशतता को और कम करने के लिये बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या दुनिया के विभिन्न देशों में प्रत्येक किलोमीटर मार्ग पर विद्युतीकरण की लागत के कोई तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं और क्या भारत में वह लागत अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है और उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह प्रश्न इससे नहीं उत्पन्न होता । मुझे सूचना चाहिये ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** स्यालदा और रानाघाट और स्यालदा दक्षिण के बीच विद्युतीकरण कब पूरा हो जायगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** स्यालदा–रानाघाट—जून, १९६३ ; स्यालदा दक्षिण—मार्च, १९६५ ।

†**श्री ह० प० चटर्जी :** रानाघाट के आगे कृष्णनगर शहर तक और स्यालदा से शांतिपुर तक विद्युतीकरण के लिये कितना समय लगेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रानाघाट से कृष्णनगर शहर—दिसम्बर, १९६३ ; काजीनारायणपुर से शांतिपुर—दिसम्बर, १९६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि मुगलसराय से हावड़ा तक विद्युतीकरण के बाद, सवारी गाड़ियां बिजली से नहीं चलायी जायेंगीं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मालगाड़ियों को वरीयता दी जायगी।

†श्री यशपाल सिंह: क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि इस समय हमारी आर्डेनेंस फैक्ट्रीज को डिफेंस प्रिपरेशन के लिये पावर की जरूरत है और पूरी पावर उन्हें नहीं मिल रही है, इसलिये रेलों का एलक्ट्रिफिकेशन थोड़े समय के लिये रोक दिया जाय ?

रेलवे मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को गलत इत्तला मिली है। आर्डेनेंस फैक्ट्रीज को सब से पहले बिजली दी जाती है, और मेरी नालेज में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रेलवे का एलेक्ट्रिफिकेशन बन्द कर दिया जाये तो आर्डनेंस फैक्ट्रीज को ज्यादा बिजली मिलने लगेगी ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : तम्बरम–विल्लुपुरम विद्युतीकरण योजना को पूरा करने में जो अत्यधिक विलम्ब हुआ है, उसे देखते हुये उस योजना में शीघ्रता करने और तीसरी योजना के अन्त तक उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : बहुत अधिक देर नहीं हुई है। अनुमान है कि वह सितम्बर, १९६४ में पूरा हो जायगा ।

दूध सुखाने के सन्यन्त्र

+

†*८९१. श्री रा० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार १९६३–६४ में देश में दूध सुखाने के संयंत्र, क्रीमरी तथा पशु विकास केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कहां पर स्थापित किये जायेंगे तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या ११३३/६३ ।]

†श्री रा० बरुआ : विवरण से दिखायी पड़ता है कि इस योजना के अधीन चार राज्य आते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के लिये इन राज्यों को किन सिद्धांतों पर चुना गया है ?

†श्री शिन्दे : ये राज्य दुग्धशाला विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी एक रिपोर्ट और विभिन्न राज्यों द्वारा रखीं गयी मांगों के आधार पर चुने गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रा० बरुग्रा : क्या मैं यह समझूं कि अन्य राज्य इन संयंत्रों के लिये अपनी अपनी मांगों का आग्रह नहीं कर रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : यह दुग्ध-चूर्ण के निर्माण के लिये है। वह सघन पशु विकास क्षेत्रों के आधार पर चुना गया है।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस पशु विकास प्रायोजना के जरिये ओन्गोले किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

†श्री शिन्दे : यह बहुत संगत प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि महत्वपूर्ण किस्मों का प्रचार करने का प्रयत्न किया जा रहा है और पशुपालन केन्द्र खोले जा रहे हैं और उनका विकास किया जा रहा है।

†श्री कपूर सिंह : क्या सघन पशु विकास कार्यक्रमों का अलाभदायक पशुओं के उचित निबटारे के साथ समन्वय करने का विचार है ?

†श्री अ० म० थामस : यह एक बड़ी समस्या है जिसे हल करने में हमें कठिनाई हो रही है।

बंगलौर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

+

†*८६३. { श्री अ० ब० राघवन् :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अप्रैल, १९६३ को बंगलौर रेलवे स्टेशन पर जब बंगलौर-मद्रास एक्सप्रेस में इंजन जोड़ा जा रहा था तब उसने गाड़ी में टक्कर दी और ४५ यात्री घायल हो गये ;

(ख) क्या दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यात्रियों को किस प्रकार की चोटें आईं ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४६ व्यक्ति आहत हुये थे।

(ख) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही आरम्भ की गयी है।

(ग) सभी ४६ व्यक्तियों को मामूली चोट लगी है।

†श्री अ० व० राघवन् : क्या हावड़ा में इसी तरह की दुर्घटना हुई थी ? ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिये क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रश्न बंगलौर के बारे में है लेकिन माननीय सदस्य हावड़ा के बारे में पूछ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएँ अन्यत्र भी हुई हैं और वह जानना चाहते हैं कि उन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कोई कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दुर्घटनायें रोकने के लिए हम हमेशा ही कर्मचारियों को समझाते हैं ।

†**श्री बासप्पा** : सम्पत्ति को कितना नुकसान पहुँचा है और क्या इँजन के ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया है । इँजन को जो नुकसान हुआ है वह लगभग ३००० रुपये का है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : रेलवे मँत्रालय किन चोटों को मामूली चोटें समझता है और इन चोटों के कारण रेलवे से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मांगी जाती ? रेलवे मँत्रालय की राय में छोटी और बड़ी चोटों में क्या अन्तर है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ये चिकित्सा के सर्वविदित शब्द हैं और उन के सर्वमान्य अर्थों में ही हम उन का प्रयोग कर रहे हैं ।

रासायनिक उर्वरक

+

†*८६३. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या खाद्य तथा कृषि मँत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई जानकारी है कि देश में बनाये गये रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने में हिचकिचाहट है ;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की इस हिचकिचाहट के क्या कारण हैं ; और

(ग) उर्वरक की किस्म सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११३४/६३]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : आयात किये गये उर्वरकों के प्रयोग में किसानों की तथाकथित हिचकिचाहट के क्या कारण हैं ?

†**श्री शिन्दे** : उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट मुख्यत: कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और रँगीन अमोनियम सल्फेट के सम्बन्ध में है । आयात किये गये उर्वरकों के सम्बन्ध में किसी विरोध की जानकारी नहीं मिली है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सूचना मिली है कि इन उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह गलत है । भूमि की उत्पादकता कम नहीं होती, लेकिन यदि उर्वरक का ठीक ढँग से प्रयोग किया जाये, जैसाकि उस का प्रयोग किया जाना चाहिये, तो वह सैकड़ों सालों तक कम नहीं होगी ।

---

†मूल अँग्रेज़ी में

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या भूमि के किस्म में गिरावट थोड़े समय के लिये होती है या लम्बे समय के लिये ?

†श्री स० का० पाटिल : जब भी गिरावट होती है वह उर्वरकों के विज्ञान को गलत समझने के कारण होती है। मैं ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखा है कि १२० साल तक उसी ढँग के उर्वरक का प्रयोग किया जाने पर भी उत्पादकता बढ़ती गयी है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : भाग (ख) के उत्तर में कुछ कारण बताये गये हैं। क्या ये कारण दूर किये गये हैं या नहीं ?

†श्री स० का० पाटिल : कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की उपयोगिता न जानने के कारण किसानों की हिचकिचाहट स्वाभाविक है। सिंचाई के लिए भी पहले किसानों की हिचकिचाहट थी ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : उर्वरकों का प्रयोग करने वाले किसानों को उचित तकनीकी जानकारी दी जाये इस के लिए सरकार ने अभी तक क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : यह बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि हमारे देश में उर्वरकों के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी बहुत थोड़ी है । इसलिए प्रयोगात्मक खेतों पर और अन्यथा भी हर कोशिश की जा रही है। हम ऐसी कार्यवाही के बारे में सोच रहे हैं जिस से यह जानकारी गांव वालों को भी मिल सके ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार को मालूम हुआ है कि जो कृषि विशेषज्ञ हमारे किसानों को सलाह देते हैं, उन्हें भी यह मालूम नहीं है कि उर्वरक किस अनुपात में मिलाये जाने चाहियें ?

†श्री स० का० पाटिल : यह एक अर्थ में ठीक हो सकता है क्योंकि जैसाकि शुरू में मैं ने बताया, इस देश में उर्वरकों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है। हम अनुभव से सीखते हैं। विशेषज्ञ भी अनुभव से सीख लेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हुगली में नौपरिवहन

†*८६०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली में नौपरिवहन सुकर बनाने के लिये किये जाने वाले तीन नदी नियंत्रण निर्माण कार्यों में से दो पूरे हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों योजनाओं के अधीन क्या सुधार किए गए हैं तथा तीसरी योजना में क्या सुधार किए जाने हैं ; और

(ग) इन योजनाओं की क्रियान्विति पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). तक एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० ११३५/६३]

डेरी विकास योजनायें

८९४. { श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिन पचपन डेरी विकास योजनाओं का उपबन्ध किया गया, उन की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और उन्हें शीघ्र चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : प्रगति को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११३६/६३] । अब तक २६ योजनायें शुरू की गई हैं । राज्य सरकारें इन योजनाओं को शीघ्र ही पूरा करने के लिये उचित कार्यवाही कर रही हैं ।

रेलवे खनिज साईडिंग का नई दिल्ली यार्ड से स्थानान्तरण

†*८९५. { श्री महेश्वर नायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की यार्ड की खनिज रेलवे साइडिंग वहां से हटा कर तुगलकाबाद में बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों से अभ्यावेदन किया गया है कि प्रस्तावित साईडिंग से नगर तक खनिज पहुंचाने पर आने वाले व्यय का नगर में उन के अन्तिम मूल्यों पर काफी प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) नई दिल्ली खनिज साईडिंग का अन्दरूनी यातायात धीरे धीरे तुगलकाबाद ले जाया जा रहा है ।

(ख) (१) नई दिल्ली में उपलब्ध टर्मिनल सुविधाओं की तुलना में यातायात का बढ़ जाना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) नई दिल्ली में या किसी समीप के स्थान पर अग्रेतर विस्तार की गुंजाइश न होना;

(३) नई दिल्ली में यात्री और अन्य यात्री सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने पर्याप्त स्थान न प्राप्त करने की आवश्यकता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से यातायात को धीरे धीरे बदलना जरूरी हो गया है ।

गंगा पर बिजली की रेलगाड़ी का अन्तिम स्टेशन (टर्मिनस)

†*८९६. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के पूर्वी किनारे पर बिजली की रेलगाड़ी सेवा का अन्तिम स्टेशन (मिनस) बनाने के बारे में तथा इस कार्य के लिए एक नया पुल अथवा जलगत सुरंग बनाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से कोई परामर्श किया गया है ;

(ख) क्या विदेशी विशेषज्ञों तथा विश्व बैंक की इस मामले में सलाह मांगी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**रलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-विभागीय टलीग्राफिस्ट

†*८९७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी गैर-विभागीय टेलीग्राफ़िस्ट पर्याप्त संख्या में है ; और

(ख) तार सेवा में कब तक सारे कर्मचारी स्थायी पदाली के हो जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)**: (क) १-२-६३ को अनुमानतः ६७४ विभागातिरिक्त टेलीटाइपिस्ट थे ।

(ख) विभागातिरिक्त टेलीग्राफिस्टों की पदालि यातायात के उतार चढ़ाव के कारण कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस सेवा में जरूरी है ।

विशेष समाचार-प्रापक यन्त्र

†*८९८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६१ में "अयान्स फ्रांस प्रेस" के भारत स्थित प्रतिनिधि ने सीमा शुल्क अदा किये बिना एक विशेष समाचार-प्रापक यंत्र परीक्षण के लिये भारत में आयात किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस परीक्षण का क्या परिणाम रहा और वह विशेष संयंत्र भारत में विदेशी समाचारों के प्रसार में कौन सी विशेष सेवा कर रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह विशेष यंत्र इस देश से पुनः किसी अन्य देश को निर्यात कर दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसको किस अन्य देश को निर्यात किया गया और क्या सीमा शुल्क सम्बन्धी सब नियमों को पूरा कर लिया गया ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) डाक-तार विभाग द्वारा परीक्षण के लिए "एजेंस फ्रान्स प्रेस' ने सीमाशुल्क की अदायगी करके जून, १९६१ में एक ए० एम० ई० समाचार प्रापक यंत्र का आयात किया था ।

(ख) उक्त यंत्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है । इसमें और डाक-तार विभाग में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों में अत्यन्त समानता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

†१९०४. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में कितने कर्मचारियों ने एक रेलवे मंडल से दूसरे मंडल में (मंडलवार) स्थानान्तरण की प्रार्थना की ;

(ख) इसी अवधि में मंडलवार कितने लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार की गईं ;

(ग) अभी भी मंडलवार ऐसी कितनी प्रार्थनाएं लंबित पड़ी हैं ; और

(घ) यदि रेलवे कर्मचारियों के अन्तर्मंडलीय स्थानान्तरण के कोई नियम हैं, तो क्या ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों के अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण के लिये कोई नियम निर्धारित नहीं किये, किन्तु अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण के निमित्त अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की प्रार्थनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और जहां तक संभव होता है, उन को स्वीकार कर लिया जाता है ।

कटक स्टेशन के लेबिल क्रासिंग पर नीचे का पुल

†१९०५. **श्री रामचन्द्र मल्लिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार की ओर से कटक रेलवे स्टेशन लेवल क्रासिंग पर नीचे का एक पुल बनाने की योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण किनारे पर नीचे का एक पुल बनाने का प्रस्ताव है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वर्ष में यह कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है।

मद्रास में नल कूप

†१९०६. { **श्री उ० म० थैनगौंडर :**
श्री वै० तेवर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तंजौर और मद्रास के बीच के क्षेत्र में सिंचाई नल कूपों के निर्माण के लिये भूमिगत जल को खपाने के लिये प्रयोगात्मक सुराख खोदने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ किया जएगा ;

(ग) इस के संबंध में तीसरी योजना में क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) क्या तंजौर से परे प्रयोगात्मक परियोजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) १९६३–६४ में।

(ग) उस क्षेत्र में प्रयोगात्मक सुराख खोदने की अनुमानित लागत लगभग ७.०० लाख रुपये हैं।

(घ) जी, हां। रामनाथपुरम में।

सहकारी निधि

†१९०७. { **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के निर्बल वर्गों के संबंध में सहकारी धन निकालने तथा देने की प्रक्रियाओं के अधिनियमों को किन २ राज्यों ने अन्तिम रूप दिया है और उनमें एक दूसरे से किस प्रकार का अन्तर है ; और

(ख) पिछले वर्षों में दिये गये ऋणों से अधिक ऋण देने के लिये केन्द्रीय सहकारी बेंकों की अर्थ सहायता देने को निमित्त नियत निधियों के व्यय के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) सहकारी ऋण संस्थाओं के विशेष बुरे ऋण रक्षित निधि से सीधे अनुदान निकालने तथा देने के नियमों और प्रक्रियाओं को बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अन्तिम रूप दिया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू व काश्मीर, मैसूर तथा राजस्थान संबंधी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई।

(ख) इस काम के लिये राज्यों को १९६२–६३ में राष्ट्रीय सहकारी दिवस विकास द्वारा अनुदानों की राज्य-वार मंजूरी को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० ११३७/६३]

†मूल अंग्रेजी में

रलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१९०८. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यवतमाल–इलायिपुर रेल के रेल कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टरों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कमी कब पूरी की जाएगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं । यवतमाल-इलीयापुर रेल की अत्यावश्यक श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टरों की बड़ी कमी नहीं है । उन में से ७६.८८ प्रतिशित को क्वाटर दिये जा चुके हैं जो शेष मध्य रेलवे के तत्समान आंकड़ों से अधिक हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में गन्ना अनुसन्धान केन्द्र

१९०९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गन्ने की किस्म सुधारने के लिए दो अनुसंधान केन्द्र खोले जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कहां कहां ;

(ग) इन पर आवर्त्तक और अनावर्त्तक कितना खर्च होगा ; और

(घ) ये केन्द्र कब से किसानों को अपने अनुसंधान से लाभ पहुंचाने लायक हो जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी, हां । एक केन्द्र हरिनगर जिला चम्पारन में गन्ने की जल लग्नता रोधी किस्मों का संकलन करने के लिए खोला गया है । दूसरा केन्द्र शाहबाद जिले में गन्ने की शुष्कता रोधी किस्मों को छांटने के लिए स्थापित करने की सम्भावना है ।

(ग) सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाना है जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इन केन्द्रों पर काम गन्ना प्रजनन संस्था, क्योम्बोटूर के साथ मिल कर पौद स्थिति से किया जाना है और इसके परिणाम ३ से ४ वर्षों में प्राप्त होने की सम्भावना है ।

गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन पुरस्कार

१९१०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के उत्पादकों के लिए घोषित १९६०–६१ के प्रोत्साहन पुरस्कार अभी तक नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १९६१–६२ में पुरस्कार देने के संबंध में निर्णय अभी तक नहीं हो सका है ;

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ; और

(घ) पुरस्कार प्रति वर्ष नियमित रूप से और फसल की बवाई के पहले दिया जा सके, इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, नहीं । १९६०-६१ की अखिल भारतीय गन्ना फसल प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं के नाम फरवरी, १९६२ में घोषित किये गए थे और अप्रैल, १९६२ में पुरस्कार दे दिए गए थे ।

(ख) जी, नहीं । १९६१–६२ की अखिल भारतीय गन्ना फसल प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं के नाम दिसम्बर, १९६२ में घोषित कर दिए गए थे और २५–१२–६२ को विजेताओं को पुरस्कार भी दे दिए गए थे ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पुरस्कार विजेताओं के नाम फसल की बुवाई से पूर्व घोषित करने के सम्बन्ध में पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं ।

उड़ीसा में नलकूपों की खुदाई

†१९११. **श्री उलाका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रयोगात्मक नल कूप खोदे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने नल कूप खोदे गये हैं तथा इस समय जिलावार खोदे जा रहे हैं ; और

(ग) उन में से कितने नलकूय सफल रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों में कोई प्रयोगात्मक सुराख नहीं खोदे गये हैं । १९५८–५९ में १५ खोदे गये हैं, जिस में से १३ सफल हुए हैं । अब निम्न ब्यौरे के अनुसार २४ और प्रयोगात्मक सुराख खोदने का विचार है :

१. मयूरगंज . . .	१२
२. बालासोर	७
३. पुरी	५
योग .	२४

मार्च १९६३ में मयूरगंज क्षेत्र में काम आरम्भ किया गया था ।

केन्द्रीय सड़क निधि

†१९१२. **श्री उलाका**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से उन कामों के कार्यक्रमों के बारे में अब तक कोई उत्तर मिला है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य को आवंटित राशि से किये जाने थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या कामों के विस्तृत कार्यक्रमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

† मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रक्षण से उन्हें दी गई १६ लाख रुपये की राशि से वित्त-पोषित किये जाने के लिये निम्नलिखित दो परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

(१)	सड़कों और भवनों के परीक्षण तथा नियंत्रण के लिये प्रयोगशाला की योजना	९ लाख रुपये
(२)	लायखिया के समीप काणार्क बालीघाट रोड पर कुशाभद्रा नदी पर एक पुल का निर्माण	७ लाख रुपये
	कुल . .	१६ लाख रुपये

वर्तमान आपात स्थिति को देखते हुए नये कामों के लिये जब तक योजना आयोग केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग किये जाने के बारे में निर्णय न कर ले, तब तक के लिये इन परियोजनाओं की स्वीकृति रोक ली गई है। इसके अतिरिक्त पुल के काम से सम्बन्धित कुछ और जानकारी की भी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में चावल का उत्पादन

†१९१३. **श्री उलाका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में उड़ीसा में कितने चावल का उत्पादन हुआ है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में अन्य राज्यों को भेजे गये चावल की मात्रा कितनी है; और

(ग) उसकी लागत क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९६१–६२ में उड़ीसा में चावल का उत्पादन ३७.०८ लाख टन था। १९६२–६३ में उत्पादन के कम होने की संभावना है परन्तु अंतिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में २८ मार्च, १९६३ तक रेल द्वारा भेजी गई चावल और धान की अनुमानित मात्रा, चावल के रूप में, इस प्रकार थी :—

१९६१–६२ (१-११-१९६१—३१-१०-१९६२)—३.५ लाख टन

१९६२–६३ (१-११-१९६२—२८-३-१९६३)—१ लाख टन

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि चावल और धान व्यापार खाते में भेजे गये थे।

उड़ीसा में खेती का उत्पादन

†१९१४. **श्री उलाका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). हां। १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में राज्य सरकार को वाणिज्यिक फसलों (सुपारी और नारियल) और अनाज की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों की खरीद तथा वितरण के लिये क्रमशः ७५,००० रुपये और ५ लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये थे।

उड़ीसा में डाक तथा तार घर

†**१९१५. श्री उलाका**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा में राज्यवार डाक तथा तार घरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में सरकार उनकी संख्या बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों की संख्या क्या है जहां इनके खोले जाने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११३८/६३]**

(ख) और (ग). हां।

वर्ष	**डाकघर**	***तारघर**
१९६३–६४	२३२	४२
१९६४–६५	२२७	२८

*सामान के उपलब्ध होने पर।

हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में बड़ा डाकघर

१९१६. { **श्री म० ला० द्विवेदी**:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री स० चं० सामन्त: }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर में अभी तक कोई भी हेड पोस्ट आफिस नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि हमीरपुर की डाक हमीरपुर से गुजर कर पहले बांदा जाती है, जो कि हमीरपुर से ६०–६५ मील की दूरी पर है और फिर वहां से वितरण के लिए हमीरपुर वापस आती है और हेड पोस्ट आफिस से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए हमीरपुर जिले की जनता को बांदा जाना पड़ता है;

(ग) क्या हमीरपुर में हैड पोस्ट आफिस खोलने की मांग की गई है; और

(घ) हमीरपुर में कब तक हैड पोस्ट आफिस खुल जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) हमीरपुर के साथ जिन डाकघरों के लेखे रखने का प्रस्ताव है उनकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि उसे प्रधान डाकघर में बदलना न्यायोचित हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (क) में दिये गये उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों को सहायता

†१९१७. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ६ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी फसल के लिये उनके साधनों को बढ़ाने के लिये किसानों को क्या सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** अच्छी किस्म के बीजों, उर्वरकों तथा खाद के संभरण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देहली प्रशासन ने विभिन्न कृषकों को सिंचाई संसाधन बढ़ाने के लिये ५०,००० रुपये की राशि दी थी । तकावी ऋण के रूप में (जिसके लिये १० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था) अग्रेतर सहायता की भेंट की गई थी परन्तु राष्ट्रीय संकट को देखते हुए लोगों ने उससे इन्कार कर दिया ।

आन्ध्र प्रदेश में चावल का समाहार

†१९१८. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चालू वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में चावल समाहृत कर रही है;

(ख) समाहार योजना का व्योरा क्या है; और

(ग) और किन राज्यों में चावल का समाहार किया जायेगा, कितनी मात्रा समाहृत की जायेगी तथा क्या मूल्य निर्धारित किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां ।

(ख) चालू वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में २.५ लाख टन चावल का समाहार किये जाने का विचार है । केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार द्वारा चावल मिल वालों से/व्यापारियों से स्वेच्छापूर्वक आधार पर खरीदा जा रहा है ।

(ग) भारत सरकार मध्य प्रदेश में पहले ही चावल का समाहार कर रही है । मद्रास और पंजाब की राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में भारत सरकार की ओर से चावल समाहृत कर रही हैं । उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी तथा भारत सरकार दोनों की ओर से चावल समाहृत कर रही है । आसाम, मैसूर, उड़ीसा तथा जम्मू और काश्मीर की सरकारें और त्रिपुरा तथा मनीपुर प्रशासन अपनी ओर से चावल/धान समाहृत कर रहे हैं ।

जिन मूल्यों पर चावल खरीदा जा रहा है वे अलग अलग किस्मों के लिये ३४.८३ रुपये और ७५.६९ रुपये प्रति क्विंटल के बीच बीच हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चालू वर्ष में अलग अलग राज्यों/प्रशासनों में चावल (चावल के रूप में धान सहित) की जिन मात्राओं के समाहृत किये जाने की संभावना है वे नीचे दी जाती हैं :—

राज्य/प्रशासन का नाम	('००० टनों में) सारे वर्ष में समाहृत की जाने वाली संभावित मात्रा
१. आन्ध्र प्रदेश	२५०
२. मद्रास	१००
३. मध्य प्रदेश	१००
४. पंजाब	१५०
५. उत्तर प्रदेश	१२०
६. आसाम	१२५
७. जम्मू तथा काश्मीर . .	२७
८. मैसूर	२५
९. मनीपुर	१
१०. उड़ीसा	३०
११. त्रिपुरा	५

बायो गैस सन्यन्त्र

†१९१९. **श्रीमती सावित्री निगम:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बायो गैस संयंत्र के सिलसिले में अनुसंधान कार्य करने के लिए १९६१-६२ में स्थापित किये गये अनुसंधान केन्द्रों की संख्या क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** बायो गैस संयंत्र के बारे में अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में किया जा रहा है। दो और केन्द्र भी हैं, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अजीतमाल, जिला इटावा में तथा दूसरा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के अधीन बोरीवली, बम्बई, में ।

बीकानेर डिवीजन में पटरी का बदला जाना

१९२०. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन की कोलायत ब्रांच में लगभग ३२ मील में आज से ९० वर्ष पुरानी ३४ पौंड की रेल पटरी बिछाई गई है जिस की वजह से इस पर भारी इंजन और माल-डिब्बे नहीं चल सकते ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन पटरियों को बदलना चाहती है ताकि इस की भारवहन क्षमता बढ़ जाये ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं। मौजूदा पटरियां ३६ पौण्ड की हैं जो १९०१ में बनायी गयी थीं और ६१ वर्ष पुरानी हैं ।

(ख) जी, हां । रेल-पथ के नवीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है । इस के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है और कार्य-स्थल पर सामान उपलब्ध होने के बाद शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जायेगा ।

जोधपुर डिवीजन के लिये रखे गये डिब्बे

†१९२१. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में मिलाये जाने के समय पुरानी जोधपुर रेलवे के पास डिब्बों का कुल कितना स्टाक था ;

(ख) इस समय जोधपुर डिवीजन के लिये कितने डिब्बे रखे जाते हैं ; और

(ग) रेलवे के लिए तथा पेट्रोल के टैंक और जिप्सम ले जाने के लिए जोधपुर डिवीजन में कितने डिब्बों का उपयोग होता है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) विलीनीकरण के समय भूतपूर्व जोधपुर स्टेट रेलवे में औसत डिब्बे १२९० थे ।

(ख) २१ मार्च से २८ मार्च, १९६३ तक की अवधि में जोधपुर डिवीजन में औसत डिब्बे १९३० थे ।

(ग) रेलवे सामग्री ढोने के लिये लगभग १५०, जिप्सम के लिये २१० तथा पेट्रोल परिवहन के लिये ४५० डिब्बों का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है ।

खतरे की जंजीर

१९२२. **श्री विश्नाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में ख़तरे की ज़ंजीर खींचने की (रेलवे-वार) कितनी घटनायें हुईं ; और

(ख) इस कारण प्रत्येक रेलवे को कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) एक बयान साथ नत्थी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११३९/६३]

सहकारी अनाज बैंक

†१९२३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सहकारी अनाज बैंकों के विकास के लिए कोई विशेष उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस दिशा में नवीनतम प्रगति क्या हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा में अनाज बैंकों के कार्यकरण की कोई विशेष जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो किन कमियों का पता चला है और उन्हें ठीक करने के लिए क्या करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) कुछ राज्यों में, विशेष कर आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मैसूर और पश्चिम बंगाल में कई एक अनाज बैंक हैं। बिहार, गुजरात, मद्रास और राजस्थान में भी अनाज गोले हैं परन्तु उन की संख्या अधिक नहीं है। अनाज गोलो के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ऐसे विशेष उपाय नहीं किये गये हैं और न ही करने का विचार है।

(ख) १९६०-६१ के सहकारी वर्ष के अन्त में देश में कुल ६,४१२ अनाज बैंक थे।

(ग) उड़ीसा सरकार ने १९५७ और १९६० में एक पुनर्विलोकन किया था। भारत के रक्षित बैंक के तीन अध्ययन दलों ने अलग-अलग वर्षों में उड़ीसा के अनाज बैंकों के कार्यकरण का अध्ययन किया था।

(घ) अध्ययनों से किन्हीं गम्भीर कमियों का पता नहीं चला था। मोटे मोटे निष्कर्ष ये थे :

(१) सदस्य संख्या धीरे धीरे बढ़ गई थी ;

(२) धान के निक्षेपों और धान के लिए ऋणों की वरीयता में कमी हो गई थी जिस से यह पता चलता था कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे समृद्ध हो रही थी जैसी कि आशा थी ;

(३) कृषकों के सभी वर्गों को ऋण की सुविधायें दी जाती थीं ;

(४) जटिल लेखों को रखने के लिये अनाज गोलों के पूर्णकालिक प्रशिक्षित सचिवों की एक बड़ी पदाली की आवश्यकता थी ; और

(५) समितियों के कड़े और अनवरत पर्यवेक्षण की आवश्यकता थी।

प्रशिक्षण हीन सचिवों को छः महीने का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने एक अवस्थागत कार्यक्रम तैयार किया है। अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं। अंश पूंजी योगदान द्वारा समितियों को सुदृढ़ बनाने का भी राज्य सरकार का अवस्थागत कार्यक्रम है।

मद्रास राज्य में मूंगफली के लिये पैकेज प्रोग्राम

†१९२४. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मूंगफली के पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्रीय तिलहन समिति द्वारा मद्रास राज्य को कोई राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई राशि कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) और (ख). मद्रास राज्य में मूंगफली के पैकेज प्रोग्राम के लिये १९६२-६३ में भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति द्वारा ६४,७१० रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण अर्काट तथा त्रिची जिलों में टेलीफोन

†१९२५. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में दक्षिण अर्काट तथा त्रिची जिलों के मुख्य नगरों और गांवों में टेलीफोन कनेक्शनों के दिये जाने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र अभी लम्बित पड़े हैं ?

(ख) तीसरी योजना अवधि में उपर्युक्त क्षेत्र स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है ; और

(ग) इस प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) --

त्रिची जिला . . .	१०५०
दक्षिण अर्काट जिला	२९८

(ख) तीसरी योजना में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित टलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नलिखित है :

त्रिची जिला .	१७
दक्षिण अर्काट जिला . .	१४

(ग) (ख) में उल्लिखित प्रस्तावित एक्सचेंजों की स्थापना कर के तथा वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके अतिरिक्त टेलीफोन कनेशक्शनों की व्यवस्था की जायेगी । तथापि, ऐसा उपकरण तथा सम्बद्ध सामान के उपलब्ध होने पर ही हो सकेगा ।

दक्षिण रेलवे की वर्कशापों में चोरियां

†१९२६. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **रेलवे** मंत्री १९६२ में दक्षिण रेलवे की वर्कशापों में पकड़े गये चोरी के मामलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : कुल ८८ मामले ।

डाक व तार परामर्शदात्री समितियां

१९२७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि डिवीजन स्तर पर डाक-तार विभाग की परामर्शदात्री समितियां नियुक्त करने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किये जा चुके है। प्रत्येक डाक मण्डल में एक एक मण्डल सलाहकार समिति होगी जिसम सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, साथ ही संसद् सदस्य तथा सम्बन्धित क्षेत्र के राज्य विधान सभा सदस्य भी रहेंगे । मई १९६३ से उक्त समितियां कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी । इन समितियों की बैठक छः महीने में एक बार हुआ करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रेणी १ के रेल डिब्बे

†१९२८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन सभी वर्षों में श्रेणी १ के रेल डिब्बों की दशा बिगड़ गई है ।

(ख) इस समय प्रत्येक डिब्बे में न्यूनतम क्या सुविधायें दी जाती हैं तथा यदि कोई सुधार करने का इरादा है तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या गलियारे वाले डिब्बे धीरे धीरे चलाये जायेंगे तथा यदि हां, तो उसका क्या कार्यक्रम है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी० ११४०/६३]**

(ग) जी हां । बड़ी लाइन पर नई प्रकार के सभी यात्री डिब्बे गलियारे वाले हैं । छोटी लाइन पर १९६३–६४ के लगभग मध्य से लेकर भविष्य में सभी यात्री डिब्बे गलियारे वाले होंगे ।

गलियारे वाले डिब्बों के निर्माण का अस्थायी कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

१९६३–६४ . .	लगभग ४८० बड़ी लाइन के डिब्बे तथा २५० छोटी लाइन के डिब्बे ।
१९६४–६५ . .	लगभग १७० बड़ी लाइन के डिब्बे तथा ७५० छोटी लाइन के डिब्बे ।

मोटर जहाज

१९२९. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का नौवहन निगम तिजारती बेड़े को मजबूत बनाने के लिये दो बड़े मोटर जहाज खरीदने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ये जहाज कितने टन के होंगे और कब तक उपलब्ध हो सकेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) भारत के नौवहन निगम के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में ल्युबेकर डिजाइन के दो मोटर जहाज बन रहे हैं ।

(ख) प्रत्येक जहाज १२,३०० टन अधिकतम धारिता और लगभग ९२०० टन सकल रजिस्टर धारिता का होगा । आशा है कि एक जहाज मई, १९६३ में और दूसरा अगस्त १९६३ में मिल जायेगा ।

रेल की पटरियों का बदला जाना

†१९३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर रेल की पुरानी पटरियों को बदलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिस ४२६.४० मील पटरी को बदला जाना है उसमें से ३१ मार्च, १९६३ तक १०८ मील को बदला जा चुका है ।

लघु सिंचाई परियोजनायें

†१९३१. श्री दलजीत सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९६१ और १९६२ के दौरान हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की गई कुल राशि बताने की कृपा करेंगे ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : १९६१-६२ और १९६२-६३ के दौरान हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार से है :—

	रुपये
१९६१–६२	१८,४६,८००
१९६२–६३ . . .	*१९,३४,५६०

*अपुष्ट आंकड़े ।

कीरतपुर साहिब के निकट सतलज पर पुल

†१९३२. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के होशियारपुर जिले में कीरतपुर साहिब के निकट सतलज नदी पर एक पुल के निर्माण के संबंध में पंजाब सरकार ने कोई योजना तथा प्राक्कलन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जी, नहीं । कीरतपुर साहिब के निकट सतलुज नदी पर यदि एक पुल का निर्माण किया जाता है, तो वह पुल राज्य की एक सड़क पर पड़ेगा । अतएव, उसका निर्माण मुख्यतया राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

चकबन्दी

†१९३३. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा राज्यों की योजनाओं में १९६३-६४ के लिये चकबन्दी से संबंधित कार्यों के लिये आवंटन नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे देश में खाद्य का अधिक उत्पादन करने में बाधा पड़ेगी ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी ११४१।६३]

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में डाक सेवायें

†१९३४. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें १९६२–६३ में डाक सेवायें प्रचलित थीं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : वर्ष १९६२–६३ के प्रारम्भ में भी पंजाब में एसे कोई गांव नहीं थे जिनमें कि डाक सेवा प्रचलित नहीं थी और सभी बसे हुये गांवों में डाक के वितरण की सुविधायें थीं। १९६२–६३ में डाक वितरण व्यवस्था की आवृत्ति में सुधार किये गये हैं। जिन गांवों में प्रतिदिन के लिये डाक सेवा की व्यवस्था है उनकी संख्या १ अप्रैल, १९६२ के १६,७९९ से बढ़कर १ मार्च, १९६३ को १७,४१२ हो गई है।

जहां तक नये डाकखाने खोलकर डाक सेवाओं का विस्तार करने का संबंध है, पंजाब में अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में, १९६२–६३ के दौरान २८ फरवरी, १९६३ तक २२७ नये डाकखाने खोले गये थे।

दिल्ली दुग्ध योजना के विरुद्ध शिकायतें

१९३५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में अधिकारियों से मिल कर भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा इस संबंध में क्या कोई शिष्टमंडल भी उनसे मिले हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन शिकायतों की जांच करवाई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किस निर्णय पर पहुंची है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार के बारे में सामान्य आरोप हैं। जी हां, ४ अप्रैल, १९६३ को मेरठ जिले के तीन निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) से मिला और उन्हें इन आरोपों के बारे में एक पत्र प्रस्तुत किया।

(ग) और (घ). शिकायतों की जांच की जा रही है।

चारा दाना तैयार करने का कारखाना

†१९३६. { श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आनन्द नामक स्थान में विदेशी सहायता से चारा-दाना तैयार करने का एक कारखाना प्रारम्भ किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है कितनी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त होगी ;

(ग) यह योजना किसने चलाई है ;

(घ) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग २८ लाख रुपये है। लगभग १४ लाख रुपये की सहायता दी जानी है ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा क्षुधा निवृत्ति आंदोलन के अधीन इस योजना को सहायता दी गई है ।

(घ) अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव मंगाये गये हैं ।

सान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर भोजन आदि की व्यवस्था[1]

†१९३७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांता क्रुज हवाई अड्डे पर भोजन आदि की व्यवस्था के विरूद्ध कोई नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या एयर इंडिया इस व्यवस्था से सन्तुष्ट है ; और

(ग) क्या सरकार ने भोजन व्यवस्था के ठेकों की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) सांता क्रुज हवाई अड्डे पर भोजन आदि की व्यवस्था के ठेकेदारों के विरूद्ध हाल ही में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) एयर इंडिया ने यह सूचना दी है कि पहले प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर इस मामले में असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के साथ चर्चा की गई थी, और उनके द्वारा उठाये गये कुछ कदमों के परिणामस्वरूप इसके सामान्य रूप में तथा स्वच्छता के स्तर में सराहनीय सुधार हुआ है । तथापि, अभी अन्य सुधार भी किये जा सकते हैं और एयरलाइन प्रचालक समिति की एक उप-समिति ने हवाई-अड्डा अधिकारी तथा जलपानगृह प्राधिकारियों को कुछ सुझाव दिये हैं जो कि स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था में यथासम्भव सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ग) वर्तमान ठेका ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाला है । उस तिथि से आगे ठेका देने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

रेलवे के वित्त आयुक्त का पद

†१९३८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री २२ जनवरी, १९६३ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे जांच समिति की यह सिफारिश स्वीकृत कर ली गई है कि रेलवे का वित्त आयुक्त केवल रेलवे के लेखा विभाग के अधिकारियों में से ही चुना जाना चाहिये ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Catering arrangements.

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). भारतीय रेलवे जांच समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि रेलवे का वित्त-आयुक्त केवल रेलवे के लेखा विभाग के अधिकारियों में से ही चुना जाना चाहिये। समिति निम्नलिखित सिफारिश की थी :

> "अग्रेतर, हम यह देखती हैं कि भूतकाल में या तो भारतीय प्रशासन सेवा (इँडियन सिविल सर्विस) अथवा लेखा तथा लेखा-परीक्षा सेवा का एक सदस्य ही सर्वदा वित्त आयुक्त के पद के लिये चुना गया है। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है क्योंकि भारतीय रेलवे लेखा सेवा इनकी तुलना में देर से प्रारम्भ हुई है तथा अभी तक इस सेवा का कोई भी अधिकारी इतना वरिष्ठ नहीं रहा है कि उसे वित्त आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के विषय में विचार किया जा सके। हम यह अनुभव करते हैं कि यदि वित्त आयुक्त के लिये चुने गये अधिकारी ने अपनी सेवा का अधिकांश समय रेलवे में लेखा अधिकारी के रूप में व्यय किया हो तो यह एक लाभप्रद बात होगी और, इस लिये हम यह विश्वास करते हैं कि भविष्य में इस पद पर नियुक्ति करने के लिये भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा सेवा के अधिकारियों के साथ साथ ही उपयुक्त वरिष्ठता वाले भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।"

यह वह स्थिति है जो कि २२ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ के उत्तर में बताई गई थी। वहां यह बताया गया था कि रेलवे के वित्त आयुक्त के पद पर नियुक्ति करने के लिये, रेलवे लेखा विभाग के अधिकारियों को मिला कर, सभी वित्त तथा लेखा विभागों के अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिये ब्रेक-ब्लाक

†१९३९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविदाकारी फ़र्मों द्वारा ब्रेक-ब्लॉकों का सम्भरण न किये जाने के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे में उनकी भारी कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खड़गपुर रेलवे कर्मशाला में उनका निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ब्रेक-ब्लॉकों के पर्याप्त संभरण को सुनिश्चित करने के लिये किन कदमों के उठाये जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामास्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे में १६ प्रकार के ब्रेक-ब्लॉक उपयोग में लाये जा रहे हैं। इन का निर्माण पहले ही से खड़गपुर कर्मशाला में हो रहा है। केवल दो प्रकार के ब्रेक-ब्लाकों के सम्बन्ध में व्यापार द्वारा सम्भरण प्राप्त किये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण विद्यालय

†१९४०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण विद्यालय समिति, १९६१ की सिफारिश संख्या २६९ में की गई वह सिफारिश स्वीकृत कर ली गई है कि संकेत अभियांत्रिकी तथा दूरसंचार रेलवे विद्यालय,[1]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Railways School of Signal Engineering and Telecommunications.

सिकन्दराबाद को नियमित रूप से अपने उपकरणों में वृद्धि करनी चाहिये तथा सभी प्रकार के आधुनिक उपकरणों के नमूने एकत्रित करने चाहिये जिससे कि पुनर्अभ्यास पाठ्यक्रमों में वर्तमान पद्धति में हुए नवीनतम विकासों तथा सुधारों को सम्मिलित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा आबंटित कर दी गई है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां उस सीमा तक जिस तक कि पाठ्यक्रमों के लिये इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है।

(ख) ३९ हजार रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा के लिये पहले ही मंजूरी दी गई है और यदि यह न्यायसंगत होगा तो और अधिक मंजूरी दी जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण संस्थायें

१९४१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण विद्यालय समिति, १९६१ की इन सिफारिशों की जांच की है कि रेलवे अधिकारियों की तीन प्रशिक्षण संस्थाओं को केन्द्रीय रूप से स्थित करने के लिये सिकन्दराबाद एक आदर्श स्थान होगा; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) एक ही स्थान पर, अधिकारियों के सभी प्रशिक्षणों को केन्द्रित करने की सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४

†१९४२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाज़ोल (माल्दा) तथा रायगंज (पश्चिम दिनाजपुर) के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ को पूरा करने के कार्य को कब प्रारम्भ किया जा रहा है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कलकत्ता तथा सिलीगुड़ी के बीच की मुख्य सड़क है इस कार्य को कोई पूर्ववर्तिता दी गई है; और

(ग) क्या इसके निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को धन दे दिया गया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ के गाज़ोल-रायगंज भाग का निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है तथा लगभग ८० प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस भाग की सभी पुलियों का निर्माण किया जा चुका है। इस भाग में चार बिना पुल के क्रासिंग तथा ६ छोटे छोटे तथा कमज़ोर पुल हैं और उनके निर्माण के लिये तृतीय योजना में उपबन्ध किया गया है। चालू योजना काल के दौरान सभी निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां । परन्तु पूर्ववर्तिता बहुत उच्च नहीं है क्योंकि राज्य के राजमार्ग के साथ साथ सीधे यातायात के लिये एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है ।

(ग) जी, हां ।

पूर्व रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवा वर्ग के स्थान*

†१६४३. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६२ में पूर्व रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवा वर्ग के कितने रिक्त स्थान भरे गये थे;

(ख) उन में से कितने स्थान रेलवे बोर्ड के आदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे; और

(ग) कितने सुरक्षित स्थान भरे गये थे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को उन्नति दे कर द्वितीय श्रेणी के १२३ स्थान भरे गये थे ।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित किये गये १४ रिक्त स्थानों में से केवल एक ही स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा भरा गया था क्योंकि शेष अनुसुचित जातियों के अभ्यर्थी उन्नति देने के लिये उपयुक्त नहीं समझे गये थे ।

पूर्व रेलवे में कार्यालय अधीक्षक

†१६४४. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से लेकर १९५९ के दौरान पूर्व रेलवे में ४५० रु०—५७५ रु० के पदक्रम में कार्यालय अधीक्षकों के कुल कितने स्थान भरे गये थे;

(ख) उन में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे; और

(ग) यह अभ्यर्थी कितने स्थानों पर रखे गये थे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) शून्य ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

ए० पी० ओ० के स्थान के लिये पदोन्नति

†१६४५. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६२–६३ में पूर्व रेलवे में ए० पी० ओ० के पदों के लिये पदोन्नति करने के हेतु कितनी परीक्षायें की गई थीं;

(ख) अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिये कितना कोटा सुरक्षित रखा गया था; और

(ग) कितने स्थान अनुसूजित जातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Lower Gazetted ServicGrade Posts.

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** (क) प्रत्येक वर्ष में एक।

(ख) सभी द्वितीय श्रेणी के पदस्थानों के लिये कुल कोटा निर्धारित कर दिया गया था और अलग अलग पदों के लिये नहीं। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिये किया गया था कि, यदि किसी प्रकार सम्भव हो सके तो, एक विभाग में जो कमी है वह दूसरे विभाग में पूरी हो जाये। १९६०–६१ के लिये कुल कोटा ७ था जब कि १९६२–६३ के लिये ४ था।

(ग) १९६०-६१ के चयन में तीन तथा १९६२-६३ के चयन में दो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विचार किया गया था। उन में से कोई भी अभ्यर्थी ए० पी० ओ० के पद पर पदोन्नति देने के उपयुक्त नहीं समझा गया।

केरल राज्य के सम्बन्ध में प्रचार सामग्री

†१९४६. **श्री अ० ब० राघवन् :**
श्री प० कुन्हन् :
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये केरल राज्य के सम्बन्ध में प्रचार सामग्री तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब मुद्रित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** (क) और (ख). पर्यटक विभाग ने पहले ही से केरल राज्य के सम्बन्ध में पर्यटक प्रचार सामग्री तैयार कर रखी है। इसमें निम्नलिखित वस्तुयें सम्मिलित हैं :—

(१) दो फोल्डर (विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों के उपयोग के लिये) ;

(२) "मैसूर तथा केरल के लिये संदर्शका" नामक एक संदर्शिका ; और

(३) केरल के भू-दृश्यों को प्रदर्शित करता हुआ एक पोस्टर।

इसके अतिरिक्त सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के चलचित्र विभाग द्वारा केरल पर एक रंगीन चलचित्र का भी निर्माण किया गया है और विदेशों में तथा भारत में हमारे पर्यटक कार्यालयों एवं विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा प्रदर्शित किये जाने के लिये इस चलचित्र की कापियों खरीद ली गई हैं।

ब्रह्मपुत्र पुल

†१९४७. **श्री हेम बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र पुल माल यातायात के लिये ३१ अक्टूबर, १९६२ को तथा यात्री यातायात के लिये १६ जनवरी, १९६३ को खोल दिया गया था और तब से नियमित रूप से सेवायें चल रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रह्मपुत्र पुल का औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन कराने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितने रुपये की मंजूरी दी गई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पांच सौ रुपये ।

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम

†**१६४८. श्री राम हरख यादव** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकार विकास तथा भाण्डागार बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम के कार्य संचालन में कोई सारपूर्ण परिवर्तन किया जाना है ; और

(ग) निगम का कार्य विधान तथा कर्मचारिवृन्द क्या होंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) राष्ट्रीय सहकार विकास तथा भाण्डागार बोर्ड के स्थान पर १४ मार्च, १९६३ से राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अधिनियम, १९६२ के अधीन राष्ट्रीय सहकार विकास निगम गठित किया था।

(ख) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अधिनियम, १९६२ के उपबन्धों के अनुसार निगम का भाण्डागार के सम्बन्ध में कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(ग) अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें निगम के कर्मचारिवृन्द दिखाये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी० ११४२/६३]** । निगम ने (१) सहकारी साख, (२) सहकारी विपणन, संभरण तथा भंडार, (३) सहकारी परिष्करण तथा (४) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के लिये चार कार्यकारी समितियां गठित करने का निश्चय किया है । प्रतिष्ठित गैर-सरकारी व्यक्तियों को इन समितियों में रखा जायेगा, जो कि अपनी विज्ञ मंत्रणा निगम को देंगे ।

काल कालीघाट धर्मनगर रेलवे लाइन

†**१६४९. श्री नि० र० लास्कर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमा रेलवे में "काल कालीघाट–धर्मनगर" लाइन का नया निर्माण निश्चित समय में पूरा हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह यात्री तथा माल यातायात के लिए कब खोली जायेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). कार्य सन्तोषजनक रूप में हो रहा है और आशा है कि लाइन माल यातायात के लिए ३०-९-६३ को और यात्री यातायात के लिए ३१-१२-६३ को खुलेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नीमाती में वैगन

†१९५०. **श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर सीमा रेलवे में नीमाती में भरे जाने के बाद रास्ते में रोक लिये जाते हैं ग्रौर कभी नीमाती से तिनसुकिया पहुंचने में बीस दिन लग जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) मामले में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) से (ग). प्राय नीमाती में तिनसुकिया के लिए भरे जाने के बाद रास्ते में नहीं रोके जाते। मार्च, १९६३ में केवल एक वैगन को नीमाती में नौकाचरण में होने के बाद तिनसुकिया पहुंचने में २० दिन लगे ग्रौर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन इसके कारण की जांच पड़ताल कर रहा है ?

भद्र नगर में राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग रेखण

†१९५१. **श्री गो० महन्ती :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री उड़ीसा के भद्रक नगर में राष्ट्रीय राजपथ मार्ग-रेखा पर संबंधी २६ मार्च १९६३ के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन ग्रौर नवीन निर्माण के ग्राण्ड ट्रंक रोड को दो मिलाने वाले स्थानों के बीच कितनी दूरी है ;

(ख) पुराने व नये मार्ग-रेखण के ग्रनुसार ग्रर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल क्या है ; ग्रौर

(ग) इन दोनों मार्ग-रेखण का ग्रलग ग्रलग व्यय कितना है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती):** (क) राष्ट्रीय राजपथ (संख्या ५) के जो भद्रक नगर के पास से जाती हैं, मिलाने वाले दो स्थानों के बीच ११८८० फीट की पुरानी मार्ग रेखा ग्रौर १२९९८ फीट की नई मार्ग-रेखा के ग्रनुसार दूरी है।

(ख) पुराने मार्ग-रेखण के ग्रनुसार ग्रपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल २७.२ एकड़ तथा नवीन मार्ग रेखण के ग्रनुसार ५९.८ एकड़ होगा।

(ग) ग्रर्जन लागत का ब्यौरा ग्रभी उपलब्ध नहीं है। वह लगभग १३.६० लाख रु० पुराने मार्ग-रेखणानुसार ग्रौर ५.९८ लाख रु० नवीन मार्ग-रेखणानुसार होगी।

उर्वरकों की कमी

१९५२. **श्री ग्रोंकारलाल बैरवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों की कमी को ध्यान में रखते हुए जून में एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस में किस-किस जगह के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

लेवल क्रासिंग पर दुर्घटना

†१६५३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली दो तिमाही में रेलवे के लेवल क्रासिंगों पर कितनी दुर्घटनायें हुई; और

(ख) इनमें जान-माल की कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) सतत्तर।

(ख) सोलह व्यक्ति मरे। लगभग ४,२०३ रु० की लागत की रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

रेल दुर्घटना

†१६५४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूना भट्टा के पास एक रेलवे फाटक पर गुरुवार, २८ मार्च, १६६३ को डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे की एक यात्री रेलगाड़ी के इंजन से एक मोटर ठेला टकरा गया ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) हां। दुर्घटना बिना दर्बान के फाटक पर हुई थी जो डेहरी-आन-सोने स्टेशन के वाह्य सिग्नल के पास है।

(ख) मोटर ठेले के ड्राइवर और क्लीनर को चोट आई।

(ग) मोटर ठेले के ड्राइवर ने इंजन के सीटी देने पर भी आती हुई रेलगाड़ी के सामने से जाने का प्रयास किया।

उपभोक्ता स्टोर

†१६५५. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश के कौन कौन नगर उपभोक्ता स्टोरों के संगठन की केन्द्रीय सरकारी योजना के अन्तर्गत आये ;

(ख) कौन कौन नगर १६६३-६४ में योजना के अन्तर्गत आयेंगे ;

(ग) १६६२-६३ और १६६३-६४ में आन्ध्र प्रदेश में योजना पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) उस राज्य में १६६२-६३ में योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) पांच नगर अर्थात् (१) हैदराबाद ; (२) विशाखापटनम ; (३) विजयवाड़ा ; (४) वारंगल ; और (५) कुरनूल ।

(ख) १९६३-६४ में योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्यारह नगरों के चुनाव पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

(ग) १९६२-६३ में लगभग १८.८३ लाख रु० और १९६३-६४ में लगभग ५५.४८ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है ।

(घ) हैदराबाद में एक थोक स्टोर से ८५६२ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है । १९६२-६३ में अन्य स्टोरों का काम आरम्भ नहीं हुआ था ।

तम्बाकू उत्पादकों को उर्वरकों का आवंटन

†**१९५६. श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ और १९६३-६४ में वरजीनिया तम्बाकू उत्पादकों को अमोनियम सल्फेट तथा अन्य रासायनक खादों के कोई विशेष कोटे आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को इस कार्य के लिए प्रति एकड़ कितना कोटा आवंटित किया गया ; और

(ग) १९६२-६३ में विभिन्न राज्यों को तम्बाकू उत्पादकों में बांटने के लिए विभिन्न रासायनिक खादों की कितनी मात्रायें दी गईं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). हां, १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश में शोधित वरजीनिया उत्पादकों में बांटने के लिए ८००० मीट्रक टन का विशेष कोटा दिया गया था । चालू वर्ष, अर्थात् १९६३-६४ में १२,००० टन अमोनियन सल्फेट का विशेष कोटा इसी कार्य के लिए आन्ध्र प्रदेश को दिया गया है । प्रयोग करने की दर १०० पौंड अमोनियम सल्फेट प्रति एकड़ है ।

(ग) १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश में वरजीनिया तम्बाकू -उत्पादकों को वस्तुतः ४,९९७ मीट्रक टन बांटा गया । अन्य राज्यों के उत्पादकों को विभिन्न राज्यों को दिये गये सामान्य कोटा में से उर्वरक मिलते हैं ।

हिमालय की जड़ी बूटियों के सम्बन्ध में गवेषणा

१९५७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धानशाला ने हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वन औषधियों का अध्ययन किया है जो पोषक तत्वों से भरपूर है ;

(ख) क्या उन्हें सर्वजन सुलभ बनाने के प्रयोग में सफलता मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । वन अनुसंधान शाला ने हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली डायोसकोरिया और उप-हिमालय प्रदेश में पाई जाने वाली प्यूरेरिया ट्यूवरोसा की कुछ पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों के बारे में अनुसन्धान किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). ये अनुसंधानात्मक परीक्षण एक प्रयोगशाला स्तर पर सफलता-पूर्वक किये गये। यद्यपि उन में एक नान-सीरियल खाद्य की संभाव्य शक्ति मौजूद है फिर भी अभी तक इन किस्मों को खुराक और चारे के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं।

सब्जी की मांग

१९५८. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प० वेंकटासुब्बया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात की घोषणा के बाद सब्जी, दाल, मांस, मछली और फलों की मांग में काफी वृद्धि हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने (१) १०० ज़िलों में दालों और मिलेट (२) आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमान्त राज्यों में सब्जियां ; और (३) ४० शहरों में शीघ्र उगने वाले फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से एक कार्यक्रम की सिफारिश की है। मांस तथा अन्डों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उच्च स्तर पर १६ सघन अन्डे तथा कुक्कुट उत्पादन और विपणन केन्द्रों की स्थापना करने, चार क्षेत्रीय कुक्कुट फार्मों का विस्तार करने, अन्डों के लिये छोटे स्तर पर कुक्कुट पालन विकास खण्डों के कार्यों में तेजी लाने, दुग्ध योजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में १६४ सघन पशु विकास केन्द्रों की स्थापना करने आदि विशेष कार्यक्रमों के सम्बंध में भी राज्य सरकारों से सिफारिश की गई हैं। मछली पकड़ने की नौकाओं के यन्त्रीकरण, मछली पकड़ने वाली कम्पनियों की स्थापना करने, डिब्बों में बन्द तथा जमी हुई मछलियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने, परिवहन तथा प्रशीतन की अधिकाधिक सुविधायें देने, विपणन और वितरण तथा देश के आन्तरिक भागों में मछली पालन का सघन विकास इत्यादि कुछ कदम हैं जो कि मछली उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये उठाये गये है। देश के ६०० खण्डों में सघन मछली पालन का कार्य शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर पुल

†१९५९. **श्री नम्बियार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कासी से कन्या कुमारी तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर राष्ट्रीय राजपथ के स्तर के पुल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** इस राजपथ पर राष्ट्रीय राजपथ के स्तर से नीचे स्तर के अनेक पुल हैं। यह राजपथ १५०३ मील लम्बा है। धन के अभाव के कारण, इन पुलों को सबल बनाना या पुनः बनाने का काम आरम्भ करना संभव नहीं है। फिर भी, गायब पुलों को राष्ट्रीय राजपथ के स्तर का बनाये जा रहे हैं। केवल वे कमजोर पुल जो खतरनाक हालत में हैं वे राष्ट्रीय राजपथ के स्तर पर पुनः बनाये जा रहे है। धन की सुविधा होने पर चौथी योजना में सभी पुलों को राष्ट्रीय राजपथ के स्तर पर बना दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मद्रास में मीन क्षेत्रों का विकास

†१९६०. **श्री नम्बियार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में मीन क्षेत्रों के विकास की उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो १९६२-६३ में मद्रास राज्य को कितना धन दिया गया और बनाई गई योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) १९६२-६३ में निम्नलिखित योजनाओं के लिए मद्रास को ५०.३७ लाख रु० दिये गये :

(१) मच्छली पकड़ने की उत्तम नौकाओं का संभरण ।

(२) नाइलोन जाल तथा अन्य वस्तुओं का संभरण ।

(३) मछली के बीच का समूहन तथा वितरण ।

(४) मछली पकड़ने के बन्दरगाहों और नदियों के मछुओं पर उतरने की सुविधाओं का विकास ।

(५) मछली साफ करने के यार्ड ।

(६) बर्फ का कारखाना तथा शीतागार की सुविधायें ।

(७) उतारने के स्थानों से बाजारों या उपभोक्ता-केन्द्रों को मछलियों का शीघ्र भेजना ।

(८) मछली बाजार में सुधार ।

(९) मछियारा सहकारी समितियों को ऋण ।

(१०) बड़े जलाशय-मीन क्षेत्रों का विकास ।

(११) मनाकुडी में मुहाना मछली फार्म की स्थापना ।

(१२) कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

(१३) मछली पकड़ने की शिल्पि में सुधार करने के साधनों संबंधी अनुसंधान ।

(१४) डिब्बाबन्दी, मछली भोजन, तेल तथा उप-उत्पादों सहित शोधन ।

(१५) गहरे समुद्र में मछली पकड़ना ।

डिण्डीगुल में रेलवे डाक सेवा विभाग

†१९६१. **श्री नम्बियार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सर्किल में डिण्डीगुल में एक रेलवे डाक सेवा विभाग आरम्भ करने की निरन्तर मांग थी ;

(ख) यदि हां, तो नया विभाग कब खोला जायेगा ; और

(ग) १९६२-६३ में मद्रास सर्किल में ऐसे कितने विभाग खोले गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) हां ।

(ख) डिण्डीगल में एक नया रेलवे डाक सेवा विभाग स्थापित करने का विचार नहीं है परन्तु वहां यथाशीघ्र जैसे ही उपयुक्त इमारत मिलेगी एक सार्टिग कार्यालय खोलने का विचार है ।

(ग) १९६२-६३ में मद्रास सर्किल में कोई नया रेलवे डाक सेवा विभाग नहीं खोला गया । फिर भी, १-८-६२ से चिदम्बरम में एक सार्टिग कार्यालय खोला गया ।

रेलवे डाक सेवा का ई० के० १७ विभाग

†१९६२. **श्री नम्बियार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तथा केरल सर्किलों के बीच रेलवे डाक सेवा के लिए स्टेशन कोटा में ई०के० १७ के द्विविभाजन के विरुद्ध अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मांग की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). ई० के० १७ विभाग को मद्रास सर्किल भेजने की मांग थी और दूसरी ओर उसे केरल सर्किल में रखने की भी मांग थी । शेनकोट्टा में विभाग का द्वि-विभाजन करने का निश्चय संचालनात्मक आवश्यकताओं और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रख कर किया गया। क्योंकि पुनरीक्षित व्यवस्था सन्तोषजनक है, इसलिए पहिले व्यवस्था पुनः करने का विचार नहीं है ।

चन्दन के वृक्ष

†१९६३. **श्री नम्बियार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्दन वृक्षों के परिरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) ऐसे वृक्ष किन राज्यों में हैं ;

(ग) इन वृक्षों की वर्तमान संख्या क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने चिड़ियों द्वारा प्राकृतिक ढंग के अलावा और कोई ढंग मालूम किया है जिससे इन वृक्षों की वृद्धि हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (घ) संबंधित राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्राली बसें

†१९६४. **श्री याज्ञिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी ट्राली बसें जिन पर भारतीय रेलवे अधिनियम लागू होता है;

(ख) क्या ट्राली बसों को चलाने के पट्टे रेलवे मंत्रालय देता है या राज्य सरकारें देती हैं ;

(ग) पट्टों या करारों की, जो ट्राली बसों के मालिकों के साथ किये गये हैं, सामान्य शर्तें क्या हैं ; और

(घ) गैर सरकारी व्यक्तियों, पंजीबद्ध कम्पनियों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा आज कल चलाई जा रही ट्राली बसों की क्या संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) भारतीय रेलवे अधिनियम ट्राली बसों पर लागू नहीं होता ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से रेलवे मंत्रालय द्वारा पट्टे दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । पट्टे राज्य सरकार या स्वायत्त शासी निकाय, जैसी भी स्थिति हो, देंगे ।

(ग) और (घ). जानकारी तत्काल सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

तीर्थयात्री कर में वृद्धि

†१९६५. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल द्वारा कुरुक्षेत्र तथा थनेसर जाने व वहाँ से आने वाले तीर्थयात्रियों पर अधिकर की दर बढ़ाने का सरकर का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और वृद्धि कितनी होगी ; और

(ग) क्या कर से कोई छूट भी दी जायेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) आजकल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रेलवे यात्री यात्रान्त कर अधिनियम, १९५६ की धारा ६ के अन्तर्गत निम्न श्रेणियों के यात्रियों पर यह कर नहीं लगता :—

(१) तीन वर्ष से अनधि आयु के बच्चे,

(२) रेलवे वारन्ट पर यात्रा करने वाले पुलिस अधिकारी ;

(३) सेना वारन्ट पर यात्रा करने वाले तथा गाड़ीदर पर रक्षित गाड़ी में यात्रा करने वाले जवान ; और

(४) निःशुल्क पास पर यात्रा करने वाले ।

बीज फार्म

†१९६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में बीज के फार्म स्थापित करने के लिये पंजाब सरकार को कुल कितना धन दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : १९५८–५९ में विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के लिये लागू पुनंरक्षित वित्तीय प्रक्रिया के अधीन वर्ष के आरम्भ में विकास शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों को बता दिया गया है तथा विकास शीर्षों के अनुसार वर्ष के अन्त के लिये स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति राज्यवार पहली तीन चौथाई (अप्रैल से दिसम्बर, १९६२) तथा अन्तिम चौथाई (जनवरी से मार्च, १९६३) में पूर्वानुमानित व्यय के आधार पर दी जाती है । विपणन, छोटी सिंचाई तथा भूमि विकास समेत कृषि विकास उत्पादन, शीर्षक के अधीन १९६२–६३ के लिये १.८१ करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की गई थी । इसमें बीज के फार्म के लिये धनराशि भी शामिल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर इन्द्रावती नदी पर पुल

१९६७. श्री लखमू भवानी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर इन्द्रावती नदी का पुल बरसात के दिनों में पानी में डूब जाता है जिससे परिवहन और संचार की दृष्टि से जगदलपुर का भारत के शेष भाग से संबंध कई दिनों के लिये टूट जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल को ऊंचा करने के संबंध में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां। बरसात के दिनों में इन्द्रावती पुल पर यातायात में रुकावट आ जाती है।

(ख) जी नहीं। मौजूदा पुल से नीचे की ओर चित्रकोट पर इन्द्रावती नदी पर एक डेम बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित ऊंचे पुल की डिजाइन पूर्ण जलाशय की सतह पर ही आश्रित होगी, अतः प्रस्तावित डाम निर्माण योजना को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने पर ही पुल का निर्माण शुरू किया जा सकता है।

रायपुर तक टेलीप्रिंटर लाइन

१९६८. श्री लखमू भवानी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर में टेलीप्रिंटर की लाइन देने के विषय में शासन ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : रायपुर के लिये एक टेलीप्रिंटर लाइन पहले से ही मौजूद है।

रायपुर के पास मालगाड़ियों की टक्कर

१९६९. श्री लखमू भवानी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में रायपुर के पास दो माल गाड़ियों के बीच भिड़न्त हो गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस भिड़न्त में एक डीजल इंजन पूरी तरह नष्ट हो गया था ; और

(ग) यह दुर्घटना किन कारणों से हुई और उसमें कितने रुपयों की क्षति हुई ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

कटनी के पास रेल दुर्घटना

१९७०. श्री लखमू भवानी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटनी के पास इस मास एक डीजल इंजन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) दुर्घटना किन कारणों से हुई ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुये ;

(घ) इसमें कितनी क्षति हुई ; और

(ङ) क्या दुर्घटना की जाँच की जा रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २३-३-६३ को कटनी के पास अप डीजल लाइट इंजन और टी ३५ डाउन माल गाड़ी के डीजल इंजन में आमने सामने की टक्कर हुई ।

(ख) कारणों की जाँच की जा रही है ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई । एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुआ और सात को मामूली चोटें आयीं ।

(घ) रेल-सम्पत्ति को लगभग १०,०४,५०० रुपये का नुकसान पहुंचा ।

(ङ) जी हाँ ।

अण्डों का उत्पादन

†१९७१. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गियों को खाने में विटामिन 'सी' देने से अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका कोई फल निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). मुर्गियों के खाने में विटामिन 'सी' देने से अण्डों का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। विटामिन 'सी' पक्षियों के शरीर में स्वयं बनता है। इसलिये मुर्गियों को खाने में नहीं दिया जाता है। परन्तु अण्डों तथा माँस का उत्पादन बढ़ाने के लिये मुर्गियों के खाने में कृत्रिम विटामन ए, बी२ तथा डी३ दिया जाता है ।

जुंड-कांडला रेलवे लाइन

†१९७२. **श्री याज्ञिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुंड-कांडला रेलवे लाइन चालू किये जाने के लिये कब तैयार हो जायेगी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे के इस सैक्शन को उच्च प्राथमिकता देने का है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामवस्वामी) :** (क) इस परियोजना के लिये कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सहकारी बैंक

१९७३. श्री यू० सिं० चौधरी : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक से सामुदायिक विकास के कार्य को अधिक तेजी से करने के हेतु राज्य सहकारी बैंकों को दी जाने वाली रकम में वृद्धि तथा ब्याज में कमी करने का सुझाव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सहकारी ऋण समिति (१९६०) की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने कृषि उत्पादन के लिये दिये जाने वाले अल्पकालिक ऋणों की ऋण सीमाओं के प्रतिमान उदार कर दिये हैं। अपनी निधि पर आधारित पुराने तथा वर्तमान प्रतिमान नीचे दिये जाते हैं :—

(१) १९६०–६१ के अन्त तक के प्रतिमान

केन्द्रीय सहकारी बैंक का लेखा परीक्षा वर्गीकरण	सामान्य	विशिष्ट
'क' . .	३ गुना	४ गुना
'ख'	२ गुना	३ गुना
'ग'	. .	२ गुना

(२) नए प्रतिमान

लेखा परीक्षा वर्गीकरण	सामान्य	अतिरिक्त
'क'	४ गुना	२ गुना तक
'ख'	३ गुना	अपनी निधि के बराबर
'ग'	३ गुना	खास मामलों में अपनी निधि के बराबर।

यद्यपि अधिकतम ऋण सीमायें ये हैं तो भी वास्तविक सीमायें आर्थिक सुस्थिति, बकाया की सीमा, व्यवस्था का स्वरूप, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करेंगी।

जहाँ तक ब्याज का संबंध है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया हमेशा कृषि उत्पादन के लिये दिये जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर बैंक दर से २ प्रतिशत कम रियायती दर लेता रहा है।

भद्राचलम रोड तथा कोलियेरी साईडिंग के बीच रेलवे लाइन

†१९७४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भद्राचलम रोड तथा कोलियरी साइडिंग के बीच रेलवे लाइन को सुदृढ़ बनाने का काम कब किया जायेगा

(ख) क्या केन्द्रीय रेलवे प्रशासन को जानकारी है कि इस सैक्शन पर गिट्टियां नहीं हैं ; और

(ग) रेलवे लाइन को सुदृढ़ बनाने के लिये १९६३–६४ में कितनी धन राशि कम की जायेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ज्यूंही मैसर्स सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी प्राक्कलन अस्वीकार करेगी तथा व्यय का अपना भाग जमा करेगी त्यूंही काम आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ख) रेलवे लाइन के साथ साथ जो फर्म गिट्टियां इकट्ठा कर रही है वही गिट्टियों की व्यवस्था करेंगी ।

(ग) काम की लागत १३·२४ लाख रुपये है । यदि फर्म प्राक्कलन स्वीकार करती है तथा व्यय का अंश शीघ्र जमा करती है तो समस्त धन १९६३–६४ में व्यय हो जाने की आशा है ।

मैसूर राज्य में उर्वरक का वितरण

†१९७५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में उर्वरक के संभरण में विलम्ब न होने देने के लिए उस राज्य में किसानों को वितरण के लिए उर्वरक प्रत्यक्ष अधिकरण को संभारित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वितरण कार्य कौन से अभिकरण करते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विवणन सहकारी समिति, जिला तालुका तथा उनकी गांव समितियां विधान अत्यधिक कमीशन तथा समय लेती है जिसके कारण ऊंचे मूल्य हो जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई प्रत्यक्ष वितरण से व्यवस्था की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (घ). राज्य सरकारों से जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ की तार प्रणाली

†१९७६. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोआ की तार प्रणाली हाल में ही टूट गयी थी जिसके परिणामस्वरूप उसका संबंध शेष देश से टूट गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रणाली को ठीक बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां । १/२ अप्रैल, १९६३ की रात्रि की लगभग १० घंटे के लिए गोआ का शेष भारत के बीच संचार व्यवस्था टूट गई थीं ।

(ख) बेलगांव तथा पंजिम को मिलाने वाली लाइन टूट जाने से यह गड़बड़ी हुई ।

(ग) क्योंकि टूट जाने के कारण बाधा अभी तक बनी हुई है । परन्तु बेलगांव और पंजिम को मिलाने वाली लाइन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

वर्कमैनों तथा लाइनमैनों की भर्ती

†१९७७. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के टेलीफोन सैक्शन में वर्कमैन तथा लाइनमैनों के स्थायी पदों की भर्ती के तरीके क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त पदों के लिए सैनिक मजूरी श्रमिकों में से परीक्षा के लिए अभ्यार्थियों के नामों की सूची बनाने की प्रक्रिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सूची बनाने का आधार क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) (१) **वर्कमैन** : आकस्मिक मजदूर जिनको काम दिलाऊ दफ्तर ने भेजा है तथा जिनको बहुत अनुभव है तथा जो निर्धारित आयु सीमा में हैं, उनको वर्कमैन नियुक्त किया जाता है । उपयुक्त आकस्मिक मजदूरी की अनुपलब्धता होने पर काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा बाहर से भरती की जाती है ।

(२) **लाइनमैन** : ५ प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जैसे बालक चपरासी के लिए रक्षित हैं । ५० प्रतिशत लाइन वर्कमैनों से मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के टेलिफोन जिलों में क्योंकि वहां पर लाइन वर्कमैनों की नियमित श्रेणी हो । शेष रिक्त पदों पर मुख्य मजदूर नियुक्त किए जाते हैं और यदि पर्याप्त संख्या में मुख्य मजदूर नहीं मिलते हैं तो उन मजदूरों में से जिनकी न्यूनतम सेवा निर्माण कार्य में छः माह हो अथवा जिन लोगों ने मान्यता प्राप्त पोलिटैक्निक/स्कूल में पर्याप्त प्रशिक्षण लिया हो । अभ्यर्थी साक्षर, शक्तिशाली होना चाहिये जो बिना सीढ़ी के खम्भों पर चढ़ सके तथा धूप अधिक समय तक सह सके ।

(ख) जी हां, लाइनमैनों के लिए ।

(ग) मुख्य मजदूरों तथा मजदूरों में से लाइनमैनों का चुनाव करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें उनके द्वारा किये गये विशिष्ट कार्यों उनका इतिहास, उनकी योग्यता, वारिष्टों की सिफारिशें तथा सबडिविजनल अफसरों के विचार होते हैं ।

सदस्य द्वारा हिरासत के लिए समर्पण

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे हैदराबाद के "सेन्ट्रल प्रिजन" के सुपरिन्टेंडेन्ट से ११ अप्रैल १९६३ का लिखा हुआ निम्न पत्र मिला है :—

"मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लोक सभा के सदस्य श्री कोल्ला वेंकैया ने, जिनको 'पैरोल' पर रिहा किया गया था, "पैरोल" की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने स्वयं को ११ अप्रैल, १९६३ को जेल में समर्पण कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर): मैं प्राक्कलन समिति का छत्तीसवां प्रदिवेदन जो कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत का औद्योगिक वित्त निगम नयी दिल्ली के बारे में हैं, को प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें

आर्थिक और प्रतिरक्षा मन्त्रालय—जारी

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं गैर सरकारी क्षेत्र में शस्त्रों के निर्माण का उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने इस बात का विरोध किया था, परन्तु हमारी आलोचना के बावजूद गैर-सरकारी क्षेत्र में 'फ्यूज' आदि के निर्माण की अनुमति दी जा रही है। मेरे विचार में यह एक गलत राजनीतिक निर्णय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस बारे में कोई निर्णय किया गया है, तो इस पर पुर्नविचार की आवश्यकता है। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में शस्त्र निर्माण की अनुमति दे दी गयी तो सारा देश युद्ध का अखाड़ा बन जायेगा।

१९५८ में कुछ अनियमिततायें हुईं थीं और उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन का ध्यान उनकी ओर दिलाया गया था। ६६,००० रुपये का सामान १६,००० रूपये में बेचा गया था। ६०,०००रूपये का एक और ठेका भी दिया गया, जिसके कारण एक कर्नल साहब पदच्युत किये गये हैं। इस प्रकार की घटनायें को रोका जाना चाहिये। यदि किसी चीज की नीलामी हो भी तो उस पर हर प्रकार से नियंत्रण रखा जाना चाहिये। ऐसा यह सुझाव है कि एक जांच समिति नियुक्त की जाय जो यह देखे कि बेकार सामान ठेकेदारों को निलाम किया जाता है, क्या उसे फिर से ढाल कर आयुद्ध कारखानों में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

तम्बुओं की कमी की शिकायतें आ रही हैं। ठेकेदारों को बांस की कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश से बांस का खूब निर्यात हो रहा है। क्योंकि देश में तम्बुओं के बांसों की कमी हैं अतः सरकार को बांस का पाकिस्तान को निर्यात करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि विकास वर्ग जिसका नाम अब टैक्निकल डेवलपमेंट विंग' है, और जो अब मंत्री महोदय के ही नियंत्रण में है, के काम की जांच ठीक ढंग से की जानी चाहिए।

मोटरकारों, मोटर साइकलों तथा स्कूटरों के उत्पादन तथा मूल्य के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य को विचाराधीन रखते हुए क्या स्कूटरों का मूल्य कम होगा। मोटरकारों, साइकलों की उत्पादन लागत कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। क्या यह सत्य है कि फरवरी मार्च के महीने में सभी कारें पदाधिकारियों को आवंटित की गयी हैं। यह शायद इस लिए किया गया कि उन को ऐसा करने से करों से छुटकारा मिल जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच की जाय और यदि यह सत्य है तो यह मामला गम्भीर है।

वरिष्ठता को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सम्भरण तथा निपटान, कलकत्ता के दफ्तर के १५० कर्मचारियों ने कुछ मामले श्री हाथी के समक्ष रखे थे। उन्होंने मांग की थी कि कलकत्ता स्थित सम्भरण

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा निबटान के महानिदेशक के अन्तर्गत काम कर रहे कर्मचारियों की उचित ढंग से वरिष्ठता निर्धारित की जाय। अनुचित मामलों की मुनासिब जांच की जाय। ऐसा करने से कर्मचारियों में फैला हुआ व्यापक असन्तोष दूर हो जायेगा।

अन्त में मैं यह अनुरोध करूंगा कि ठेका प्रणाली बन्द की जाय। इस बारे में अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन ने भी सिफारिश की है। अन्त में एक बार पुन: मेरा अनुरोध है कि इसके साथ ही आयात का माल सम्भरण करने वाली सार्थों को विदेशों में अर्जित कमीशन की राशि को भारत भेजने को कहा जाना चाहिए। हमें आलोचना की परवाह न करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करनी चाहिए कि श्री नेहरू के नेतृत्व में, कठिनाइयों के बावजूद हम समाजवाद का निर्माण करने में समर्थ हो जायेंगे।

†**डा० क० ल० राव (विजयवाड़ा)** : इस मन्त्रालय के मन्त्री महोदय योग्य व्यक्ति हैं और मन्त्रालय को सरकार की नीति के अनुसार चला सकते हैं। मेरे विचार में यदि इस मन्त्रालय का नाम सम्भरण और विकास मन्त्रालय रखा जाता तो मन्त्रालय और उसके विभिन्न प्रकार के कार्यों को अधिक अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। इस मन्त्रालय से उन मदों का सम्बन्ध है जिनका आपातकालीन महत्व है।

सबसे प्रथम मैं सम्भरण को लेता हूं। आपात में इसका कितना महत्व है यह आप समझ सकते हैं। ५० प्रतिशत कीमतें बढ़ गयी हैं। अत: सम्भरण विभाग का विस्तार बड़ा जरूरी है। इसे न केवल मूल्यों पर नियन्त्रण रखने का कार्य करना है, इसे यह भी देखना है कि देश में क्या क्या चीज़ निर्माण हो रही है। मेरा तो यह भी सुझाव है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए विदेशों में उपकरण आदि की खरीद का सारा काम इस विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसको विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक आदि से ऋण लेने सम्बन्धी बातचीत करने और किराने पर हस्ताक्षर करने का काम भी इसी मन्त्रालय को सम्भाल देना चाहिए। मेरे विचार में यह मन्त्रालय इस काम को बहुत ही खूबी से कर सकेगा।

सम्भरण विभाग को बहुत काम करना होता है, अत: इस दृष्टि से सरकार को चाहिए कि वह व्यापार प्रबन्ध और कुछ अन्य तकनीकी पहलुओं से सम्बन्धित नये नये पाठ्यक्रम चालू करने चाहिए। देश में औद्योगिक तकनीक का ठीक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक ढंग अपनाने चाहिएं।

दूसरी बात विकास विभाग के सम्बन्ध में है। इसकी अवहेलना के कारण उद्योग की प्रगति धीमी है। सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है, किन्तु इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। देश का जन-संसाधन भी बहुत विशाल है। किन्तु इसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा। उदाहरणार्थ पश्चिमी कोसी नहर की परियोजना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है किन्तु वित्त की कमी के कारण उसे आरम्भ नहीं किया गया। इस विषय में हमें वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिये, जैसी रूस आदि प्रगतिशील देशों में अपनाई जाती है।

हमारे औद्योगीकरण में विकास के तरीके नहीं थे। उदाहरण के तौर पर बिजली उद्योग को लीजिये। बिजली बनाने के उद्योग में कोई प्रगति नहीं है। १५ वर्ष से हम समितियां नियुक्त करने इत्यादि में समय नष्ट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें विकास का ठीक अन्दाजा नहीं है। हमें १५ या ३० मैगावाट सैट का निर्माण आरम्भ करना चाहिए था, उसके बाद विकास की योजना बनाते और एकक को बनाने का काम आरम्भ करते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ल० राव]

यह मालूम करना कठिन काम होगा कि कितने संसाधन हैं । उन में से कितने असैनिक काम के लिये प्रयोग किए जायेंगे और कितने सैनिक कामों के लिए क्योंकि आपातकाल में दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन होगा । परन्तु इस मन्त्रालय का यह कार्य है कि दोनों क्षेत्रों में सन्तुलन कायम करे ।

योजना आयोग का काम लक्ष्य निर्धारित करना है । इस मन्त्रालय का काम कार्यान्वियन का है । इस मन्त्रालय का काम संसाधन जुटाना और कार्यान्वियन में रुकावटों का दूर करना है ।

इस मन्त्रालय का काम कार्यवाही आरम्भ करना है और यह महत्वपूर्ण काम है ।

इस मन्त्रालय का महत्वपूर्ण काम है । धीरे धीरे इस का काम स्पष्ट होगा । सैनिक और असैनिक मामलों में आपातकाल देर तक चलेगा । यह मन्त्रालय महत्वपूर्ण काम करेगा । इसने जो अच्छा काम किया है उस के लिए यह बधाई का पात्र है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री नाथपाई अस्वस्थ होने के कारण कल सभा में उपस्थित नहीं हो सके । उन्हें अभी बोलने का समय दिया जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री खाडिलकर को पीठासीन करके जाना है, अतः उनको पुकारा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उपाध्यक्ष महोदय भी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री नाथ पाई १५ मिनट में खत्म कर दें तो श्री खाडिलकर के बाद मैं उन्हें बुला लूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** वह १५ मिनट से ज्यादा नहीं चाहते ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़): शान्ति के समय में प्रत्येक सरकार में ढील ढाल होती है । आपातकाल ढीलढाल और समन्वय की कमी को दूर करता है । यह मन्त्रालय सारी सरकारी प्रशासनिक यन्त्र का अक्षलीन का काम कर सकता है ।

प्रतिरक्षा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि शत्रु का प्रतिरक्षा सिस्टम क्या है ।

हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण स्वयं करना चाहिए । बहुत जल्दी में नहीं । क्योंकि जल्दी में विदेशों से सामान लेने के बाद में कठिनाई होगी ।

इस मन्त्रालय को समन्वय के लिए दूसरे मन्त्रालय के काम में प्रभावात्मक रूप से दखल देना चाहिए ।

इस मन्त्रालय ने सम्भरण का काम सम्भाला है । सम्भरण विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है । उस भ्रष्टाचार को शीघ्र दूर करना चाहिए ।

हमारे देश में तकनीकी लोगों की कमी है । माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान दें ।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रतिरक्षा को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता होने पर प्रतिरक्षा के काम में लगे हुए कारखानों को शान्ति के समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदला जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में न प्रयोग में लाई गई क्षमता का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें विदेशों से चीजें लेने पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, परन्तु अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से लाभ होना चाहिए, मन्त्री महोदय इसे अपने ध्यान में रखें।

इस मन्त्रालय का काम बहुत महत्वपूर्ण है। योजना आयोग तो कार्यक्रम बनाता है। इस मन्त्रालय का काम कार्यान्वियन का है।

विभिन्न मन्त्रालयों के काम में समन्वय होना चाहिए। सब मन्त्रालय को मिल कर काम करना चाहिए। तभी हम चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं।

हमें चीनी चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में अपने ऊपर निर्भर होना है।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : हम जो युद्ध लड़ रहे हैं। एक तो गरीबी के विरुद्ध और दूसरा वह युद्ध जो चीन ने हमारे ऊपर लादा है। प्रतिरक्षा और विकास साथ साथ चलना है। अतः हमारी कोशिशों का समन्वय होना चाहिए। अतः मैं इस मन्त्रालय का स्वागत करता हूं।

इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में भविष्य के कार्यक्रम का ही जिक्र है। मंत्रालय को अपने काम में क्या कठिनाइयां हुई हैं उन का कोई वर्णन नहीं है। इस मंत्रालय को क्रियात्मक रूप से काम करना है, केवल इच्छाओं को ही प्रकट नहीं करना है।

मंत्रालय की यदि आलोचना की जाए तो आलोचकों को कहा जाता है कि वे समाजवाद के विरुद्ध हैं। आशा है कि श्री कृष्णमाचारी जी की ऐसी प्रवृति नहीं होगी। विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिए।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए]

कोयले के मामले में रेलवे और खान और इंधन मंत्रालय में मतभेद रहता है।

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अब ऐसा नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : मंत्री महोदय विदेश जा रहे हैं ताकि उन देशों से सहायता मिले। परन्तु उन्हें यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि क्या सभी विदेशी सहायता का प्रयोग किया जा रहा है। यह इस मंत्रालय का काम है कि सभी ऐसे साधनों का प्रयोग सुनिश्चित करे।

टक्नीकी कर्मचारियों की कमी है और वे सरकारी क्षेत्र से नौकरी छोड़कर गैर सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और वेतन और भत्ता भी कम दिया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

इन्डस्ट्रीयल मैनेजमेंट पूल में अभी तक एक व्यक्ति को लिया गया है। १९५७ में यह बनाया गया था। किस तरह से इस समन्वय का समाधान हो सकता है।

१९६० तक १,५०० करोड़ रुपए की भारी मशिनरी का हमारा लक्ष्य है। इस समय ३०० करोड़ रुपए की यह मशिनरी बनती है। किस प्रकार से इस लक्ष्य की पूर्ति होगी। यदि इस लक्ष्य की पूर्ति न हुई तो अन्य लक्ष्य भी पूरे नहीं हो सकेंगे। क्या यह इस मंत्रालय का काम होगा।

देश की ५० प्रतिशत औद्योगिक क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ राशि बिना प्रयोग किए रह जाती है । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने १६ करोड़ रुपए बिना प्रयोग किए वापिस किए । क्या प्रतिरक्षा और आर्थिक समन्वय मंत्रालय के इस समन्वय में सिफारिशों का मानना सम्बन्धित मंत्रालय पर अनिवार्य होगा ?

हथियार बनाने वाले कारखानों में बहुत अच्छा काम हुआ है । यदि इन कारखानों में काम करने वालों, मशिनरी, औजारों और सामान की ठीक देखभाल की जाए तो दो वर्ष में उत्पादन तिगुना हो सकता है ।

विभिन्न पदार्थों के मूल्यों में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए ।

प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करना इस मंत्रालय का काम है । हमारी प्रगति की काफी बाधाएं ऐसा करने से दूर हो सकती हैं । प्रशासनिक मशिनरी की सारी प्रवृति बदली जानी चाहिए ।

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय में सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी)**: कल और आज के वाद विवाद में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं उन सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मंत्रालय की प्रशंसा की है । प्रश्न ये उठाये गये हैं कि इस मंत्रालय का कार्य क्या है, इसे वास्तव में क्या समन्वय करना है, इसके अधिकार और क्षेत्राधिकार क्या हैं, क्या देश की प्रतिरक्षा सम्बंधी मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया गया है, संभरण निदेशालय का काम तेज किया गया है, इन संगठनों को गठित करने के लिए क्या किया गया है, छोटे पैमाने के उद्योगों का क्या अंशदान है, राज्यों का इसमें क्या भाग है और प्रतिरक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था में क्या सुधार किया गया है ।

इस मंत्रालय के मुख्य बिभाग हैं संभरण विभाग, तकनीकी विकास विभाग और आर्थिक समन्वय विभाग । ये विभाग पहले भी थे । इन्हें केवल इकट्ठा किया गया है । प्रश्न पूछा गया था कि अलग अलग मंत्रालयों के विभागों को मिला कर नया मंत्रालय बनाना कहां तक युक्तियुक्त है ।

सामान्यत: संभरण संगठन बाजार में क्रेता अधिकरण की तरह, अतिरिक्त क्षमता या विकास योग्य क्षमता पर निर्भर करते हुए काम करता है । समान्य समय में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों के व्यायदेश इस संगठन को भेजे जाते थे और वह खरीद करता था । आपात काल में केवल क्रेता अधिकरण के रूप में काम नहीं हो सकता बलिक विकास और प्रतिरक्षा को अलग अलग नहीं किया जा सकता । एक पक्ष को दूसरे की सहायता करनी होगी । प्रतिरक्षा के सभी प्रयत्नों में विकास अनिवार्यता आवश्यक है ।

संभरण विभाग इस प्रकार कार्य आरम्भ करता है कि ज्यों ही प्रतिरक्षा मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से मांग आती है तकनीकी निदेशालय और केन्द्रीय क्रय संगठन के एक एक अधिकारी मिल कर विभिन्न दृष्टियों से इस मांग की जांच करते हैं । जैसा आपने सुझाव दिया है पहले तो यह जांच करनी होती है कि देश की नागरिक अर्थ-व्यवस्था पर मांग का क्या प्रभाव पड़ेगा, बुरे प्रभाव के बिना कहां तक मांग पूरी की जा सकती है, क्या देश में मांग पूरी करने की क्षमता है, निष्क्रय क्षमता को कैसे काम में लाया जा सकता है, यदि कच्चा माल आयात करने की आवश्यकता है तो क्या उसके स्थान पर देशी माल से काम किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा का खर्च बच सकता है और देशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । मंत्रालय में मंत्रालय स्तर पर इस प्रकार समन्वय की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है ।

†मूल अंग्रेजी में

यह करने के उपरांत यह देखना होता है कि उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे देशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है यह आवश्यक है और इसके दो कारण हैं पहले तो पंच वर्षीय योजनाओं द्वारा विकास के कारण इस निदेशालय की मांग बढ़ी है। औसत वार्षिक राशि प्रथम योजनामें ६४ करोड़ रुपये, दूसरी योजना में २०० करोड़ रुपये की खरीद की मांग तीसरी योजना के पहले वर्ष २५६ करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक ८८ करोड़ और बाद की छमाही में २११ करोड़ रुपये की खरीद की आशा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष ३०० करोड़ रुपये का खर्च होगा। संभवत: १९६३-६४ में ४०० या ४५० करोड़ रुपये का खर्च हो। इसलिए प्रथम योजना में ६४ करोड़ रुपये का जो व्यय भार था वह खरीद निर्माण और अर्जन की दृष्टि से ४०० करोड़ रुपये तक का हो जायगा। अत: देशी उद्योगों का विकास करके विदेशी मुद्रा का खर्च कम करना आवश्यक है। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ी व्यया विधि में किये गये प्रयत्नों का स्वरूप यह है कि वर्फ और सर्दियों के कपड़ों की खरीद पर १९६१-६२ के ४.१३ करोड़ रुपये के स्थान पर लगभग ३९ करोड़ और सूती कपड़े पर ८ करोड़ के स्थान पर ३३ करोड़ रुपया, जूतों और चमड़े पर १.९ करोड़ के स्थान पर पहली छमाही में ९.५ करोड़ रुपया और मोटर गाड़ियों पर दो वर्ष में जो १ करोड़ रुपया खर्च हुआ था उसके स्थान पर ९३ करोड़ रुपया खर्च किया गया। बारूद के बक्सों पर ३ करोड़ रुपया खर्च किया गया अब इन छ: महीनों में ३ करोड़ रुपया खर्च किया गया है।

इस प्रकार की भारी मांग होते हुए आप बाहर से आयात की बात नहीं सोच सकते। यदि मांग ४ मांस के छोटे व्यय के लिए हो तो उसे देश में पूरा नहीं किया जा सकता और आयात किया जा सकता है किन्तु आत्म निर्भरता के लिए देश के लोगों को उत्पादन वढ़ाना होता है अन्यथा देश की रक्षा नहीं हो सकती ।

प्रशासन में सुधार के बिना यह कार्य भार संभाला नहीं जा सकता अत: निदेशालय के पुनर्गठन के लिए हमने कई उपाय किये हैं। हमने निदेशालय को तीन मुख्य विभागों में बांटा है एक प्रतिरक्षा सम्बंधी सामान और संभरण के लिए, एक रेलवे के लिए और एक सामान्य आवश्यकताओं के लिए। हमारा एक उत्पादन इंजीनियर नागरिक उद्योग क्षेत्र में शस्त्रास्त्र और प्रतिरक्षा सम्बंधी सामान के इंजीनियरिंग तथा उत्पादन का प्रभारी होगा। वह असैनिक संभरण महानिदेशालय के अधीन होगा। मार्टर शस्त्रास्त्र और मोटर गाड़ियों मशीनरी औज़ारों के लिए कच्चे माल के संभरण की देखभाल के लिए एक विभाग बनाया जायगा। कलकत्ता में एक विशेष उप महानिदेशक है जो कच्चे माल, माल के भंडार और लोहा इस्पात आदि के संभरण का कार्य करता है। बढ़ते हुए काम और विशेषत: मशीनी औजारों और तेल सम्बंधी सामान के काम के लिए नया खरीद निदेशालय बनाया जायेगा। मोटर परिवहन के पुर्जों के लिए जो६०००तक है और देश में उनके उत्पादन के लिए एक और विभाग खोला जायेगा। माल के संभरण के लिए हर खरीद निदेशालय में उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

हमने अब तक संविदाओं को पूरा करने के लिए अर्थात सामान मुहया करने पर बल दिया है। आयुद्ध कारखानों को यदि हर सप्ताह कच्चा माल न दिया जाये तो काम नहीं चल सकता। उसके लिए हमने एक प्रक्रिया अपनाई है और उससे उत्पादन बढ़ा है। इंडेंट मिलते ही हम देखते हैं कि यथा शीघ्र आदेश दिये जायें। मेरे साथी श्री जगन्नाथ राव प्रति मास सभी निदेशकों की बैठक करते हैं और जब तक कुछ विशेष कठिनाइयां न हों ऐसे सभी इडेंटों का तुरन्त निबटारा कर देते हैं जो ८ मास पुराने हो गये हों। पहले केन्द्रीय टेंडर सेक्शन तक्नीकी विकास शाखा की सहायता से जांच करता है और सामान प्राप्त करने की योजना बनाता है। यदि आयात किया जाना हो तो विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं। आदेश मिलने पर वे संभरण कर्त्ताओं की शिकायतों की प्रतीक्षा नहीं करते कि

कच्चा माल उपलब्ध नहीं बल्कि स्वयं कच्चा माल उपलब्ध करते हैं। उदाहरणता बारूद के बक्सों के लिए इस्पात की आवश्यकता है और वे इस्पात उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं। माल उपलब्ध न होने पर अधिकारी कलकत्ता में नियुक्त इस्पात लोहा संबंधी अधिकारी से सम्पर्क करता है, रेलवे अधिकारी से माल के डिब्बों के लिए सम्पर्क करता है। कच्चे माल का संभरण हो जाने पर हमारे निरीक्षक और क्षेत्रीय अधिकारी कारखानों में जा कर देखते हैं कि उच्च स्तर पर उत्पादन हो रहा है या नहीं। उन्हें हर सप्ताह और हर मास उत्पादन सम्बंधी विवरण भेजने होते हैं। मैं बाद में कुछ आंकड़े बताऊंगा कि कैसे प्रतिरक्षा प्रयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने में इस प्रक्रिया से सहायता मिली है। हमने संभरण से आरम्भ करके, तकनीकी विकास और समन्वय कार्य द्वारा उत्पादन का विकास किया है।

भुगतान में विलम्ब के प्रश्न के संबंध में यह ठीक है कि विलम्ब से मूल्य स्वाभावतः बढ़ जाते हैं। अतः हमने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जिससे विचाराधीन मामलों का तुरन्त निबटारा कर दिया जाता है। सामान मिलते ही ९५ प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है और शेष ५ प्रतिशत का भुगतान वस्तु द्वारा कार्य सम्पादन आदि देख कर किया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह संभव है कि विकेन्द्रीकरण कर के स्थायी दफ्तरों को और अधिकार दिये जायें।

†**श्री हाथी** : मैं उस ओर आ रहा हूं। पहले प्रक्रिया यह थी कि यदि इंजिनियरिंग के सामान की बम्बई में जरूरत हो तो भी कलकत्ता से समपर्क करना पड़ता था। इस प्रकार वस्त्र आदि के लिए बम्बई में भुगतान करना होता था। अब इस संभरण स्तर पर भुगतान की व्यवस्था कर रहे है जिससे दो तीन सप्ताह पहले भुगतान हो जाया करेगा।

उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़े से समय में हम ने जो कुछ किया है वह उद्योगों अर्थात् प्रबंधको और श्रमिकों दोनों के सहयोग के कारण हो सका है। वे रविवार, छुट्टियों और तीन पारियों में काम करने के लिए बिन हिचकिचाहट के तैयार हो गये थे। उनके सहयोग से हम अब तक मूल्यों का यथासंभव नियंत्रण कर सके हैं अतः मैं उनकी अभ्यर्थना करता हूं।

उदाहरण के लिए युद्ध संबंधी वस्त्रों का उत्पादन दिसम्बर में ३४००० मीटर, जनवरी में ७८००० मीटर, फरवरी में १ लाख मीटर, और मार्च में २,८२,००० मीटर हो गया था। अंगोल कपड़े का उत्पादन दिसम्बर में २,४६,००० मीटर, जनवरी में ३,५३,००० मीटर, फरवरी म ४,४३,२७२ और मार्च में ६,८२ ९५४ मीटर हो गया था। हर वस्तु के उत्पादन म यह स्तर नहीं प्राप्त हुआ किन्तु प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक और लीन वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। अब सारा ऊनी उद्योग सदा के लिए प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है।

इसी प्रकार मोटर ट्रकों, जीपों और मोटर साइकिलों के मामले में गाड़ियों का उत्पादन प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के अनुरुप कर दिया गया है। सेवा के लिए अपेक्षित ३५१ सी सी मोटर साइकलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। इसी प्रकार चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टन के ट्रक और जीपें बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए हमने एक अनुभवी इंजिनियर नियुक्त किया है। श्री माथुर ने प्रश्न उठाया था कि २९७ ट्रक पड़े है जिनके बाहरी ढांचे नहीं बने।

†मूल अंग्रेजी में

कुछ पुर्जों की जरूरत थो और उनके लिए विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी जा चुकी है। नौवहन में १५ दिन तक विलम्ब हो गया था। अब पुर्जे पहुंच गये हैं। जब प्रतिरक्षा मंत्रालय माल ले लेता है तो फिर इस मंत्रालय का उस से क्यों संबंध नहीं रहता।

डा० राव ने निर्माण अभिकरणों का उल्लेख किया था। विभागों में परस्पर द्वेष की भावना हुआ करती थी। यह मंत्रालय विभिन्न निर्माण अभिकरणों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परिवहन आदि के कार्य में समन्वय पैदा करती है। जब कभी संचित या अतिरिक्त निधि होती है कार्यक्रम को तेज किया जा सकता है। १९६३ में रोड़ रोलरों का उत्पादन ५०० से ९०० कर दिया जायगा।

जहां संभव हो लहां कठिनाई से मिलने वाले सामान के स्थान पर उपलब्ध सामान प्रयोग किया जाता है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो। उदाहरणत: कांसे और जस्ते के स्थान पर अलूमीनियम का प्रयोग किया जाता है इस्पात के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है।

अन्य विभिन्न छोटी छोटी वस्तुओं को सुगमता से छोड़ कर विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। यह तकनीकी विकास शाखा की सहायता से हो सकता है। शीशे के उद्योग से कहा जा रहा है कि वे आपात वस्तुओं के स्थान पर अभी और हलका सोडाऐश प्रयोग करें। प्रतिरक्षा संबंधी वस्त्रों के लिए हम विदेश से रंग मंगवाया करते हैं अब हमने अनुसंधान करके देशी रंग बना दिये हैं और विदेशी मुद्रा बचा ली है। पैराशूटों के नाइलन कछ बाहर से मंगवाई जाती थी। अब उतनी राशि की नाइलन यहां बना कर विदेशी मुद्रा बचाई जाती है।

केलशियम कार्बाइड कनाडा से मंगवाया जाता था अब तकनीकी विकास शाखा की सहायता से उद्योग ने एक वैसी उपयोगी वस्तु यहां बनानी शुरू कर दी है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अधिकाधिक देशी उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिसका अभिप्राय है कि देशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है।

मंत्रालय छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करता रहा है। अब तक इन उद्योगों को २५ वस्तुओं के लिये आदेश दिये गये थे। अब ऐसी ६३ वस्तुएं इन उद्योगों के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। ये उद्योग २०० वस्तुओं के संबंध में प्रतियोगता कर सकती है। हमने ऐसे उपाय किये हैं जिन से छोटे पैमाने के उद्योग बड़े उद्योगों से भी प्रतियोगता कर सकते हैं।

पहले तो यह किया गया है कि विभिन्न राज्यों में १६ स्थलों पर उन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है और छोटे पैमाने के उद्योगपति राज्यों के उद्योग निर्देशकों से टेंडर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों के उद्योग विभागों से कहा गया है कि वे ऐसे पुस्तकालय बनायें जहां छोटे पैमाने के उद्योग का पथ प्रदर्शन हो सके।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुई]

पिछड़े इलाकों में हमने उनका पथप्रदर्शन करने के लिए अपने शिक्षक रखे हुये हैं। उनसे पंजीयन फीस भी नहीं ली जाती। यदि वे कुटीर उद्योग का प्रमाणपत्र ले लें तो उन्हें मान्यता दी जाती है।

१९५७ में छोटे पैमाने के उद्योगों से केवल ६४ लाख रुपये का माल लिया गया था। इस वर्ष ३० करोड़ रूपये का लिया गया है। हम यह ध्यान रखते है कि सीमा राज्यों विशेषतय: असम और पंजाब को भी आदेश मिलें। १९६०-६१ में असम को आदेश दिये गये थे किन्तु इस वर्ष संबंधित मंत्री और उद्योग निदेशक से सलाह कर १४ वस्तुओं के लिए ४५ लाख रुपये का आदेश दिया गया है। पंजाब को

केवल ऊनी पकड़े के ४ करोड़ रूपये के आदेश दिये गये हैं। मैं उन्हें केवल धन और काम ही नहीं देना चाहता बल्कि यह चाहता हूं कि वहां के लोग अनुभव करें वे देश की प्रतिरक्षा में भाग ले रहें है।

श्री सर्राफ ने व्ययादेशों के प्रदेशवार वितरण की बात कही थी। यह कुछ कठिन है। छोटे पैमाने के उद्योगों के संबंध में कुछ प्रयत्न किया गया है किन्तु बड़े पैमाने के उद्योग पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि में स्थित हैं। राजस्थान में क्यों बड़ा उद्योग नहीं अत: सभी राज्यों को समान व्ययादेश नहीं दिये जा सकते। राजस्थान को १०२ लाख रूपये के और साथ ही छोटे पैमाने के उद्योगों को १५ और २२ लाख रूपये के आदेश दिये गये हैं। किन्तु असम का भाग सबसे निकृष्ट है इस वर्ष कुछ व्ययादेश दिये गये थे। तो भी पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र आदि के अलावा अन्य राज्यों का काम भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

इसलिये जहां तक तकनीकी विकास और इस पहलू का संबंध है यह समन्वय आन्तरिक है। हम संभरण को विकास का आधार समझते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है। जब तकनीकी विकास विभाग और संभरण विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंच जाय कि अतिरिक्त उत्पादन आवश्यक है, संभव है और इसके लिये कदम उठाये जाते हैं तब यह उत्पादन समिति और सेवा समिति के पास जाता है। यह दोनों समितियां विभागों के सचिवों द्वारा आयोजित की जाती हैं। आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय का सचिव इसका आयोजक है। वहां सब मंत्रालयों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर प्रत्येक प्रश्न पर विचार करते हैं और वहीं निर्णय भी लिये जाते हैं। यह शक्तियों अथवा क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं है। केवल विभागों के समस्त सचिवों के वहां होने से ही यह निर्णय लिये जाते हैं। यदि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हुई अथवा कच्चे माल की आवश्यकता हुई तो उस पर वहां विचार किया जाता है। अन्य आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या यह कार्य सुचारु रूप से हो रहा है ?

†**श्री हाथी** : हां, परिस्थितियों के अनुसार सुचारु रूप से ही हो रहा है।

श्री बनर्जी ने दो अथवा तीन प्रश्न उठाये थे। एक तम्बुओं के लिये बांस के खंबों के बारे में था। मैं ने व्यक्तिगत रुप से समस्त मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि हमें बांसों की आवश्यकता है। जिस राज्य ने उन्हें देना स्वीकार कर लिया उन्हें क्रयादेश से दिया गया है। मुझे पता नहीं कि उनका निर्यात किया जाता है अथवा नहीं। किन्तु मैं ने व्यक्तिगत रुप से लिखा था और मुख्य वन संरक्षकों ने भी श्री राम सुभग सिंह से भेंट की थी। हम इस बात की सावधानी बरत रहे हैं कि इमारती लकड़ी, तंबुओं के खंबों अन्य सब वन-उत्पादों और समस्त देशी उत्पादों को यथा सम्भव अधिकाधिक उपयोग में लाया जाये। मैं नहीं जानता कि क्या इन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है या नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इनका निर्यात किया जा रहा है और बदलेमें लोहे की चादरें खरीदी जा रही हैं।

†**श्री हाथी** : क्या पाकिस्तान को ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : और फिर वहां से इनका आयात किया जाता है ?

†श्री स० मो० बनर्जी : हमारी आवश्यकताओं के उपरांत भी इसका निर्यात किया जा रहा है ।

†श्री हाथी : हमने राज्यों को भी लिखा है कि इमारती लकड़ी और अन्य ऐसी वस्तुओं का वहन नियंत्रण आदेश जारी करें । जिससे कि यह भारत के बाहर न ले जाये जा सकें । यदि हमें उसकी आवश्यकता है तो हम उसका निर्यात नहीं होने देंगे ।

उन्होंने अतिरिक्त माल का भी उल्लेख किया था । यह एक सुझाव ही था और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी उपयोगी माल फालतू समझ कर बेचा न जाये । उस सुझाव पर हम विचार करेंगे और मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री भी इस पर ध्यान देंगे ।

उन्होंने कलकत्ता के कर्मचारियों का भी उल्लेख किया था । हम इसकी जांच कर रहे हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : आप ही जानते हैं ।

†श्री हाथी : हां, और मैं इसकी जांच करूंगा ।

डा० राव ने तकनीकी प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी उल्लेख किया था । उन्होंने मशीन के निर्माण के विषय में भी कहा था जैसे चीनी अथवा सीमेंट के उत्पादन संबंधी मशीन । सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के ध्येय से तकनीकी विकास शाखा इस बात के लिये कदम उठा रही है कि सीमेंट का निर्माण करने वाली मशीन यहीं बनाई जाय । तकनीकी जनशक्ति का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये । जब तक तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हों, जब तक यह आधार स्थापित न कर लिया जाये, आप किसी भी उद्योग में प्रगति नहीं कर सकते । आज हमें अधिकाधिक तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है । इस प्रश्न का भी अध्ययन किया जायेगा ।

मैं ने देशी उत्पादों का भी उल्लेख किया था और यह बताया था कि किस प्रकार हम आयात की जाने वाली वस्तुओं में कमी करने का प्रयन्न कर रहे हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ४१ प्रतिशत का आयात किया था । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह २४ प्रतिशत हो गया, अर्थात कुल १००३ करोड़ रुपयों में से २३६ करोड़ रुपये के मूल्य के पदार्थों का आयात किया गया । १९६२–६३ में कुल २५६ करोड़ रुपयों में से ४६ करोड़ के मूल्य का अर्थात् १६ प्रतिशत आयात किया गया । प्रतिवर्ष हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि देशी उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाये और आयात को कम से कम कर दिया जाये । प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और इस उद्देश्य से उद्योगों को सुव्यवस्थित करने के लिये, हम यह प्रयत्न कर रहे हैं । प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश का सम्पूर्ण औद्योगिक विकास आवश्यक है । सेना ही इस चुनौती का सामना नहीं कर सकती । उसके साथ ही देश के विकास की भी आवश्यकता है ।

यह कुछ कदम हैं जिन्हें हम तकनीकी और आर्थिक विकास के व्यापक क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुये, और अग्रेतर समन्वय और सहयोग के ध्येय से, उठा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि उद्योगों और कर्मचारियों के सहयोग से हम प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे और संभरण की व्यवस्था भी समुचित रूप से कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्दगांव) : मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डाल कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया । प्रतिवेदन में इस विषय को सपष्ट नहीं किया गया था । किन्तु फिर भी कुछ बातें हैं जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है मैं जानता हूं कि यह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करेगा । यह मंत्रालय देश के विकास-कार्य के अतिरिक्त प्रतिरक्षा उत्पादन का समन्वय भी करता है ।

†**एक माननीय सदस्य** : कुछ सुनाई नहीं दे रहा ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य आगे आ जायें ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : मैं अपनी आवाज तेज किये देता हूं ।

कल यह कहा गया था कि एम० आई० जी० वायुयानों के ढांचे नासिक में और मशीनें कोरापुट में बनेंगी । कोरापुट रेलवे लाइन पर स्थित नहीं है । वहां से मशीनें किस प्रकार पहुंचाई जायेंगी? यह रेलवे लाइन से ६० मील दूर स्थित है । कोई सड़क भी नहीं है । तब फिर किस प्रकार इन मशीनों को नासिक लाया जा सकेगा ? उन्हें रेल मार्ग तक लाये जाने के बाद भी परिवहन की समस्या हाल नहीं होगी । क्योंकि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर, भिलाई इस्पात संयंत्र और बहुत सी अन्य बातों के कारण काफी भीड़ भाड़ रहती है ।

खाद्य और कृषि के संबंध में योजना करने के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं । मध्य प्रदेश में चावल बहुत होता है । सारे देश की चावल की कमी यही राज्य पूरी करता है । किन्तु वहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । लोगों को अधिकतर मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है । मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हमें ढेड़ वर्ष के भीतर रूस से कुछ मिग विमान प्राप्त होंगे चीन के पास भी यही विमान हैं । यह स्मरण रखना चाहिये कि चीन के पास भी यही विमान मौजूद हैं जबकि हमें इन विमानों के निर्माण में अभी समय लगेगा ।

राजनन्द गांव की मसहरी बनाने वाली मिल पिछले ६ महीनों से बन्द है और अभी तक बन्द पड़ी है । तथा साड़े तीन हजार कर्मचारी बेकार हैं । माननीय मंत्री को इस दिशा में ध्यान देना चाहिये तथा मिल के मामले में शीघ्र निर्णय करना चाहिये ।

यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों को परस्पर मिल कर इस मामले में शीघ्र निर्णय करना चाहिये । सुझाव सुन्दर है तथापि व्यवहार में यह होता है कि सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त होते ही पुनः फाइलें चलनी शुरू हो जाती हैं और पुराना सिलसिला बंध जाता है ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि नये काम नये अधिकारियों को दिये जाने चाहियें वे कार्यों को अधिक कुशलता व शीघ्रता से कर सकेंगे क्योंकि पुराने अधिकारियों को फाइलों की आदत पड़ी हुई है और वे लाल फीताशाही में विश्वास रखते हैं ।

मंत्रालय पर बहुत बड़ा दायित्व है । यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय में कृष्णमाचारी जैसे योग्य व्यक्ति हैं, मैं आशा करता हूं कि वे इस कार्य को कुशलतापूर्वक करेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े (खारगोन) : सभानेत्री महोदया, मिनिस्ट्री आफ इकोनोमिक एंड डिफेंस कोग्रोर्डिनेशन की डिमांड्ज को जब मैंने देखा तो मेरे सामने सवाल उपस्थित हुआ कि किस चीज का कोग्रोर्डिनेशन होने जा रहा है, क्या यह कोग्रोर्डिनेशन आफ ब्रेन हो रहा है या कोग्रोर्डिनेशन आफ मैटीरियल हो रहा है। लड़ाई के बाद इन पांच महीनों में इस मिनिस्ट्री ने जो काम किया है और जिस का कोग्रोर्डिनेशन किया है और किस हद तक उसमें यह कामयाब हुई है, उसको लेकर जनता में काफी शंकायें पाई जाती हैं। आप हमें यह बता दें कि इस कोग्रोर्डिनेशन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। क्या अभी कोग्रोर्डिनेशन नहीं है और क्या हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब काबिल नहीं हैं इसलिये कोग्रोर्डिनेशन करने की जरूरत महसूस हो रही है या मिनिस्टर-मिनिस्टर में आपस में झगड़ा है, इसलिये कोग्रोर्डिनेशन हो रहा है। जो कोग्रोर्डिनेशन चल रहा है वह तथ्यों का पता करने के लिये है या गलतियां निकालने के लिये है या उपचार खोजने के लिये, यह भी तो आप हमें बता दें। मैं समझता हूं कि जो मिनिस्टर्स नियुक्त हुये हैं, तीन बातें उनको करनी हैं। पहली तो तथ्यों का पता करना है, फिर गलतियां ढूंढना है और तब उपचार खोजना है, ये तीनों ड्यूटीज उनके पास हैं। इसके बाद जब मैंने इन तीनों ड्यूटीज पर विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनको पूरा करने के लिये भी इस मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि जो मिनिस्टर हैं, वह काबिल हैं। अगर एक दो डिफैक्ट मालूम पड़ते हैं, उनको दूर करने के लिये एक मिनिस्टर एडु कर दिया जाये तो वे डिफैक्ट्स दूर हो जायेंगे, अगर इस भावना को लेकर आगे बढ़ा जाता है, तो यह भावना गलत है। माननीय सदस्य द्विवेदी जी ने यहां पर प्रस्ताव रखा था कि मिनिस्टर्ज की तादाद कम की जाये। कम करने की बात तो दूर, इनकी संख्या को और बढ़ा दिया गया है। अभी अगर कोग्रोर्डिनेशन नहीं हो रहा है, डिफेंस का काम ठीक नहीं हो रहा है, एक मिनिस्टर एडु कर दिया जायेगा तो काम बराबर होना शुरू हो जायेगा इस चीज को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

अभी पीछे बंगलौर के पेपर में एक न्यूज छपी थी कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और श्री चव्हाण आर नाट सीइंग आई टू आई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की न्यूज क्यों छपती हैं। यत्र धूम्रो तत्र वह्निः। यदि धुआं निकलता है तो नीचे कुछ अग्नि होना चाहिये। ये शंकायें लोगों के दिमागों में हैं। चूंकि इस तरह की बातें होती हैं, इसीलिये वे अखबारों में छपती हैं। जिस तरह से कौल के बारे में बाटलनैक्स हो गये थे, उसी तरह से मिनिस्टर्ज में आपस में बाटलनैक्स हैं, उनके काम करने के बाटलनैक्स हो गये हैं और उनको निकालने के लिये श्री कृष्णमाचारी की नियुक्ति की गई ह जोकि बहुत इंटेलीजेंट हैं और मिनिस्टर्ज के ऊपर उनको बिठा दिया गया है। कितना वह इस काम में कामयाब होते हैं, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन अगर मिनिस्टर्ज ने ठान लिया है कि उनको सहयोग न दिया जाये और वे समझते हैं कि एक स्कूलमास्टर की तरह से उनको उनके ऊपर रख दिया गया है, तो कोई काम नहीं चल सकता है, कोग्रोर्डिनेशन नहीं हो सकता है। मुझे एक हैडमास्टर की बात याद आती है। वह क्या किया करते थे, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। वह क्लास के बाहर एक हाथ में केन ले कर घूमा करते थे और सुना करते थे कि पाठक कैसा काम कर रहे हैं क्या काम हो रहा है और बाद में रूम में जाकर बताया करते थे कि काम बराबर नहीं हो रहा है। हमारे दो तीन मास्टरों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई कि जब आप केन लेकर खड़े होते हैं तो उस से हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई सुपरवाइजिंग अथारिटी लगी हुई है। इस वास्ते हम नहीं चाहते कि आप इंटरफिअर करें। अगर इस तरह की भावना श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के बारे में होगी तो काम सुचारु रूप से नहीं चलेगा। एक दफा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के बारे में अखबार में निकला था :

"मंत्रीगण हर स्थान पर डींग मारते फिरते हैं, किन्तु करते कुछ भी नहीं।"

इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया था पेपर में। मैंने इस के बारे में जब क्वेश्चन पूछा तो जवाब दिया गया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन इस तरह की बात न्यूजपेपर्स में है।

[श्री बड़े]

इसके बाद सवाल उत्पन्न होता है कि जो हमारी सैनिक सहायता की बातें चल रही हैं उन के वास्ते श्री पटनायक जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि पटनायक साहब क्यों गये, उन को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भेजा या हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भेजा। हमारे श्री टी० टी० कृष्णमाचारी क्यों नहीं गये ? इसके संबंध में जवाब दिया गया कि श्री पटनायक पारादीप के वास्ते जा रहे हैं। पारादीप के बारे में बातें करते करते वे वहां पर दूसरी बातें कर आये। अगर पटनायक साहब डिफेंस के बारे में बातें करते हैं तो आखिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कौन हैं, चव्हाण साहब हैं या हमारे कोआर्डिनेशन मिनिस्टर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी हैं। और यह पटनायक साहब शिंडे नक्षत्र की तरह से कौन आ गये ? यह बाहर जाते हैं और डिफेंस के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। जब इन सब बातों के बारे में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है तो जनता के भीतर शासन के बारे में अविश्वास पैदा होता है। जब मिनिस्टर लोग आपस में झगड़ते हैं तो जनता आपस में क्यों नहीं झगड़ेगी ? इस प्रकार की जो बातें होती हैं वह ठीक नहीं हैं। श्री टी० टी० कृष्णामाचारी साहब जो हैं वे बड़े काबिल हैं, वे बड़े स्वीट टंग के हैं इस लिये उन को यह कांफिडेंस पैदा करना चाहिये गवर्नमेंट के अन्दर कि वे सुपरवाइजिंग अथारिटी की तरह से नहीं हैं बल्कि जनता के अन्दर जो खराब खराब बातें दिमागों में हैं उनको निकालने के वास्ते आये हैं।

जब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी साहब मिनिस्ट्री में आ गये हैं तो उन को देखना चाहिये कि जो रेड टेपिज्म फैला हुआ है गवर्नमेंट में वह खत्म हो। उन्होंने कहा था कि मैं तो रेड लैम्प की तरह से या कंट्रोल रूम की तरह से हूं। इसीलिये तो मैं कहना चाहता हूं कि जो रेड टेपिज्म है उसे उनको खत्म करना चाहिये। आज कल रेड टेपिज्म की हालत यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में डिफेंस के वास्ते एक ड्रम फैक्ट्री तैयार करना है। वहां से उन्होंने ऐप्लिकेशन भेजी। जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उन्होंने केन्द्र के पास भेजा तो केन्द्र से वह चीज वापस आ गई, इस लिये कि फारेन एक्स्चेंज नहीं मिल सकता है, अगर इंडिजिनस मैशिनरी के उपयोग से यह फैक्ट्री बन सकती हो तो केन्द्र देने को तैयार है। हमारे यहां के उद्योग विभाग से कहा गया कि हम इंडिजिनस मैशींनरी लगाने को तैयार हैं। वह फिर उद्योग मंत्री के पास गया, उसके बाद केन्द्र के पास गया। केन्द्र ने फिर लिखा कि उद्योग विभाग ने जो क्लेम फारेन एक्स्चेंज का किया है उस को पहले विधड्रा किया जाय तब वह इस की इजाजत देने को तैयार हैं। वह फिर वापस गया। इसी तरह से कागज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलते रहते हैं। काम कोई होता नहीं। अगर इस तरह के रेड टेपिज्म को खत्म किया जाय तो काम जल्दी हो जायेगा।

इसके साथ ही साथ यह भी देखने में आता है कि स्टेट में और केन्द्र में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। स्टेट कहती है कि फलां इंडस्ट्री वहां होनी चाहिये आप कहते हैं कि हमारे पास कोटा नहीं है स्टील का, आप कहते हैं कि हमारे पास फारेन एक्स्चेंज नहीं है। स्टेट लिखती है कि वह निसेसरी है। इस तरह से आप देखिये कि कहीं पर भी स्टेट के उद्योग मंत्रालय में और केन्द्रीय मंत्रालय में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। सब जगहों पर पूरा कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

इसके बाद आप करप्शन को देखिये। अगर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी दूसरे विभागों से मिल कर काम करें तो करप्शन को रोक सकते हैं। उनको जो करप्शन और कंट्रैक्टर दोनों को कंट्रोल करना चाहिये। जब कंट्रैक्टर्स और करप्शन पर कंट्रोल हो जायेगा तो काम अच्छा हो सकेगा।

जो अभी न्यूजपेपर्स में आया, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। अखबार में लिखा गया कि "मुनाफाखोरों" को सीखचों में बन्द किया जाये। अभी हाल बीकानेर के पास में नाल

एअरोड्रोम का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बना है । भारत सरकार को सोचना चाहिये कि जो शेड्यूल्ड रेट है उस से ५२ फी सदी ऊंचे पर वह दिया गया है । बीकानेर के पास वह नाल एअरोड्रोम है । उस के बारे में अखबार में आया है कि वह राष्ट्रीय अपव्यय का केन्द्र बना हुआ है इसलिये मुनाफाखोरों को सीखचों में बन्द किया जाये ।

एक माननीय सदस्य : इस को आप लिख कर भेज दें ।

श्री बड़े : मैं तो उदाहरण दे रहा हूं । मैं इस को लिख कर भी दे सकता हूं, लेकिन लिखने के बाद भी कोई जवाब उसके लिये नहीं आता है । सिर्फ उसका एकनालेजमेंट कर लिया जाता है । अगर आप मुनाफाखोरों को और कंट्रैक्टर्स को रोकेंगे तो मैं समझता हूं कि करप्शन खत्म हो सकेगा ।

आप ने डिफेंस प्रोडक्शन कौंसिल का निर्माण किया है । उस में श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, श्री चव्हाण हैं और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह लोग इस में क्यों आये हैं, आखिर उन के काम क्या हैं । अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा होगा । आज लोग अन्धकार में हैं कि आखिर यह डिफेंस प्रोडक्शन कौंसिल क्या है । उस के साथ साथ हम ने देखा है कि सप्लाई डिपार्टमेंट भी है । अगर उस के अन्तर्कत सप्लाई डिपार्टमेंट रहेगा तो डिफेंस प्रोडक्शन कौंसिल की प्लैनिंग क्या है ? वहां पर लोगों की ड्यूटी क्या है । वहां पर होम मिनिस्टर क्यों रक्खे गये हैं, स्टील मिनिस्टर क्यों रक्खे गये हैं । इन दोनों मंत्रियों की क्या ड्यूटी वहां पर है इस पर कुछ प्रकाश डाला जाय तो अच्छा होगा । इस मिनिस्ट्री को पांच महीने हो गये हैं । इस समय के अन्दर उनकी क्या क्या प्लैनिंग हुई है, उन्होंने क्या क्या किया है, और आगे आप क्या करने वाले हैं, इस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाय । अगर आप फारेन कंट्रीज में जायेंगे तो वहां से क्या क्या परचेज करेंगे ? जैसे पहले जीप स्कैन्डल हुआ था उस तरह से अब नहीं होना चाहिये, इस के लिये आप ने क्या किया है ? आज हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं, उसके साथ कमिटीज बनती हैं । लेकिन सवाल यह है कि आज असली काम क्या होता है । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी साहब श्री चव्हाण के पास ही बैठते हैं । दोनों का कमरा पास पास है । वे श्री चव्हाण को सप्लिमेंट और कम्प्लिमेंट करते हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज डिफेंस प्रोडक्शन कौंसिल की जरूरत क्यों पड़ी । इस के लिये आप की प्लैनिंग क्या है और आप क्या करना चाहते हैं ?

आप ने हमको एक छोटी सी किताब दी है । उससे कुछ पता नहीं चलता । डिमांड्स फार ग्रांट्स को पढ़ने से यह पता नहीं चलता कि आप क्या कोआर्डिनेशन कर रहे हैं । इस के साथ एक्स्प्लेनेटरी नोट दिया है वह काफी नहीं है इसलिये हम बड़े अन्धकार में हैं कि दरअसल मिनिस्ट्री आफ एकानमिक एंड डिफेंस कोआर्डिनेशन की जरूरत क्या है । क्या आप कोई फाल्ट फाइंडिंग करेंगे ? और क्या फाल्ट फाइंडिंग करने के बाद आप उस फाल्ट को निकालेंगे भी ? अगर आप इसे करेंगे तो यह तो खुद दर्द पैदा करने और खुद उस को दवा करने की स्थिति हो जायेगी । जैसा शेक्सपियर ने लिखा है :

"पागल, प्रेमी और कवि अवास्तविक वस्तु को भी वास्तविकता का रूप दे देते हैं ।"

वैसी ही बात यह हो जायेगी । अगर फाल्ट फाइंडिंग के बाद आप उसकी रेमेडी निकालेंगे तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में हार्ट बर्निंग हो जायेगी आपस में । मैं चाहता हूं कि आप की प्लैनिंग सामने आ जाय । आप ने आज तक क्या किया है, आप मार्केट में जाकर क्या करने वाले हैं, अगर आप इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा ।

वैसे तो मैं समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब निर्माण हुआ है तो आप को रेड टेपिज्म और करप्शन को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

[श्री हेडा]

है। यह बात इसी सीमा तक दूसरी वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होती होगी, किन्तु मशीनों और दूसरी वस्तुओं के मूल्य में भी भिन्नता अवश्य है। इसलिये जब तक हमारे व्यक्तियों को यह पता नहीं लग जाता कि कौनसी वस्तु कहां सस्ती मिल सकती है तब तक हम लाभ नहीं उठा सकते।

इसलिये श्री कृष्णमाचारी ने यह विभाग अपने हाथ में लेकर अच्छा ही किया। उन्होंने प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया, अन्यथा निजी क्षेत्र के लोग सरकार को सामान देने में भी हिचकिचाते थे। क्योंकि उन्हें कभी कभी भुगतान प्राप्त करने में वर्षों लग जाते थे।

श्री हाथी ने इस बात पर बल दिया कि अपनी आवश्यकताओं के लिये मांग पेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वह वस्तुएं देशीय साधनों से प्राप्त नहीं हो सकतीं। मंत्री महोदय के लिये यह मालूम करना कि किसी वस्तु का देश में निर्माण हो सकता है कि नहीं बहुत आसान है। इस बारे में कारखानेदारों को संकेत दिया जा सकता है और यदि वह इस में सक्षम होंगे तो वह आगे आ सकते हैं। मैं सरकारी क्षेत्र के पक्ष में हूं, परन्तु जब तक सरकारी क्षेत्र का पूरी तरह विकास नहीं हो जाता तब तक यदि निजी क्षेत्र में आयुधों के निर्माण के अवसर उपलब्ध किये जायें तो अधिक अच्छा होगा। बहुत से इंजीनियरिंग सार्थ इस क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह समन्वय मंत्रालय अधिक उपयोगी सिद्ध होगा अतः इसे और कार्य सौंपे जाने चाहियें।

†श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त शासी जिले): माननीय राज्य मंत्री को सुनने के पश्चात भी इस मंत्रालय की आवश्यकता, कार्य-क्षेत्र और कृत्यों के बारे में मैं सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। मुख्य बात समन्वय सम्बन्धी है, यह समन्वय कैसे हो सकता है और क्या यह हो सकता है कि नहीं, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है, अतः मुझे आशा है कि स्वयं मंत्री महोदय इस को स्पष्ट करेंगे।

इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया, अतः मंत्री महोदय की स्थिति विवादास्पद है, और वह एक कठिन और अप्रशंसित कार्य कर रहे हैं। इस मंत्रालय का कर्तव्य देश में हो रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करना और उन में सुधार के लिये सुझाव और शिफारिशें करना है। परन्तु मुझे शंका यह है कि ऐसा करते हुए मंत्री महोदय अपने सहयोगियों की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करेंगे।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से भी यही विदित है कि इस मंत्रालय का कार्य क्षेत्र निर्धारित अथवा सीमित नहीं है।

मुझे श्री कृष्णमाचारी की योग्यता और कार्य-क्षमता में विश्वास है। पहले उन्हें केवल आर्थिक समस्याओं की ओर ही ध्यान देना था, परन्तु प्रतिरक्षा सम्बधी उत्तरदायित्व उन पर डाल कर उन को स्थिति को अधिक पेचीदा और कठिन बना दिया गया है। श्री कृष्णमाचारी को व्यावहारिक दृष्टि से लगभग सभी मंत्रालयों संबंधी कार्यों को देखना होता है। अतः यह कार्य बहुत अनिश्चित सा हो जाता है। मंत्री महोदय चाहें तो अच्छा और देश के लिये हितकारी काम कर सकते हैं, और चाहें तो अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना भी कर सकते हैं। वास्तव में यह काम प्रधान मंत्री का है। परन्तु फिर भी मेरी शुभ कामनायें मंत्री महोदय के साथ हैं। मुझे आशा है कि उन सब बातों के बावजूद भी वह देश के हित में अच्छा काम कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

जवानों के लिये आवश्यक सामान, कंबल, गरम कपड़े, मोजे इत्यादि क उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

मशोनों पुर्जे संयंत्रों का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इनका आयात यथा संभव कम कर दिया जाये।

†**श्री हेडा (निजामाबाद)** : हर व्यक्ति को आशा थी कि श्री कृष्णमाचारी को मंत्रिमंडल में ले लिया जायेगा। किन्तु जब उन्हें बिना विभाग का मंत्री नियुक्त कर दिया गया तब हर किसी को आश्चर्य हुआ क्योंकि श्री कृष्णमाचारी को बहुत से विषयों का पूर्ण ज्ञान था और उनमें रात दिन अथवा परिश्रम करने की क्षमता थी।

तथापि बिना विभाग के मंत्री के रूप में भी उनका कार्य अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी मुक्त कंठ से उनकी योग्यता की सराहना की है।

कुछ भी हो, मुझे हर्ष है कि उन्हें कार्यभार सौंप दिया गया है, यद्यपि वह उनकी योग्यता को देखते हुये बहुत हल्की कोटि का है।

श्री हीरेन मुकर्जी ने कल श्री कृष्णमाचारी के उस भाषण का उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने नरभक्षियों की बात कही थी। मुझे भी आश्चर्य है कि उन्हें समवाय विधि प्रशासन का कार्य-भार क्यों नहीं सौंपा गया। वह इसके लिये सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति थे। निजी क्षेत्र के हित में भी यह अच्छा होता, क्योंकि उसके कतिपय दुष्ट व्यक्तियों को यदि दण्डित कर दिया जाये तो निसन्देह उसका विकास ही होगा।

श्री कृष्णमाचारी का कार्य, आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय, अत्यन्त कठिन है। संभरण और विकास संबंधी विभागों के अतिरिक्त यह समझ में ही नहीं आता कि उनके अन्य कार्य क्या हैं। तथापि यह तो स्पष्ट ही है कि हर स्थान पर, जहां समस्याओं, गतिरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, श्री कृष्णमाचारी के हस्तक्षेप से उनका समाधान सहल हो जाता है। मुझे स्वयं अनुभव है कि इतने कम समय में उन्हें कितनी सफलता मिल चुकी है।

उन्हें एक सुविधा भी है। कुछ काल से वह बिना किसी पद के ही हैं। मेरी धारणा है कि कोई व्यक्ति जो पहले पदस्थ हो, कुछ काल तक बिना किसी पद के रहकर यदि पुनः कार्यभार संभाले, तो उसका मस्तिष्क और दृष्टिकोण दोनों पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं। इस बीच के अवकाश में वह लोगों से मिले होंगे, विभिन्न प्रकार के लोगों से उनका सम्पर्क हुआ होगा और उन्होंने सरकार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया और उनके विचारों का अध्ययन किया होगा। इस प्रकार वह समय अत्यन्त उपयोगी रहा होगा और अब वह देश की अच्छी प्रकार सेवा कर सकेंगे।

श्री हाथी का भाषण सुनकर मुझे अनुभव हुआ कि संभरण विभाग का कार्य, कम से कम, बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लन्दन के इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट और वाशिंगटन के इंडिया सप्लाई मिशन का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। मुझे आशा है कि श्री कृष्णमाचारी के आने से इन दोनों विभागों के कार्यों में सुधार होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं ब्योरे में जाना नहीं चाहता, किन्तु उदाहरण स्वरूप एक दो बातें कहना चाहता हूं। पार्कर पेन--६१ का मूल्य अमरीका के विभिन्न स्थानों में १२।। डालर से लेकर २४ डालर तक

†मूल अंग्रेज़ी में

है । यह बात इसी सीमा तक दूसरी वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होती होगी, किन्तु मशीनों और दूसरी वस्तुओं के मूल्य में भी भिन्नता अवश्य है। इसलिये जब तक हमारे व्यक्तियों को यह पता नहीं लग जाता कि कौनसी वस्तु कहां सस्ती मिल सकती है तब तक हम लाभ नहीं उठा सकते ।

इसलिये श्री कृष्णमाचारी ने यह विभाग अपने हाथ में लेकर अच्छा ही किया । उन्होंने प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया, अन्यथा निजी क्षेत्र के लोग सरकार को सामान देने में भी हिचकिचाते थे । क्योंकि उन्हें कभी कभी भुगतान प्राप्त करने में वर्षों लग जाते थे ।

श्री हाथी ने इस बात पर बल दिया कि अपनी आवश्यकताओं के लिये मांग पेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वह वस्तुएं देशीय साधनों से प्राप्त नहीं हो सकतीं । मंत्री महोदय के लिये यह मालूम करना कि किसी वस्तु का देश में निर्माण हो सकता है कि नहीं बहुत आसान है । इस बारे में कारखानेदारों को संकेत दिया जा सकता है और यदि वह इस में सक्षम होंगे तो वह आगे आ सकते हैं । मैं सरकारी क्षेत्र के पक्ष में हूं, परन्तु जब तक सरकारी क्षेत्र का पूरी तरह विकास नहीं हो जाता तब तक यदि निजी क्षेत्र में आयुधों के निर्माण के अवसर उपलब्ध किये जायें तो अधिक अच्छा होगा । बहुत से इंजीनियरिंग सार्थ इस क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह समन्वय मंत्रालय अधिक उपयोगी सिद्ध होगा अतः इसे और कार्य सौंपे जाने चाहियें ।

†श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त शासी जिले): माननीय राज्य मंत्री को सुनने के पश्चात भी इस मंत्रालय की आवश्यकता, कार्य-क्षेत्र और कृत्यों के बारे में मैं सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं । मुख्य बात समन्वय सम्बन्धी है, यह समन्वय कैसे हो सकता है और क्या यह हो सकता है कि नहीं, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है, अतः मुझे आशा है कि स्वयं मंत्री महोदय इस को स्पष्ट करेंगे ।

इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया, अतः मंत्री महोदय की स्थिति विवादास्पद है, और वह एक कठिन और अप्रशंसित कार्य कर रहे हैं । इस मंत्रालय का कर्तव्य देश में हो रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करना और उन में सुधार के लिये सुझाव और शिफारिशें करना है । परन्तु मुझे शंका यह है कि ऐसा करते हुए मंत्री महोदय अपने सहयोगियों की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करेंगे ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से भी यही विदित है कि इस मंत्रालय का कार्य क्षेत्र निर्धारित अथवा सीमित नहीं है ।

मुझे श्री कृष्णमाचारी की योग्यता और कार्य-क्षमता में विश्वास है । पहले उन्हें केवल आर्थिक समस्याओं की ओर ही ध्यान देना था, परन्तु प्रतिरक्षा सम्बधी उत्तरदायित्व उन पर डाल कर उन की स्थिति को अधिक पेचीदा और कठिन बना दिया गया है । श्री कृष्णमाचारी को व्यावहारिक दृष्टि से लगभग सभी मंत्रालयों संबंधी कार्यों को देखना होता है । अतः यह कार्य बहुत अनिश्चित सा हो जाता है । मंत्री महोदय चाहें तो अच्छा और देश के लिये हितकारी काम कर सकते हैं, और चाहें तो अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना भी कर सकते हैं । वास्तव में यह काम प्रधान मंत्री का है । परन्तु फिर भी मेरी शुभ कामनायें मंत्री महोदय के साथ हैं । मुझे आशा है कि उन सब बातों के बावजूद भी वह देश के हित में अच्छा काम कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री महोदय अमरीका जा रहे हैं और मुझे आशा है कि वह अपने पूर्वगामी, उड़ीसा के मुख्य मंत्री, के समान कोई उलझन पैदा न कर समुचित काम कर के लौटेंगे जो देश के लिये इस संकटकाल में लाभदायक सिद्ध होगा ।

मंत्री महोदय ने मंत्रि-पद सम्भालने के तुरन्त पश्चात आसाम की यात्रा करके बहुत अच्छा किया। उन्होंने सिलिगुड़ी से जोगीफोपा तक बड़ी लाइन की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित कर सराहनीय काम किया है। रेलवे मंत्री ने उन के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है . परन्तु मुझे एक बात की ओर निर्देश करना है। जोगीफोपा एक छोटा सा स्थान है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यदि आप नदी से दूसरी ओर जाना चाहें तो आप को नाव के जरिये जाना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र जैसी नदी में नौ परिवहन की आवश्यकता भी अनिश्चित सी है। अपनी प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से शायद आप को इस नदी पर पुल भी डालना पड़े जिस पर ११ से बारह करोड़ रु० व्यय होगा। इस लिये यदि आप यह लाइन जोगीफोपा की बजाय गौहाटी तक बनायें जो कि आसाम का सब से बड़ा नगर है और आसाम जाने का द्वार है, तो अधिक अच्छा होगा। इस के अतिरिक्त गौहाटी अन्तिम स्टेशन है जहां भवनों आदि पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ेगा। वित्तीय दृष्टिकोण से भी जोगीफोपा की तुलना में गौहाटी का प्रस्ताव अधिक उपयोगी है और मितव्ययी भी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में अधिक प्रकाश डालें।

शिलोंग में हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में निश्चय कर लिया गया है परन्तु इस बारे में अधिक प्रगति दिखाई नहीं पड़ती। शिलोंग आसाम राज्य की राजधानी है। यह एक महत्वपूर्ण छावनी है। केवल प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही दृष्टि में रखते हुए भी यह हवाई अड्डा बनाना आवश्यक है। चीनियों को खदेड़ने के लिये हमें उन से युद्ध करना है और चीनी आक्रमण नहीं करेंगे यह इस बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। चीनियों के साथ हमारा युद्ध नेफा और आसाम में ही होगा। वहीं पर शिलांग स्थित है। छापामार युद्ध के लिये भी यह उपयुक्त स्थान है। युद्ध काल में संचार व्यवस्था भी वायु के जरिये कायम रह सकती है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि शिलांग में हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी उचित क़दम अविलम्ब उठाये जायें।

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपनी अपनी बातें आप के सामने रक्खीं हैं, परन्तु मैं थोड़ी सी दूसरी भावनायें इस विषय में रखना चाहता हूं, जो नितांत आवश्यक है।

ब्रिटिश टाइम में मिलिटरी के प्रबन्ध को हम सब ने देखा है परन्तु आज उस के विपरीत हमारे देश की स्थिति यह है कि शाहजहांपुर के पास, जहां का मैं रहने वाला हूं, एक जगह टनकपुर है। वह मिलिटरी ट्रांसपोर्ट स्टेशन है, उसी जगह से आगे की ओर सैनिक अलमोड़े की तरफ़ भेजे जाते हैं। परन्तु मुझे बड़े दुख: के साथ बतलाना पड़ता है कि इन दोनों स्टेशनों पर मिलिटरी के हजारों आदमी नित्य रहते हैं लेकिन उन के लिये-पीने के पानी तक का समुचित प्रबंध नहीं है। मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारी मिलिटरी का आज इतना महत्व है उस समय जो मिलिटरी शाहजहांपुर में पड़ी है उस के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं उस को दरिया में स्नान करने के लिये जाना पड़ता है? एक तरफ यह परिस्थिति चल रही है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमारी मिनिस्ट्री बड़े सक्सेसफुली कार्य कर रही है। मैं इन दोनों के बीच में बड़ा भेद अनुभव करता हूं। मैं मिनिस्टर महोदय को बतलाना चाहता हूं कि आज जिन के बल बूते पर हमें देश को बचाना है, अगर उस मिलिटरी की दैनिक आवश्यकताओं की, उन के रहने के स्थान की, उन के पीने के पानी का हमारी

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

सरकार ने ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं किया तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से आगामी लड़ाई में हम कामयाबी या सफलता प्राप्त कर सकेंगे ।

डिफेंस मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में मैं शाहजहांपुर की ही एक और बात बतलाना चाहता हूं । शाहजहांपुर में भारत की सब से बड़ी आर्मी क्लोदिंग फैक्टरी हैं । वहां पर सूट की या दूसरे कपड़ों की जितनी सिलाई पड़ती है, अगर हम कंट्रेक्ट बेसिस पर उन्हीं कपड़ों की सिलायें तो उस से बहुत सस्ते में सिल सकते हैं । यह परिस्थिति तब है जब कि इस फैक्ट्री के अन्दर सारी आटोमैटिक मशीनें हैं । यहा तक कि बटन लगाने की, कपड़ा काटने की भी आटोमैटिक मशीनें हैं, सब कुछ होने के बाद करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी जो सिलाई पड़ती है वह बहुत ज्यादा है । अगर मार्केट में कंट्रेक्ट बेसिस पर कपड़े सिलवाये जायें तो वही कपड़े आधे दामों में सिल सकते हैं । आज इसी फैक्टरी पर दूने और तिगुने खर्चे की बात चल रही है ।

सारे देश में जितनी भी चीजें आज सरकार के पास जा रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी क्षेत्र से कोई भी चीज़ सप्लाई में जा ही नहीं सकती जब तक कि उसके लिये बाकायदा भोग न लगाया जाय । जो भी उस के निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं उस के रेट्स बने हुए हैं । जब आज हमारे देश पर इतनी बड़ी मुसीबत चाइनीज़ आक्रमण की आई हुई है और सारे देश को तैयार करना है, तब हमारे कोआर्डिनेशन मिनिस्टर महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिये कि जो चीजें हमारी मिलिटरी की आवश्यकताओं की फौरन पहुंचनी चाहियें उनके पहुंचने में इस लिये देर लगती है कि वह जल्दी पास नहीं की जातीं । मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि चीजें बिल्कुल शेड्यूल उसी ढंग की बनी हुई हैं जैसा कि आर्डर दिया गया तब भी जब तक उसके लिये कुछ पेमेंट न करें, जब तक उन अधिकारियों की तरफ जो कि उन का इन्स्पेक्शन करते हैं, अपने हाथ न बढ़ायें तब तक उन चीजों को पास नहीं किया जाता । दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में इस तरह की परिस्थिति है परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ऐसा मेरा निज का विश्वास है । मैं ऐसी चीजें स्वत: देख चुका हूं ।

इसी के साथ जितनी सरकारी फैक्टरीज़ पब्लिक सेक्टर में हैं मैं उनके प्रश्न को भी आदरणीय मिनिस्टर महोदय की सेवा में रखना चाहता हूं । प्राइवेट कंसर्न्स में भी चीजें बनती हैं वे सस्ती हैं और जितनी भी चीजें सरकारी क्षेत्र में बनती हैं उन के मूल्य बहुत ज्यादा हैं । एक बुकलेट भी आई थी कि भोपाल मशीन टूल्स फैक्टरी में मुनाफा हुआ । परन्तु मैं बतलाना चाहता हूं कि मशीन टूल्स फैक्ट्री में जो चीजें बनाई गईं उन के दाम इतने ज्यादा हैं कि जिस का ठिकाना नहीं है । दूसरे सरकारी क्षेत्र के कारखानें में वे मशीनें भेज दी गईं अगर उनको मार्केट में बेचा जाता तो सम्भत: घाटा देखने में दिक्कत न होती । लेकिन आप ने एक चीज़ ले कर दूसरे डिपार्टमेंट को दे दी और देने के बाद कह दिया कि आप को इतना मुनाफा हुआ । मैं इसको मुनाफा नहीं मानता । मुनाफा तो मैं उसको समझता कि मार्केट के कम्पिटीशन में सरकार पब्लिक सेक्टर की बनी चीजों को तैयार करके मार्केट के लेबल पर ला कर मुनाफा दिखलाती । उस को मुनाफा वास्तव में कहा जा सकता था, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अरबों रुपये हमारे इन फैक्टरीज़ में लगे हुए हैं फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन में प्राफिट हो रहा है ।

अभी तक हमारे देश में जनता के पास जितनी भी बन्दूकें, रिवाल्वर और राइफल्स हैं उन के बारे में किसी से भी पूछिये, तो पता लगता है कि वे अभी तक हिन्दुस्तान में बन ही नहीं सकतीं । थोड़े दिन पहले कानपुर में कुछ बन्दूकें बनी थीं पर आज सारे के सारे फायर आर्म्स विलायत से आ

रहे हैं । मैं मिनिस्टर महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि यह हमारे देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि सामान्य नागरिक जो बन्दूकें खरीदता है वह १५०० या १२०० रु० में आती हैं। जब मैं ने रिवाल्वर लिया था तो उसका दाम ६५ रु० था लेकिन आज उसका दाम २५०० रु० है । इतना बड़ा खर्चा फारेन एक्सचेंज का इस ओर हो रहा है । दैवयोग से हमारे वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई भी बैठे हुए हैं । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा फारेन एक्सचेंज का खर्चा होने के बाद भी फायर आर्म्स हिन्दुस्तान में क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ? अगर डिफेन्स मिनिस्ट्री की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के पास समय नहीं तो कोई खास बात नहीं है । देश में बरते जाने वाले फायर आर्म्स के बनाने का भारतीय फर्मों को ठेका दिया जाय, अथवा परमिट दिया जाय कि वह देश के अन्दर आवश्यक चीजें बनायें । मैं इसको देश के लिये अपमानजनक मानता हूं कि हम अपने देश की दैनिक आवश्यकताओं के लिये छोटी-छोटी बन्दूकें और रिवाल्वर भी विदेशों से मंगायें और इतना फारेन एक्सचेंज खर्च करें ।

यहां पर किसी साहब ने कहा कि आदरणीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी विदेश जाने वाले हैं । इसके सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं । हमारे देश पर इतना कर्जा हो चुका है उसकी ओर ध्यान दिया जाय । आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि बिना कर्जे के हमारा काम नहीं चल सकता । शायद जिन्दा रहने के लिये भी अब हम को कर्जा लेना पड़ेगा । कर्जे की कोई लिमिट होनी चाहिये कि हम कितना कर्जा दूसरे देशों से ले सकते हैं । हमारे देश के एक-एक आदमी पर फारेन एक्सचेंज के कर्जे का बोझा पड़ रहा है, परन्तु आज शायद हमारे नेताओं की और बड़े-बड़े मिनिस्टरों की सफलता का मापदंड या सब से बड़ा काम यह है कि वह विदेशों में जायें और कर्जा ले आयें । हमारे जो सोर्सेज़ हैं देश के अन्दर, जो क्षमता है, उसी के अनुसार हम अपने कार्यक्रम अपना सकते थे । हमारे देश में रुपयों का इतना दुरुपयोग हुआ है कि उसी के कारण, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, हम कर्जे लेने की ओर बार-बार बढ़ते हैं । अगर हम इस रुपये को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करते तो शायद हमारे सोर्सेज़ की आज जो स्थिति है उस तरह की न होती ।

मैं अन्त में केवल एक बात आप के सामने रखना चाहूंगा । आज भी हमारे देश में जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं उस में एक कागज को एक मेज से दूसरी मेज पर जाने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश में एमर्जेन्सी लगी हुई है, एक बड़ा खतरा हमारे सामने है, अगर इस टाइम में भी हम अपने कार्यक्रमों को शीघ्रता से नहीं पूरा करेंगे तो वह कौन समय आयेगा जबकि हम अपने देश से इस प्रकार की परिस्थिति को दूर कर सकेंगे ?

इन शब्दों के साथ आप को धन्यवाद देता हुआ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे कितना समय मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सूचित किया गया था कि आप केवल आध घंटा चाहते हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे इतने समय की ही आवश्यकता होगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा के समक्ष कुछ समय भय के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने द्वारा प्राप्त सफलतायें नहीं दिखा सकता, परन्तु सभा में जिस प्रकार मेरी मांग का स्वागत हुआ है उस से मुझे साहस मिला है । मैं विशेषतया प्रो० मुकर्जी का आभारी हूं कि उन्हों ने उत्साह-वर्धक ढंग से वक्तव्य दिया । वास्तव में, इस मंत्रालय की उपयुक्तता के विषय में माननीय सदस्यों

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

के जो भी सन्देह हों, और जो कार्य इसे सौंपे गये हैं उनके विषय में इस मंत्रालय द्वारा प्रभावपूर्ण योगदान देने की क्षमता सम्बन्धी जो भी विचार हों, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं इस कार्य के लिये अयोग्य व्यक्ति हूं, स्वयं मुझ में भले ही विश्वास की कमी है। मैं ने आज समाचार-पत्र में देखा कि मेरे विरुद्ध कुछ कार्यवाही किये जाने की उस में चर्चा थी परन्तु यह बात सर्वथा निराधार है।

वर्तमान प्रसंग में इस प्रकार के विभाग की आवश्यकता के उदाहरण अन्य देशों में भी मिलते हैं। मुझे खेद है कि श्री माथुर यहां उपस्थित नहीं हैं। वह कह रहे थे कि इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते। इस प्रकार का एक उदाहरण इंग्लैंड में है। बहुत हिचकिचाहट के पश्चात् वर्ष १९४२ में उन्होंने युद्ध उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया जिसका कार्यभार लौर्ड बीवरब्रुक को संभाला। लार्ड बीवरब्रुक अस्वस्थ होने के कारण १५ ही दिन में इस मंत्रालय से चले गये और उनका स्थान ओलिवर लिटलटन ने ले लिया। इस प्रकार जब मुझे यह कार्य संभालने के लिये कहा गया तो मैंने अन्य देशों में ऐसे उदाहरण ढूंढने का प्रयत्न किया था जोकि ऐसे ही प्रयासों में रत्त थे, और मुझे बिल्कुल इसी प्रकार का उदाहरण इंग्लैंड में मिला था। श्री ओलिवर लिटलटन ने १४ मार्च, १९४२ को हाउस आफ कामन्स में जो कुछ कहा उस में से एक पैरा मैं आप के समक्ष रखता हूं :—

> "जो शक्तियां मेरे ही कहने पर मुझे दी गई हैं वह समुचित और सुतथ्य हैं। यह शक्तियां श्वेतपत्र में समाविष्ट नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि सभा दो बातों पर सहमत होगी। इतने विस्तृत क्षेत्र के लिये एक चार्टर तैयार करना कठिन होगा और ऐसे चार्टर से लचकीलेपन में बाधा पड़ेगी जिसकी आवश्यकता है। दूसरे, कुछ आवश्यक सम्भरणों और सेवाओं पर वास्तविक नियंत्रण किसी कागजी समाज्ञा से काफी अधिक होगा।"

प्रधान मंत्री द्वारा मुझे सुपुर्द कार्यों तथा कर्त्तव्यों की सीमा कुछ इसी प्रकार की है। अमरीका में भी इसी प्रकार का मुझे उदाहरण मिला। कई प्रकार के प्रयोग करने के पश्चात् अन्त में वह इस निश्चय पर पहुंचे कि किसी विभाग के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किये बिना एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाय। फिर उन्होंने श्री जान बर्न्स को नियुक्त किया और उन्हें समन्वय कार्य सपुर्द किया। उन को जो अन्य कार्य सपुर्द किये गये उनके विस्तृत होने के कारण उनकी व्याख्या करना कठिन है। वह लगभग मंत्रिमंडल के सदस्य ही थे और उन्हें बहुत सी शक्तियां प्राप्त थीं। यही दो उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि मैं जब ८ जून, १९६२ को यहां आया तो उस समय आपात-काल नहीं था। परन्तु प्रधान मंत्री ने उल्लेख किये बिना मुझे आर्थिक समन्वय सम्बन्धी कार्य सम्भाला। जो व्यवस्था बनाई गई उसे मंत्रिमण्डल में विशेष आर्थिक समन्वय एकक कह कर पुकारा जाता था। यह कार्य बहुत कठिन था क्योंकि आर्थिक समन्वय एक कठिन कार्य है। परन्तु मैं सूचित करना चाहूंगा कि विशेष आर्थिक समन्वय एकक ने, जो अब भी कायम है, बहुत अच्छा कार्य किया है। यह पूछना उचित नहीं होगा कि इस ने कौन सा कार्य किया क्योंकि इस से सरकार की कार्य व्यवस्था में पाई जाने वाली त्रुटियों का भेद खुलेगा। परन्तु मैं इस अवसर पर विशेष आर्थिक समन्वय एकक के सचिव के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरे साथ मिल कर इस क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि लोक सेवा की अनिवार्यता के कारण वह मेरे साथ कार्य न करते हुए आज प्रतिरक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं। मेरा निर्देश श्री राव की ओर है।

अब जब से आपातकाल आरम्भ हुआ सम्भरण विभाग का अनिश्चित सा कार्य मुझे सौंप दिया गया और यह भी नाममात्र, क्योंकि इस विभाग के ऊपर वास्तव में श्री हाथी उपस्थित हैं । यह एक बार फिर मेरा सौभाग्य है कि श्री हाथी जैसे व्यक्ति मेरे साथी बने । वह मेरे महामूल्य सहयोगी प्रमाणित हुए हैं । श्री हाथी की सभा में विभिन्न प्रश्न सम्बन्धी प्रतिक्रिया से उन की उपयोगिता सभा को विदित है ।

सम्भरण विभाग का अपना इतिहास है । तकनीकी विकास विभाग जिसे विकास विंग कहते हैं की भी यही अवस्था है । यह गत युद्ध की उपज थे, और यह सम्भरण सदस्य, श्री रामास्वामी मुदलियार, के अधीन कार्य कर रहे थे । केवल सम्भरण ही नहीं बल्कि आयुक्त उत्पादन के महानिदेशालय और समूचे उद्योग, कच्चा माल और विकास विभाग जो उद्योग के परामर्श के प्रयोजनार्थ बनाया गया था, युद्ध प्रयासों सम्बन्धी समूचा असैनिक उत्पादन क्षेत्र और नौवहन तथा परिवहन तक भी उनके अधीन थे । श्री रामास्वामी मुदलियार को बहुत विस्तृत कार्य सौंपे गये थे । युद्ध के पश्चात् यह विभाग अलग अलग होने आरम्भ हुए । औद्योगिक मंत्रालय में असैनिक तथा विकास विंग दोनों थे । वर्ष १९५१ में इसका फिर विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप विभिन्न परिवर्तन आ गये हैं, यहां तक कि एक मंत्रालय का कार्य आज छः मंत्रालय कर रहे हैं, वह एक मंत्रालय युद्ध काल में सम्भरण मंत्रालय था । यह कहना कि सम्भरण विभाग तुच्छ था अथवा कि वह बहुत मंदगति से कार्य कर रहा था तथ्यों पर निर्धारित नहीं है । तकनीकी विकास विभाग अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधी ननहीं है । कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है । मैं समझता हूं कि किन्हीं उत्तरदायित्वों का उल्लेख किये बिना एक मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास विभाग का होना लाभदायक है क्योंकि तकनीकी विकास विभाग आज कई मंत्रालयों के काम करता है जैसे प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, आदि, आदि । इसलिए यह शायद अच्छी बात है कि यह एक ऐसे मंत्रालय के अधीन हैं जिसके कोई उल्लिखित उत्तरदायित्व नहीं हैं ।

मैं अपने उत्तरदायित्वों को जोड़ कर इस प्रकार रख सकता हूं : सम्भरण विभाग, तकनीकी विकास विभाग और विशेष आर्थिक समन्वय एकक जो कि जून में स्थापित किया गया ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस मंत्रालय में बहुत से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं । मैं समझता हूं कि अभी मंजूरशुदा संख्या के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गयीं । मंजूरशुदा संख्या २४६ है । जब कि २२२ व्यक्ति अभी नियुक्त किये गये हैं । इन में से कुछ सम्भरण विभाग के लिये सम्पर्क अधिकारी के तौर पर भी कार्य करते हैं जो कि पहले से विद्यमान था । कुछ तकनीकी विकास विभाग में काम करते हैं और एक सौ व्यक्ति विशेष समन्वय एकक में हैं जो पहले से कार्य कर रहा था । इसलिये समन्वय मंत्रालय के पास जितने व्यक्ति बच गये वह किसी सीमा तक अधिक भी हो सकते हैं परन्तु मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इतने व्यक्तियों का होना आवश्यक है । जिस माननीय सदस्य ने मुझे इस बारे में चेतावनी दी मैं समझता हूं कि समय आने पर वह भी मेरे साथ सहमत होंगे । वास्तव में हमारे पास बहुत कम अधिकारी हैं ।

इन अधिकारियों पर फाइलों का बोझा नहीं है । उन्हें अविलम्ब निर्णय लेने होते हैं । यदि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि मेरे पास एक सचिव, २ अतिरिक्त सचिव, ४ सह-सचिव, ८ उप-सचिव १६ अवर-सचिव और उसी के अनुपात में अधीक्षक होने चाहियें, तो मेरा काम करने का तरीका ऐसा नहीं है ।

[श्री ति० त० कृष्णामाचारी]

जिन विशिष्ट समस्याओं का वर्णन सभा में किया गया उनका समाधान प्रभावपूर्ण ढंग से करने पर मैं अपने साथी का आभारी हूं । परन्तु कुछ मामले ऐसे हैं जिन के बारे में सभा चाहती है कि मैं चर्चा करूं ।

एक मामला फरक्का बांध का है जिस के साथ मेरा संबंध न होते हुए भी मेरी आलोचना की गई है । बंगाल के कुछ समाचारपत्रों में मेरे बारे में और मेरी क्षमता के बारे में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया । वास्तव में यह कुछ उन मामलों में से है जिस के बारे में मैं दोषी नहीं हूं । कुछ सरकारी गुप्त बातों की चर्चा करते हुए भी मैं अपने वरिष्ठ साथियों की उपस्थिति में कह रहा हूं कि मैं ने केवल इतना कहा था कि या तो फरक्का बांध के काम की गति बढ़ाई जाये या हमें पुल बनाने के बारे में विचार करना चाहिये, या कम से कम हमें ३ अथवा ४ नौकाओं के बारे में विचार करना चाहिये । आलोचना सुनने का मैं अभ्यस्त हूं इसलिये उसकी मुझे चिन्ता नहीं है ? परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि फरक्का बांध में विलम्ब के लिये मैं दोषी नहीं हूं । वास्तव में, यदि मेरी धारणा को देखें तो मैं चाहूंगा कि इसे अति शीघ्र पूरा किया जाय । मैं चाहता हूं कि उसका लक्ष्य १९६७ हो ताकि यह १९६८ में पूरा हो जाये ।

एक दूसरा मामला जिस की चर्चा की गई और जिस में मुझे गहरी दिलचस्पी भी है बैरकपुर ट्रंक सड़क का पुल है । यद्यपि यह राज्य का विषय है मैं निश्चय ही पूछताछ करूंगा ताकि मैं जान सकूं कि मैं उस में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता हूं ।

श्री माथुर ने एक दो अन्य मामलों की चर्चा की, जैसे मोटर गाड़ियों के लिये आवश्यक सामान के सम्भरण के बारे में तकनीकी विकास विभाग का दोष है । जहां तक मैं समझता हूं यह विभाग इस के लिये उत्तरदायी नहीं है । अब उन्हें सामान प्राप्त हो गया है और वह मोटर गाड़ियां तैयार कर रहे हैं ।

एक प्रश्न मेरे सहयोगियों की तुलना में मेरी स्थिति के बारे में था । मैं १७ अन्य लोगों का सहयोगी हूं और मेरी स्थिति भी एक सहयोगी की सी है । प्रधान मंत्री प्रमुख हैं और मैं शेष लोगों के समान हूं । मैं अपने लिये कोई विशेष स्थान की कल्पना नहीं करता ।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि मेरे अपने साथियों से मतभेद है । विशेषकर, प्रतिरक्षा मंत्री, श्री चह्वाण के साथ मेरे मतभेद की चर्चा की गई । यदि दो व्यक्तियों में मतभेद नहीं होता तो इस का अर्थ यह है कि उन में से एक अनुपयोगी है । जिन लोगों ने यह आरोप लगाया मैं समझता हूं कि वह विवाहित हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन की अपनी पत्नियों से भी मतभेद है । फिर भी वह एक साथ रहते हैं । और काम करते हैं जब मैंने वर्ष १९५८ में सरकारी पद को छोड़ा तो प्रधान मंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्हों ने कहा था कि हम सहमत हुए हैं और कई बार असहमत भी हुए हैं और तर्क वितर्क की नौबत भी आई परन्तु हम एक ही उद्देश्य के लिये साथ साथ कार्य कर रहे थे; अर्थात् देश के विकस के लिये इस लिये हम ने साथ साथ कार्य किया । इसलिये, जब मुझे अपने प्रमुख से असहमत होने का सम्मान मिला तो मुझे सन्देह नहीं है कि मेरे अन्य सहयोगियों के साथ असहमत होने के लिये मुझे सम्मान देंगे । असहमत होने का अर्थ झगड़ा नहीं होता बल्कि संयोजन होता है । हम साथ साथ काम करते हैं और एक उद्देश्य को सम्मुख रख कर काम करते हैं । मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि मेरे सहयोगी अथवा मंत्री ने यह नहीं किया, या वह नहीं किया । मतभेद किसी मामले में हो सकता है परन्तु अन्त में हम किसी समझौते पर आ जाते हैं । मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति को एक उल्लिखित उत्तरदायित्व के बिना यह काम इस लिये सौंपा गया है क्योंकि मेरा इस में निजी अथवा व्यक्तिगत हित कोई नहीं है । जब मतभेद होते हैं तो कभी हम मध्य के मार्ग को अपनाते हैं और

कभी-कभी वह मेरे साथ सहमत हो जाते हैं। वास्तव में, बहुत से मामलों में, विदेशी सहायता और अन्य विभिन्न मामलों में, मुझे अपने सहयोगी के साथ काम करना पड़ता है जो मेरी दायें ओर बैठे हैं। मैं नहीं समझता कि बहुत से मामलों में मुझे उन्हें कष्ट देना पड़ा हो, क्योंकि सचिवालय को मैं ने अत्यन्त सहयोगी पाया है। और उन्होंने इस बारे में हिदायतें भी जारी की हुई हैं। जब कोई ऐसा मामला आ जाता है जिस के बारे में उन के पास जाना पड़ता है तो वह हर प्रकार सहायता करते हैं। अतः मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि विद्युत् मंत्रालय ने मेरे बगैर ही कुछ कर लिया। वह ऐसा कर सकते हैं। यदि वह मेरे बगैर कुछ करते हैं तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। यदि वह मेरे कारण ही कुछ करते हैं तो भी मुझे खेद नहीं होगा। परन्तु यह विशेष निर्देश एक सम्मेलन की ओर था जो मेरे सचिवालय द्वारा किया गया था अतः जिस में कुछ सामंजस्य स्थापित किया गया।

मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अतः मैं किसी प्रकार का श्रेय नहीं लेना चाहता। एक माननीय सदस्य ने सचिव समिति का उल्लेख किया है। सचिवों में तीव्रता की भावना होती है, उनके सामने उद्देश्य होता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न ही मेरे विचार में अन्य मंत्रालय किसी भी प्रकार के सहयोग से इनकार करेंगे। मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति केवल इशारे मात्र से हमारा काम कर देगा।

यह बात गलत है कि इस मंत्रालय का मुख्य कर्तव्य प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। बात अलग पृष्ठभूमि की है, परन्तु एक बात तो है ही कि इस मंत्रालय का प्रतिरक्षा प्रयोजनों और प्रतिरक्षा उपबन्धों से काफी निकट का सम्बन्ध है। जोगिगहोप के पुल के बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने के लिए इस स्थान को इस लिए चुना गया है। यह स्थान दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ नदी पर भी पूरा नियंत्रण है। कोई अनर्थ नहीं हो सकता। इस स्थिति में इस कार्य के लिए यह एक उपयुक्त स्थान समझा जाने लगा है।

शिलाँग में हवाई अड्डे के बारे में मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मैं कह नहीं सकता कि क्या हो रहा है। इतना मुझे विश्वास है कि यदि सैनिक दृष्टि से यहाँ एक हवाई अड्डे की आवश्यकता महसूस हुई तो पहाड़ी क्षेत्रों के निकट नदी के उस पार एक हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। यह निश्चित रूप से कहाँ होगा इसका निर्णय तो उपयुक्त प्राधिकार द्वारा ही हो सकता है।

जहाँ तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इसका वास्तविक महत्व तो उस समय आरम्भ होगा जब कि आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जायेगी। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही हट जायेगी। मंत्रालय देश के आर्थिक विकास का नियोजन करने में सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। अभी तो थोड़े से कर्मचारियों के साथ हम एक लघु संसाधन संगठन की स्थापना पर विचार कर रहे हैं। इस संगठन द्वारा केवल संसाधनों पर ही विचार नहीं किया जाना कि उनको कैसे पैदा किया जाय परन्तु यह भी कि उनका निर्धारण कैसे किया जाय। अतः हमें टेक्नीकल विकास विभाग का विस्तार करना होगा। उस में सब से बड़ी कठिनाई यह होगी कि समुचित तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध किये जायें। जब हमें कर्मचारी उपलब्ध होंगे तो मेरा विचार है कि उसके लिए १२ निदेशालय होंगे और प्रत्येक निदेशालय के अन्तर्गत एक योजना विभाग होगा। देश के औद्योगिक विकास के बारे में वे योजना आयोग को पूरी सामग्री का सम्भरण करेंगे। समुचित संगठन के लिए जनशक्ति अपेक्षित तो है ही परन्तु समुचित संगठन का होना बड़ा ही आवश्यक है। विभिन्न मंत्रालयों के आधीन अभी हाल जो भी जन शक्ति कार्य कर रही है, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्यायें हैं। उनके अलग-अलग संगठनों को एक नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यह शक्ति विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित नहीं रहनी चाहिए । आशा है प्रधान मंत्री मुझे इस प्रकार का एकक स्थापित करने की अनुमति दे देंगे । कारण यह है कि विदेशी मुद्रा और औद्योगिक उत्पादन के लिए अपेक्षित साधारण क्लर्कों से काम लेने के स्थान पर तुरन्त निर्णय करने वाले योग्य पदाधिकारी अधिक उपयुक्त होंगे, चाहे उनका वेतन अधिक ही क्यों न हो ।

प्रशासन के लिए औद्योगिक पुंज बड़ा आवश्यक है । आयोजन का प्रश्न भी बड़ा आवश्यक है । आयुध कारखानों में ९०,००० कर्मचारी हैं परन्तु केवल ३०० निरीक्षक ऐसे हैं जिन को कि मैं जानता हूं । आखिर हमें तकनीकी और इंजीनियर कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए । हम इस समस्या के प्रति सचेत हैं । हमें प्रतिरक्षा उत्पादन की दृष्टि से नये कारखानों का विस्तार करना है और नये नये कारखाने बनाने हैं । हमें बहुत से लोगों की आवश्यकता है । उन्हें उचित प्रकार से प्रशिक्षित करने के लिए जरूरत हो तो किसी विदेशी की सहायता भी लेनी चाहिए । हमें रोग का तो पता है परन्तु इलाज कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा ।

हम सहायता का उपयोग नहीं कर पा रहे । इस बारे में मेरे विचार में जो भी आलोचना हो रही है वह मेरे विचार में ठीक है । हमें आशा करनी चाहिए कि इस के फलस्वरूप कुछ अधिक काम हो सकेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मंत्रालय के उच्चाधिकारी लोग बहुत बड़े वेतन लेते हैं परन्तु वे बहुत योग्य होते हैं । क्या इस में सुधार होगा अथवा यह सिद्धान्त सभी मंत्रालयों में लागू होगा ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मंत्रालयों में दोहरा काम न हो और आगे के लिए प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए व्यापक आधार बने । क्या मंत्री महोदय इन कामों की ओर ध्यान दे रहे हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : डा० सिंघवी से मेरा कहना यह है कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में दोहरापन न आने पाये ।

'ईस्टर्न इक्कानमिस्ट' में कुछ बातें लिखी गयी हैं परन्तु मेरा कहना है कि सम्भरण विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सम्भरण और निबटान के महानिदेशालय के कार्यालय को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है । परन्तु इसके बावजूद विभाग सर्वथा सन्तोषजनक कार्य कर रहा है

अध्यक्ष महोदय द्वारा आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
११	आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय	१५,४१,०००
१२	संभरण तथा निपटान	२,६४,८१,०००
१३	आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५२,१५,०००
११६	आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	९२,०००

†**मूल अंग्रेजी में**

संसद कार्य विभाग

वर्ष १९६२–६३ के लिए संसद् कार्य विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१०८	संसद्-कार्य विभाग . .	२,९०,००० रु०

संसद् कार्य मन्त्रालय की मांग के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१०८	१	श्री हरि विष्णु कामत .	लोक सभा के अधिवेशनों के लिए सरकारी विधान कार्य को योग्यता से उपस्थित करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर १ रुपया की जाय ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता केन्द्रीय) : यह प्रसन्नता की बात है कि संसद कार्य मंत्री उसी भावना से इस विवाद में भाग लेंगे जिस भावना से हम लेते हैं । वैसे भी माननीय संसद कार्य मंत्री बहुत कम बोलते हैं परन्तु जब भी बोलते हैं कमाल कर देते हैं । चारों ओर से तालियां बज उठती हैं । मेरे विचार में आज तक किसी भी माननीय सदस्य के भाषण पर इतनी तालियां नहीं बजी जितनी कि इनके भाषणों पर बजती रही हैं । संसद के एक भूतपूर्व सदस्य श्री सादतअली खां जो कि आजकल इराक में भारत के राजदूत हैं ने भी अपनी पुस्तक में श्री सत्यनारायण सिंह जी की प्रशंसा की है । श्री मौरिस जौन्ज़ ने भी अपनी पुस्तक (भारतीय संसद) में श्री सत्यनारायण सिंह को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट किये हैं । मैं भी उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं ।

इस सब के बावजूद मेरा मत यह है कि वह सभा की कार्यवाही को गम्भीरता से व्यवस्थित नहीं कर पाये । इस कार्य में वह प्रायः असफल ही रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद कार्य विभाग को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सभा के कार्य का ठीक ढंग से आयोजन किया जाय । इस कार्य में बड़ी कुशलता से सारी व्यवस्था करने की आवश्यकता है । चर्चा के दौरान में प्रायः यह देखा जाता है कि कोरम की कमी हो जाती है । ऐसा नहीं होना चाहिये । संसद कार्य मंत्री को इस बारे में काफी सचेत रहना चाहिये । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में संसदीय समिति स्थापित करने में असाधारण देरी हुई है । यह कितने दुःख की बात है कि हमारे मंत्री महोदय अपने प्रभावशाली प्रयत्नों के बावजूद उपरोक्त समिति की स्थापना के प्रश्न पर दोनों सदनों को परस्पर एकमत करने में असमल रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मेरे विचार में यह भी मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है कि वह विरोधी दलों के सदस्यों से भी परामर्श लेते रहें। परन्तु उन्होंने ऐसा करने का कभी प्रश्न सोचा ही नहीं। किसी अच्छे पद पर किसी विरोधी दल के सदस्य का चुना जाना असम्भव है। मेरे विचार में सभा में पीठासीन अध्यक्षों के निर्वाचन में विरोधी दलों से परामर्श करना चाहिये। राजभाषा विधेयक सरीखे विवादास्पद विधेयकों के लिये विशेष रूप से और सामान्यतः कार्य की आयोजना के बारे में भी ऐसा ही किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री मेरे परम मित्र हैं मैं अनुरोध करूँगा कि वह निराश न हों। प्रत्युत पूर्ण आशा से उन्हें कार्य करते रहना चाहिये।

†श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं संसद कार्य मंत्री की प्रशंसा करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यद्यपि मैं विरोधी दल के साथ सम्बन्ध रखता हूँ परन्तु मेरे हृदय में श्री सत्यनारायण सिंह के लिये आदर और श्रद्धा की भावना है। सभा में तथा कार्य मंत्रणा समिति में मैंने उनकी योग्यता देखी है। मुझे इस बात का हर्ष है कि इस विभाग ने अपनी कार्यकुशलता और मितव्ययता का परिचय दिया है। कुछ हजार रुपये की बचत तो उन्होंने कर ही दिखाई है।

प्रतिवेदन में सरकार तथा प्रैस के सँबँधों पर कुछ नहीं कहा गया है इसका यह कारण है कि हमारे देश में प्रैस स्वतंत्र है। तथापि प्रधान मंत्री ने हमारे देश के प्रैस के सँबँध में कुछ बातें कही हैं जो इस प्रकार हैं :

> "कि हमारे देश में सरकार समाचारपत्रों पर भले ही हस्तक्षेप न करे तथापि पूंजी की शक्ति समाचारपत्रों की स्वतँत्रता में काफी आघात पहुँचा सकती है। एक एक उद्योगपति के पास कई समाचारपत्र होने का तात्पर्य यह है कि सम्पादक की स्वतंत्रा पर आघात होता है।

वास्तविकता यह है कि सरकार तथा समाचार पत्रों के बीच एक प्रकार का सम्बन्ध बना रहता है। हमें कोई जानता नहीं है और कोई तोड़ भी नहीं सकता है। तथापि इसे टैलीफोन से गुपचुप सँदेश मिलते रहते हैं तथा विज्ञापनों के रूप में सरकारी सहायता भी प्राप्त होती रहती है।

मैं संसद मँत्री से यह अनुरोध करूँगा कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि ये समाचारपत्र विरोधी सदस्यों की ओर भी ध्यान देवें। अँत में मैं इस शुभकामना के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ :

तुम सलामत रहो हजार बरस

हर बरस के दिन हों पचास हजार।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरी आफ़ पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स की बजट डिमांड्स इस हाउस में प्रथम बार आई हैं। बिजनेस ऐडवाइज़री कमेटी का मैम्बर होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि हमारे मिनिस्टर आफ़ पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स का हृदय नारियल के समान ऊपर से तो कठोर है लेकिन अन्दर से वह नरम और मीठा है। हम देखते हैं कि शुरू शुरू में तो वे नहीं, नहीं कहते हैं लेकिन बाद में वे हां हां, कहने लगते हैं। इसलिए जैसा मैं ने कहा उनका हृदय ऊपर से तो नारियल के समान कठोर है लेकिन अन्दर से वह नरम है और मीठा भी है।

जहां तक हाउस के सामने बिज़नेस लाने का सवाल है मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वह प्रौपरली प्लांड नहीं किया जाता है और हम देखते हैं कि जब किसी विधेयक अथवा विषय के लिए ज्यादा समय उपेक्षित होता है तो उसका पहले से अरेंजमेंट होता नहीं है, समय उसके लिए प्रोवाइड नहीं हो पाता है और कह दिया जाता है कि इतना वर्क है और यह सब इस अवधि के भीतर पूरा करना है। हमारे पास और समय नहीं है और ऐसा कह कर जल्दी की जाती है और लेजिस्लेशन को रश अप किया जाता है और उन पर ठीक से विचार नहीं हो पाता है। उनकी ओर से कह दिया जाता है कि भाई लाचारी है हमारे पास समय नहीं है और इसी के भीतर इसे पास करना है। मेरा कहना यह है कि बिज़नेस को हाउस में रखने से पहले प्रौपर प्लांनिग नहीं की जाती है। परिणाम यह होता है कि अपोज़ीशन पार्टीज़ को थोड़ा समय मिलता है। कांग्रेस के मुकाबले हमारी संख्या थोड़ी होने के कारण एक हमारा बोलता है तो तीन कांग्रेस के मेम्बर्स बुलाने होते हैं। इस के कारण कभी कभी बहुत थोड़ा तीन, चार मिनट का समय मिलता है और वह भी मुश्किल से मिलता है। मिनिस्टर आफ पार्लियामैंटरी अफेयर्स के पास इसका कोई नक्शा नहीं रहता है कि वर्क कितना है और किस प्रकार से वह डिवाइड होना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि आज जो हाउस में कभी कभी किसी बिजनैस के लिए समय नहीं मिल पाता है वह चीज ठीक होनी चाहिए और इसके लिये प्रौपर प्लानिंग उनकी तरफ से की जानी चाहिए।

दूसरी चीज़ मुझे यह निवेदन करनी है कि जब मैं मेज़ पार्लियामैंटरी प्रैक्टिस की किताब को पढ़ता हूं तो पाता हूं कि पवलिक एकाउंट्स कमेटी के चेअरमैन वहां हमेशा अपोज़ीशन पार्टीज़ से होते रहे हैं। में चाहूंगा कि उस प्रैक्टिस को यहां भी चलाया जाय और अपोज़ीशन के जो अलग अलग दो या तीन ग्रुप्स होते हैं उन अपोज़ीशन ग्रुप्स में से किसी को पबलिक एकाउंट्स कमेटी का चेअरमैन बनाया जाय। उचित यह है कि पार्लियामैंटरी कमेटीज़ मैं अपोज़ीशन का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाय। बिजनैस ऐडवाइज़री कमेटी में मिनिस्टर महोदय ज़रूर हम अपोज़ीशन वालों से बिजनैस के बारे में विचार विनिमय करते हैं लेकिन मेरा कहना है कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हों ने कभी भी हम अपोज़ीशन वालों के पास आ कर इस बारे में विचार विनिमय नहीं किया कि क्या आने वाला और क्या नहीं आने वाला है या जो बिल आने वाला है उस पर आप का क्या दृष्टिकोण रहेगा? मेरा तो कहना है कि हाउस में जो कभी कभी एक हंगामा हो जाता है उस का कारण केवल यही है कि मिनिस्टर साहब कभी भी अपोज़ीशन वालों से हाउस में चलने वाले बिजनैस के बारे में विचार विनिमथ नहीं करते है और यह जानने की पर्वाह नहीं करते कि उन का उस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण रहने वाला है?

मैं भी अन्य सदस्यों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना चाहता हूं कि जहां तक उन के व्यक्तित्व का सम्बन्ध है वह बड़ा आकर्षक है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय की वह पूरी कौपी है। उसी तरह का उन का अच्छा और आकर्षक पहनावा होता है, शेरवानी में उसी तरह फूल वे भी लगाते हैं जैसेकि प्रधान मंत्री महोदय लगाते है और उन को देख कर ही मन खुश हो जाता है। जहां तक काम का सम्बन्ध है काम भी खासा अच्छा चल रहा है लेकिन दरअसल सब कुछ अच्छा, अच्छा कहने से काम नहीं चलने वाला है और इसलिए हम अपोज़ीशन वालों की जो डिफकल्टीज़ हैं वह मैं आप की मार्फत, मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं। हमारी मुख्य रूप से तीन डिफकल्टीज़ हैं। पहली तो यह कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं अथवा हमारे जो राइटस के बावजूद हैं, चूंकि उदर ब्रूट मेजारिटी है या क्रशिंग मेजारिटी है इस कारण हमारे राइट्स और फैसेलिटीज़ की पर्वाह नहीं की जाती है और राइट्स को कभी कभी कुचला भी जाता है। दूसरे हम अपोज़ीशन वालों को अपने विचार भली प्रकार प्रकट कर सकने के लिए काफ़ी समय मिलना चाहिए जोकि अभी नहीं

[श्री बड़े]

मिलता है। तीसरे यह कि हम अपोजीशन वालों से मिनिस्टर आफ़ पार्लियामैंटरी अफेयर्स बिजनैस या अन्य सम्बन्धित विषयों पर विचार विनिमय किया करें जोकि अभी नहीं करते हैं। अगर यह तीनों बातें करेंगे तो जिस तरह से दूध में शक्कर डालने से वह स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है, उसी तरह से यह विभाग भी हो जायगा। मुझे आशा है कि वे इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

†**श्री डी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक योग्य संसद् कार्य मंत्री मिला हुआ है। उन के बारे में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा वे सर्वप्रिय और सभी के मित्र है।

यह कहा जाता है कि उन्हें एक ड्रिल सार्जेंट की तरह कार्य करना चाहिये और यह देखना चाहिये सब सदस्य सभी समय उपस्थित रहें। मेरे विचार से ऐसा करना किसी के लिये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति जब तक कि वह तानाशाही शक्तियों का प्रयोग न करे तब तक वह सभी सदस्यों को सभा में उपस्थित होने को नहीं कह सकता है।

यह भी कहा गया है कि हम अभी तक सरकारी उपक्रमों के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं कर सके हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि लोकतंत्र में काम ढिलाई से भले ही हो तथापि होता अवश्य है। तानाशाही में काम तत्काल होता है किन्तु उस के परिणाम घातक होते हैं।

हमारे संसद् की तुलना विश्व के अच्छे से अच्छे संसदों से की जा सकती है और इस संसद् में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का पूरा ध्यान रखा जाता है वस्तुतः उन में से ९९ प्रतिशत आश्वासनों को पूरा किया जाता है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि हाउस आफ कामन्स ने एक प्रक्रिया समिति नियुक्त की थी जिन्होंने ने यह तय किया कि ६० प्रतिशत समय सरकार को तथा ४० प्रतिशत समय गैर-सरकारी सदस्यों को दिया जाये तथापि यहां सरकार ४० प्रतिशत समय लेती है बाकी कार्य गैर-सरकारी सदस्यों को दिया जाता है।

मेरे विचार से किसी अन्य देश की संसद् में अनियत दिन वाले प्रस्ताव तथा आधे घंटे की चर्चा जैसी चर्चायें नहीं होती हैं। तथापि इस संसद् में इन की अनुमति है। इस से स्पष्ट है कि गैरसरकारी सदस्यों के अधिकारों का बहुत ख्याल रखा जाता है।

अब मैं संसद् कार्य मंत्री के बजट को लेता हूं। इस मंत्रालय का कुल व्यय कुछ मंत्रालयों के कागज इत्यादि के व्यय से भी कम है।

संसद् कार्य मंत्री सभी पार्टियों में समान रूप से प्रिय है उन का किसी दल विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह अत्यन्त कुशल और उदार व्यक्ति है। उन की कार्यकुशलता मानवोचित कार्य-कुशलता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर सिंह और बड़े साहब दोनों मेरे सरपरस्त है। उन्हों ने बहुत थोड़ा सा टाइम लिया है। इसलिये उन का बचा हुआ टाइम मुझे मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त नहीं। श्री कामत।

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : आप ने इस डिस्कशन का टाइम भी बढ़ा दिया है । हम साल भर इस आशा में बैठे रहे कि आज के दिन हम को दो मिनट मिलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : साल भर मिनिस्ट्री आफ़ पार्लियामेंटरी एफ़ेयर्ज़ पर बोलने के लिए बैठे रहे ?

श्री यशपाल सिंह : जी हां । आज मुझे दो मिनट दे दिये जायें । बाद में चाहे मेरे पांच मिनट काट लिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आज तृतीय लोक-सभा की पहिली वर्षगांठ है । १९५२ के पश्चात् से यह पहिला अवसर है जब इस मंत्रालय की मांगें चर्चा के लिये रखी गयी हैं । संसद् मंत्री कई अर्थों में अद्वितीय व्यक्ति हैं । वे बिना मंत्रालय के मंत्री हैं । उन के कार्यालय को विभाग कहा गया है ।

प्रतिवेदन में कहा गया है, कि यह विभाग मंत्रिमंडल के पद के एक मंत्री के अधीन है । वे सरकार के मुख्य सचेतक भी हैं तथा उन के अधीन तीन सहायक सचेतक हैं । मेरे विचार से ऐसी बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

जहां तक इस विभाग की कुशलता बढ़ाने का प्रश्न है मैं उन्हें कुछ सुझाव देना चाहता हूं । उन्हें चाहिये कि वे सभावसान में मंत्रालयों से उन विधेयकों के संबंध में पहिले से ही जानकारी प्राप्त कर लें जिन्हें वे आगामी सत्र में प्रस्तुत करना चाहते हैं । इस संबंध में मैं राज भाषा विधेयक का उदाहरण लेना चाहता हूं, जिस के बारे में काफी शोरगुल मचा हुआ है इस का राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहीं जिक्र नहीं था । न ही १८ फरवरी के पहिली बुलेटिन में इस का जिक्र था । तथापि यह अचानक रख दिया गया । यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं तथापि जब इस का कहीं उल्लेख नहीं था तो इसे कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सभा में तीन तरह का कार्य होता है । विधान संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य तथा अन्य कार्य इस के अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये दिये जाते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों को अधिक समय दिया जाये ।

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि सरकारी कार्य के सम्बन्ध में जो अराजकता चल रही है उस के लिये वे अकले जिम्मेदार नहीं हैं अपितु उनके मंत्रिमंडल पद के सदस्य भी इसक पक्ष में मतदान देवें । अतः उन्हें अपने प्रभाव का प्रयोग अपने सहयोगी मंत्रियों पर करना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे श्री फ्रैंक एंथनी संसद् सदस्य ने सभा में कहा था कि माननीय संसद् कार्य मंत्री ने प्रैस से यह अनुरोध किया कि वे विरोधी सदस्यों के आलोचनात्मक भाषणों को प्रकाशित न करें ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं कह चुका हूं कि यह बात गलत थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि वे इस का विरोध प्रकाशित कर चुके है तो ठीक है । में आशा करता हूं कि वे भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की मांगें के ऊपर अभी हमारे कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने विचार प्रकट किये । श्री ही० ना० मुकर्जी ने तो यह कहा कि बजट के समय पर राज्य सभा में विवाद पहले हुआ और लोक सभा में बाद में हुआ और इस के लिये उन्हों ने दोषी ठहराया संसद् कार्य मंत्री को । श्री ही० ना० मुकर्जी की जानकारी के लिये मैं बतलाना चाहता हूं अगर वे जानते न हों कि पार्लियामैंट्री अफेअर्स के जो मंत्री हैं वे कभी कभी विवश हो जाते हैं क्योंकि जो राज्य सभा और लोक सभा के सचिवालय हैं वे भी माननीय सदस्यों के साथ वायर पुलिंग का काम करते हैं और सदस्य लोग उस के शिकार बन जाते हैं उन्हें इस बात की शिकायत नहीं होती पर वे सही वस्तुस्थिति को जाने बगैर ऐसी बातों में पड़ जाते हैं । इसलिये बेहतर हो कि अपनी समस्याओं को समझ कर इस पर विचार करें और यह सावधानी की बात होगी । फिर आप देखेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री का दोष इतना नहीं था । जैसा आप चाहते थे वैसा ही होता क्योंकि मुझे इस विषय में पता है । मैं देख रहा हूं कि राज्य सभा और लोक सभा के झगड़े चल रहे हैं, सचिवालयों के झगड़े चल रहे हैं जिस से संसदीय कार्य में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । इस सम्बन्ध म कोई ऐसा कार्य हमारे संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिये जिस से कि यह सचिवालयों के झगड़े समाप्त हों और दोनों सदनों के सदस्य एक हों, इस झगड़े को बन्द करें ।

में इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि एक सदन की कार्रवाई दूसरे सदन के सदस्यों को नहीं मिलती चाहे लोक सभा हो चाहे राज्य सभा हो । उस सदन के सदस्य यह कहते हैं कि यहां के सचिवालय के कारण नहीं मिलतीं और हम लोगों की यह शिकायत है कि वहां के कारण नहीं मिलतीं । कुछ भी हो दोनों सदनों के सदस्यों को इस की जानकारी रखनी चाहिये और यह कार्य संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं । क्योंकि पता नहीं कि हमारे अध्यक्ष महोदय की बात वहां चलती है या नहीं फिर भी यदि राज्य सभा के चेअरमैन और लोक सभा के अध्यक्ष दोनों मिलें और संसदीय कार्य मंत्री इस में सहयोग दें तो यह कार्य संभव हो सकता है ।

जहां तक कोरम का प्रश्न है, संसदीय कार्य मंत्री इस कोरम को पूरा करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कभी विरोधी दल के सदस्यों ने भी यह सोचा कि उन का भी कर्तव्य है कि वह कोरम बनायें । मैं ने यहां देखा है कि विरोधी सदस्य भाषण कर के भाग जाते हैं, उत्तर देने के समय यहां मौजूद नहीं रहते हैं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सब नहीं भाग जाते ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं बहुत से सदस्यों को बतला दूंगा । हां आप की बात नहीं कह रहा हूं, आप तो रहते हैं । लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जो ऐसा करते हैं ।

श्री कामत ने भी कोरम के प्रश्न को उठाया । उन्होंने यह समझा कि कोरम बनाने का कार्य केवल संसदीय कार्य मंत्री का है और कांग्रेस दल का ही है, लेकिन कभी क्या उन्होंने यह भी सोचा कि संसदीय कार्य मंत्री की विनम्रता से और उन की मेहरबानी से विरोधी दलों के सदस्यों को, जो कि एक तिहाई से भी कम हैं, आधे समय से अधिक मिल जाता है । जो ३७० सदस्य यहां बैठे रहते हैं उन को आध से भी कम समय मिलता है ।

एक माननीय सदस्य : विरोध करने वालों का यह अधिकार है, हम लोग बराबर चुन कर आये हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : विरोध करने वालों का उतना अधिकार कैसे हो सकता है ? हम लोग भी उसी तरह चुन कर आये हैं। इसलिये कांग्रस दल वालों के विरोधी दलों के बराबर अधिकार हैं, यह मैं नहीं मान सकता।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेहरबानी शब्द को हटा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि समय देने का काम उन का नहीं है। यह उन को तय नहीं करना है कि अपोजीशन को कितना समय दिया जाय। इस प्रकार से वे मुझ पर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। यह संसदीय कार्य मंत्री का काम नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं मानता हूं कि यह आप का काम है। मैं ने संसदीय कार्य मंत्री का नाम लिया यह गलती है।

अध्यक्ष महोदय : आप सारी कांग्रेस को कह सकते हैं कि उस ने मंजूर किया, लेकिन आप इस बात को न लीजिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : अच्छी बात है।

अब मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने वास्तव में काम तारीफ का किया है। भले ही कुछ सदस्यों को इस में तारीफ न दिखाई देती हो लेकिन मैं उन सदस्यों में से हूं जो आलोचना करने से चूकते नहीं। जब कभी किसी मंत्रालय में मुझे दोष दिखाई देते हैं तो मैं उन्हें यहां रखता हूं। मैं समझता हूं कि हमारा कर्तव्य है कि यहां जनहित का प्रतिनिधित्व करें और सरकार की उन बातों की नुक्ता चीनी करें जिन से सुधार हो सकता है। इसलिये मैं इस में कभी नहीं चुकता। लेकिन यदि मंत्रालय काम अच्छा करता है तो उस की तारीफ करना भी हमारा कर्तव्य है, और इसलिये मैं मंत्रालय की तारीफ भी करता हूं। फिर यह काम मैं ने ही नहीं किया। यह "स्टेट्समैन" अखबार मेरे सामने है, जिस का एडिटोरियल माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। उस में लिखा है :

> "पिछले वर्ष विभिन्न कार्यों के लिये संसद् के कार्य का जो विभाजन किया गया था वह आदर्श था।"

श्री स० मो० बनर्जी : इस का हिन्दी तर्जुमा कर दीजिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : कहने का मतलब यह है कि आदर्श काम इस मंत्रालय का है।

अध्यक्ष महोदय : जो साहब आप से पूछ रहे हैं वह अंग्रेजी समझते हैं। इसलिये आप आगे चलिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। मेरे पास एक किताब है जिस का नाम है "फंक्शन्स आफ पार्लियामेंटरी व्हिप्स"। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिपार्टमेंट आफ पार्लियामेंटरी अफयर्स ने जारी की थी। इस में डब्ल्यू० एच० मारिस जोन्स का एक कोटेशन देखने को मिला है जिस में लिखा है :

> "भारत में यह बात प्राप्त है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ला० द्विवेदी]

यहां के पार्लियामेंटरी काम में संसदीय सदस्यों को जो सुविधायें मिलती हैं उन के सम्बन्ध में लिखा है कि जो सुविधायें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों को नहीं मिलतीं वह यहां मिली हैं। नई संसद् इस मामले में भाग्यशाली है कि उसके मुख्य सचेतक श्री सत्य नारायण सिन्हा जैसे अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति हैं, वे बड़ मधुर और हंसमुख व्यक्ति हैं। ये ट्रिब्यूट्स एक विलायत के आदमी ने हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री के प्रति व्यक्त किये गये, और मैं उन से सहमत हूं।

माननीय मंत्रालय ने इस प्रतिवदन में भी देखा होगा कि इस मंत्रालय का साल भर का बजट केवल ३ लाख, १७ हजार रु० का है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो यह है कि यदि राज्य सभा और लोक सभा के साल भर के बजट में से आठ दिनों के खर्च को देखा जाय तो उस आठ दिनों के खर्च में यह पूरा मंत्रालय साल भर काम चलाता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस तुलना से आप का क्या अभिप्राय है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। इस के साथ साथ संकटकाल की परिस्थिति के उत्पन्न होने पर इस मंत्रालय ने बचत भी दिखाई है और वह बचत अनुकरणीय है, इस माने में कि दूसरे विभागों ने वैसी बचत नहीं दिखाई। मैं ने देखा है कि दूसरे मंत्रालयों में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी अब भी मौजूद हैं जिन के पास काम नहीं है, लेकिन उनकी छंटनी नहीं की गई और न दूसरे काम में उन्हें लगाया गया। हमारे वित्त मंत्री महोदय हमें आश्वासन देते रहे कि यह काम जारी है, यह किया जा रहा है। हो सकता है कि सही स्थिति का पता हमें इस सम्बन्ध में बाद में चले।

मैं सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां इस मंत्रालय के बजट में इतना कम व्यय होता है वहां उस का काम बहुत बढ़ गया है। उदाहरण के लिये सन् १९५४ में उस के द्वारा १ हजार पत्र जारी हुए थे जब कि विगत वर्ष में ५२ हजार ५९१ पत्र, जारी हुए। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई काम करता है तो उस के बारे में भी हमें देखना चाहिये, आंखें मींच कर नहीं बैठे रहना चाहिये।

जैसा कि शर्मा जी ने बतलाया, जो एश्योरेंस दिये गये उनका ९९ प्रतिशत पूरा किया गया है। साथ ही साथ नान आफिशियल बिजनेस भी बढ़ाया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे असंतोष है इस मानी में कि जो नो डे येट नेम्ड मोशन होते हैं वे किसी न किसी सरकारी रिपोर्ट पर बहस करने के लिए होते हैं। इसलिए यह एक तरह से सरकारी काम है। इस समय को नान-आफिशियल बिजनेस में नहीं गिनना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्राइवट मेम्बर्स बिजनेस के लिए सदन को अधिक समय दिया जाये। यह संतोषजनक है कि सरकार ३५ पर सेंट समय देती है लेकिन मुझे विश्वास है कि इससे अधिक समय आयन्दा मिलेगा।

मैं अच्छे काम के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और कैबीनेट से और प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यदि एक अनुभवशील मंत्री है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बराबर काम कर रहा है और जिसे कैबिनेट का रेंक दिया गया है, उसे कुछ और काम सुपुर्द किया जाये और कुछ और विभाग दिये जायें जिससे काम में और भी बढ़ोतरी हो और जो कैबिनेट के अन्य सदस्य हैं वे भी उन को अधिक सहयोग दें।

मंत्रालय के अच्छ काम के लिए मैं इस मंत्रालय के सचिवालय को भी बधाई दूंगा, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और पूरी निष्ठा से काम किया और इस काम को पूरा करने में ईमानदारी और दयानतदारी बरती

मैं पुनः अपने मंत्री महोदय को और उनके सचिवालय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में वे संसद सदस्यों से और अधिक सम्पर्क रखेंगे। और शेष सचिवालय इस सचिवालय से इस मामले में आदर्श ग्रहण करेंगे और जन सम्पर्क बढ़ायेंगे। कुछ सचिवालय जनसम्पर्क नहीं करते और छिपे बैठे रहते हैं। पर आजकल लोकतंत्र के युग में जन सम्पर्क अति आवश्यक है। तो मेरा सुझाव है कि अन्य सचिवालयों को भी इस सचिवालय की तरह जनता से और संसद् सदस्यों से सम्पर्क रखना चाहिए। इस सचिवालय का जन सम्पर्क का काम अद्वितीय है और अनुकरणीय है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मिनिस्टर साहब को बुलाना चाहता हूं।

श्री यशपाल सिंह: मैं केवल दो मिनट का समय चाहता हूं। वह इतनी बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को भी मेरे बोलने पर एतराज न होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप ने बार बार कहा है कि यह इतनी बड़ी पार्टी है। मैं ने कब मना किया है कि आप न बोलें। मैं यहां किसी पार्टी के खिलाफ काम करने को नहीं बैठा हूं।

श्री यशपाल सिंह: आप इजाजत नहीं देते तो मैं नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बोल लीजिये।

श्री यशपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया। मैं इसलिए इस मंत्रालय पर बोलना चाहता था कि मैं यहां चिपक कर बैठता हूं और एक मिनट के लिए भी गैर हाजिर रहना पसन्द नहीं करता।

मेरा पहला सुझाव तो यह है कि जो चीजें हम ने अंग्रजों से ली हैं उनको बदल देना चाहिए। मिसाल के लिए यहां पर जो गैर-सरकारी रिजोल्यूशन पेश किया जाता है उस पर लिखा होता है कि यह इस सभा का निश्चित मत है कि——और बाद में हम देखते हैं कि उस पर एक भी वोट नहीं मिलता। तो मेरा कहना है कि इस फ्रेज को बदल देना चाहिए।

इसके अलावा जो मैं सब से बड़ी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं इस हाउस में खास तौर से इसलिए आया था कि मैं अपने मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स की मुखालिफत करूंगा। लेकिन मैं ने उनकी शालीनता को, उनकी निष्पक्षता को, उनके सौष्टव और इखलाक को और उनके काम करने के तरीके को देखा तो मेरा इरादा बदल गया। वे १२ साल तक कांग्रेस के चीफ ह्विप रहे हैं और इस पद पर रह कर उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली और उन को गिराया। और मैं कह सकता हूं उन्होंने पार्लियामेंट के काम को बड़ी निष्पक्षता के साथ किया है। मैं ये सब बातें किसी को खुश करने के लिए नहीं कहता। मैं ये बातें केवल इसलिए कहता हूं कि मैं देखता हूं कि मंत्री महोदय निष्पक्षता से काम करते हैं और यहां किसी के साथ तरफदारी नहीं होती। उन्होंने १२साल तक कांग्रेस के चीफ ह्विप का काम किया और अंग्रेजों से शेर की तरह टक्कर ली और उसको गिराया और आज जिस शालीनता, सचाई तथा निष्पक्षता से काम कर रहे हैं उसका अगर मैं जिक्र न करूं तो मैं अपने फर्ज से गिर जाऊंगा। मझे आपके आशीर्वाद से यह फख्र हासिल है कि मैं ने इस पार्लियामेंट

[श्री यशपाल सिह]

को सब से ज्यादा अटेंड किया है और मैं एक मिनट के लिए भी गैर-हाजिर नहीं रहा। और मैंने देखा है कि हमारे मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स साहब ने किस ईमानदारी से काम किया है। हो सकता है कि अगर उन्होंने दस बिल पेश किए तो सब के लिए वक्त न दे सके हों। लेकिन इसमें उन की कोई खता नहीं। उसके कई कारण हो जाते हैं। मेरे जैसे जिद्दी मेम्बर ज्यादा समय ले लेते है, कभी वाकआउट आदि के कारण वक्त निकल जाता है। कभी कुछ लोगों को हार्ट फेल हो जाने के कारण पार्लियामेंट बन्द हो जाती है और ६ घंटे का समय निकल जाता है। तो इसमें इन की कोई खता नहीं है।

जो एडवाइजरी कमेटी है वह टाइम सैट करती है और स्पीकर साहब टाइम देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने जिस निष्पक्षता के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, जिस सौष्ठव और इखलाक के साथ और जिस सचाई, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम किया है उसके लिए वे मुबारकबाद के पात्र है। हमें फख्र है कि हम को ऐसा मिनिस्टर हासिल हुआ है। हम पूरी तरह से उन का सहयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना कुछ असर श्री कामत पर भी डालें।

श्री हरि विष्णु कामत : यह असम्भव है।

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** माननीय सदस्यों ने मेरे सम्बंध में जो प्रशंसात्मक शब्द कहे हैं मैं उनके लिये उन का कृतज्ञ हूं। मैंने सदैव इस बात का प्रयत्न किया है कि दलगत सदस्यों के बावजूद भी मुझे सभी सदस्यों का स्नेह प्राप्त होता रहे।

वस्तुतः यह एक एतिहासिक अवसर है, क्योंकि इस विभाग को आरम्भ हुए १४, १५ वर्ष हो चुके हैं तथापि हमने कभी भी इसके सम्बंध में पूरी तरह चर्चा नहीं की है। मैंने इस सम्बंध मे जो जानकारी प्राप्त हुई उससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि अन्य सदस्यों ने भी मेरे जैसे विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा कभी नहीं होती है। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों के आग्रह करने पर मैं इस बात पर राजी हो गया विशेषतः इस कारण कि सदस्यों के मेरे विभाग के बारे में कठिनाइयों तथा मुश्किलों का पता लग जायेगा। इसका कारण यह भी था कि इस विभाग को तब तक उचित महत्व प्राप्त नहीं होगा जब तक इस की मांगों के बारे में चर्चा नहीं होगी।

इस संसदीय संस्था के कृत्यों और कार्य करने वालों का मूल्यांकन के लिए भिन्न मापदंड है। इस सम्बंध में, आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं एक ऐसी बात कहूं जिस का सम्बंध स्वयं मुझ से है। किन्तु यह एक रुचिकर बात है। सदन को ज्ञात है कि १९४६ में मुझे सरकार का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। ज्ञान रखने वाले लोग भी इस पद को कोई महत्व नहीं देते थे, चूंकि संसदीय संस्था बिल्कुल नई थी। उस समय किसी ने एक सचिव से पूछा कि अन्य मंत्रियों की तुलना में मुख्य सचेतक तक की क्या स्थिति है। उसने कहा कि मुख्य सचिव तक की स्थिति संयुक्त सचिव के समान है, दो वर्ष बाद मुझे श्री मावलंकर के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्ट मंडल के साथ ब्रिटेन जाने का अवसर मिला था। लोक सभा के वर्तमान सचिव भी उस में थे। हम दोनों वहां मजदूर सरकार के मुख्य सचेतक श्री ब्रिटले से मिलने गये। हम जानना चाहते थे कि वहां की सरकार में उन का महत्व और स्थिति और कृत्य क्या है। उन से जो बातचीत हुई, वह एक पुस्तक में जो संसद की पुस्तकालय में है, दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने उनके राजनीतिक महत्व और सदन में उन की स्थिति के बारे में जब प्रश्न पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया "आप जानते है १० डाउनिंग स्ट्रीट प्रधान मंत्री का सरकारी निवास स्थान है। किन्तु आप को यह मालूम नहीं होगा कि ११, डाऊनिंग मुख्य सचेतक का सरकारी निवास स्थान है और अन्य मंत्री उनके बाद आते हैं" ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यहां भी वही स्थिति है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : नहीं, श्रीमान्, सरकारी निवास स्थान नहीं ।

जब मैंने सदन में उनके महत्व के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "कम्पनी में निदेशक का जो भी हिस्सा हो, मैं सदन का प्रबंध निदेशक हूं" । आप जानते है, कम्पनियों में प्रबंध निदेशक का कितना प्रभाव होता है ।

तीन वर्ष बाद १९४९ में जब मुझे राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था, तो कुछ मित्र मुझे बधाई देना चाहते थे, तो मैंने उन से कहा था कि यह बधाई का विषय नहीं है, क्योंकि मुख्य सचेतक की पदवी राज्य मंत्री स ऊंची है ।

श्री विटले ने हमें यह भी बताया कि मेरा दर्जा वरिष्ट मंत्रिमंडल के सदस्य के बराबर है और उन की तरह सरकारी मुख्य सचेतक को भी राइट आनरेबल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संसदीय नियुक्तियों के लिए प्रधान मंत्री और किसी सहयोगी से सलाह नहीं लेते, केवल मुख्य सचेतक की सलाह लेते है ।

यहां ऐसी स्थिति तो नहीं है किन्तु संसद् के विकास के साथ साथ मेरे बाद आने वाले मुख्य सचेतकों का भी वही दर्जा हो जायेगा, जो अन्य संसदों में है ।

मैं मानता हूं कि हमारी संसदीय प्रणाली में सचेतक का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश लोक-सभा में उसे "मिनिस्टर आफ़ पैट्रनेज" 'प्रापर चैनल' और "पावर बीहाइंड दी थ्रोन" कहा जाता है। किन्तु यहां वर्तमान मंत्री पर ये बातें लागू नहीं होती ।

संसदीय ढांचे में, दल में या सरकार में उसे सरकार का आधार माना जाता है। यदि यह आधार न रहे, तो दल भी नहीं रहेगा । इसके अतिरिक्त संसद का कार्य बहुत हद तक सचेतक के अच्छे कार्य पर निर्भर करता है। संसद के कार्यकरण में जितनी भी कमियां है, मैं उन के लिए उत्तरदायी हूं। यह मेरा खास है। मैं अब मंत्रि मंडल का सदस्य बन गया हूं किन्तु मैं श्री कामत को बता सकता हूं कि उस समय भी जब मैं राज्य मंत्री भी नहीं था, मेरा उतना ही प्रभाव था। मेरे सहयोगी मुझे उतना ही सहयोग और प्रेम देते थे, जितना कि अब देते हैं। मेरे मंत्रि मंडल के सदस्य बनने से कोई अन्तर नहीं पड़ा ।

श्री कामत ने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया था । यह इस संसद की विशेष प्रथा नहीं है । अन्य संसदों में भी ये चीजें होती है, किन्तु इतनी बार नहीं । सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश वहां इतने कामत नहीं होते । सदन को ज्ञात है कि ब्रिटिश लोक सभा में जब भारत सरकार जैसा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया था, उस समय केवल १२ सदस्य उपस्थित थे। वहां गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया गया था । किन्तु फिर भी मैं उस का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं । इसमें विरोधी पक्षों का भी काफी उत्तरदायित्व है । और उन का भी इस में दोष है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्व नारायण सिह]

अब आप की अनुमति से में आय-व्ययक के आश्वासनों की क्रियान्विति आयोजन आदि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार सदन का कार्य ऐसे निश्चित करती है कि न केवल विधान, वित्तीय और गैर विधान कार्य के लिए उचित समय दिया जाता है बल्कि सरकारी कार्य के समय में से सदस्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा उठाने के लिए समय दिया जाता है। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए २ $^1/_2$ घंटे निश्चित है, अर्थात १० घंटे प्रति मास। १९६२ में सरकार ने अपने समय में से उन के लिए ४३ घंटे दिये गये ताकि अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा हो सके।१९६० में ऐसे ४१ प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। १९६२ में १३ लोक सभा में और १३ राज्य-सभा में।

१९६२ में सरकार का ३६ प्रतिशत समय विधान कार्य के लिए, २९ प्रतिशत वित्तीय कार्यों के लिए, जिस में अनुदानों की मांगें भी हैं, और ३५ प्रतिशत गैर-विधान कार्य के लिए दिया गया था। विभाग विभिन्न प्रकार के कार्यों में संतुलन कायम रखता है, ताकि चर्चा केवल विधेयकों तक ही सीमित न रहे।

गैर विधान कार्य के लिए समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। १९५८ में यह २८ प्रतिशत था, १९६० में ३१ प्रतिशत, १९६१ में ३१.५ प्रतिशत और १९६२ में ३५ प्रतिशत। पिछले कुछ वर्षों में विधान, वित्तीय और गैर-विधान कार्य लगभग बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, इस मामले में हम अन्य संसदों से आगे हैं और यह भी कहा जा सकता है कि सरकारी कार्यों पर चर्चा के लिए इतना समय ब्रिटिश लोक सभा में भी नहीं मिलता।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** औचित्य प्रश्नों पर विचार कितना समय लिया गया है?

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** यह मुझे मालूम नहीं। अध्यक्ष महोदय को मालूम होगा। क्रियान्विति के बारे में सदन की एक समिति है। १९५२ में कुछ शिकायतें की गई थीं किन्तु अब नवीनतम स्थिति यह है। समिति ने, जिसमें सभी दलों के सदस्य हैं, कहा है कि दूसरी लोक सभा के पहले से पन्द्रहवें सत्र तक ४३२३ आश्वासनों में से ४१०८, २४-३-१९६२ तक क्रियान्वित किये जा चुके हैं, अर्थात् ९५ प्रतिशत से भी अधिक। समिति ने संसदीय कार्य मंत्री और उनके विभाग की सराहना की है। मैंने अपने सहयोगियों से कहा है कि मांगों के लिए निश्चित समय में से २० प्रतिशत से अधिक मन्त्रियों द्वारा न लिया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मन्त्रियों को संसद् कार्य मंत्री को यह पूर्व सूचना देनी चाहिये कि वे कौन से विधेयक या अन्य कार्य लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं किया जा रहा।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैंने अपने सब सहयोगियों को लिख दिया है कि भविष्य में वे अवश्य ऐसा करें। यदि कोई विधेयक सत्र के मध्य तक पुरःस्थापित न किया जाये, उसे उसी सत्र में पारित करने का उत्तरदायित्व नहीं लिया जायेगा।

सरकारी भाषा विधेयक के बारे में कार्य मन्त्रणा समिति में पहले यह निर्णय किया गया था कि इसे आपातकाल में न लाया जाये, किन्तु बाद में चर्चा के बाद राजनीतिक दबाव के कारण इसे लाने का निर्णय किया गया। इसमें कोई बुराई नहीं है।

समाप्त करने से पहले मैं अपने विभाग के कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन करना चाहूंगा, विशेष कर सचिव का, जिनके सहयोग के बिना ये सफलताएं प्राप्त न हो सकतीं। उपसचेतक और अन्य सचेतकों के प्रति भी मैं उनके सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

†मूल अंग्रजी में

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : माननीय मन्त्री के अधीन जो विशेष मकान हैं, वे किस आधार पर आवंटित किये जाते हैं ?

†श्री सत्य नारायण सिंह : ये मकान, जो ११ या १२ हैं, दलों के नेताओं, भूतपूर्व राज्यपालों या भूतपूर्व मन्त्रियों को दिये जाते हैं ।

कटौती प्रस्ताव संसद् की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संसद् कार्य विभाग की निम्नलिखित मांग मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०८	संसदीय कार्य विभाग	२,९०,०००

वित्त मन्त्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में वित्त मन्त्रालय की मांग संख्या २४ से ४० और ११९ से १२६ पर चर्चा और मतदान आरम्भ होगा ।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें वह १५ मिनट के भीतर कागज पर लिख कर सभा पटल पर रखवा दें ।

वर्ष १९६३-६४ के लिये वित्त मन्त्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२४	वित्त मन्त्रालय . .	१,७१,७६,०००
२५	सीमा-शुल्क	३,८२,८३,०००
२६	संघ उत्पादन शुल्क .	९,६५,५६,०००
२७	आय पर कर निगम कर आदि सहित	६,३०,९५,०००
२८	स्टाम्प . .	२,७९,१६,०००
२९	लेखापरीक्षा . .	१२,०१,८३,०००
३०	चलमुद्रा और सिक्के . . .	८,५३,५६,०००
३१	टकसाल	२,३१,४८,०००

†मूल अंग्रेजी में

३२	कोलार की सोने की खानें . .	५,११,६३,०००
३३	पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ . . .	४,४३,७३,०००
३४	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें . . .	२१,०१,०००
३५	अफीम	५५,३०,०००
३६	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	८०,८८,३७,०००
३७	योजना आयोग	८७,२९,०००
३८	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	१,४०,५९,०४,०००
३९	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन . .	२२,९९,०००
४०	विभाजन-पूर्व के भुगतान	८,७४,०००
११९	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय . . .	१७,०३,०००
१२०	चल-मुद्रा और सिक्कों पर पूंजी परिव्यय . . .	१३,१५,२३,०००
१२१	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . .	१६,९८,०००
१२२	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय . .	३,२९,३८,०००
१२३	सेवा-निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य . . .	९७,०७,०००
१२४	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	५९,००,२१,०००
१२५	विकास के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परि-व्यय	२२,५३,०१,०००
१२६	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . . .	१,५४,९९,४९,०००

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आय-व्यय के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में किये गये निर्णयों की मैं एक घोषणा करूंगा।

सामान्य चर्चा के उत्तर के समय मैंने कहा था कि सदस्यों के उपयोगी और रचनात्मक सुझावों पर सरकार सावधानी से विचार करेगी। हमारा अध्ययन अब समाप्त हो चुका है और मैं निष्कर्ष सदन के सामने रखने के लिए उत्सुक हूं।

१९६३-६४ के वित्तीय प्रस्ताव तीन विधेयकों के रूप में सदन के सामने है। सबसे पहले मैं वित्त विधेयक को लेता हूं। चिन्ता प्रकट की गई है कि मिट्टी के तेल पर शुल्कों को बढ़ाने से सबसे गरीब लोगों पर भार पड़ेगा। मैं पहले बता चुका हूं कि राजस्व और विदेशी मुद्रा के पहलुओं से मिट्टी के तेल पर शुल्क को बढ़ाना क्यों अनिवार्य है, तथापि मैं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक राहत देना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि घटिया मिट्टी के तेल पर शुल्क की वृद्धि को ५० प्रतिशत और बढ़िया तेल पर २० प्रतिशत कम कर दी जाये। इससे राजस्व में ११ करोड़ रुपये की कमी होगी और प्रतिकिलोलिटर ५४ रुपये और घटिया मिट्टी के तेल में और २७ रुपये प्रति किलोलिटर बढ़िया तेल में कमी होगी। प्रति बोतल क्रमशः ४ नये पैसे और २ नये पैसा की कमी होगी।

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रत्यक्ष करारोपण के मामले में मेरा प्रस्ताव है कि इस वित्त विधेयक द्वारा वेतन पर जिसे कि आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यय माना जायेगा, जो सीमा निर्धारित की गई है वह अभारतीयों के लिए लागू नहीं होगी। विदेशी जो इस देश में काम करते हैं, सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में, ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, जिन के लिए भारतीय पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते। कुछ विदेशी उन कम्पनियों में हैं,जिनमें विदेशी पूंजी लगी हुई है,यद्यपि वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय यह नज़र रखता है कि उनका धीरे धीरे भारतीयकरण किया जाये। विदेशियों की सेवाओं के महत्व को देखते हुए, विदेशी टैक्नीशनों को कुछ अवधियों के लिए कुछ हालतों में आय-कर से मुक्त किया गया है। वित्त विधेयक में ५,००० रुपये प्रतिमास की जो सीमा है वह निगम क्षेत्र में वेतनों के अधिक होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। हमें यह याद रखना चाहिये कि एक विदेशी उन वेतनों और उपलब्धियों पर यहां काम करने के लिए तैयार होगा, जो अन्य स्थानों पर उसे मिल सकेंगे और उसे घर से बाहर रहने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इसी लिए मैंने ५,००० रुपये की सीमा तक उन्हें छूट दी है। प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में दूसरा परिवर्तन मैं केवल यह करना चाहता हूं कि पंजीकृत फर्मों पर लगाये जाने वाले आय-कर पर अधिभार, व्यावसायिक फर्मों के सम्बन्ध में २० प्रतिशत से कम करके १० प्रतिशत कर दिया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब आपने उन से पूछा था कि क्या वे वक्तव्य देंगे, तो मैंने समझा था कि यह वित्त विधेयक और अनिवार्य बचत विधेयक के बारे में नहीं, बल्कि वित्त मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में होगा। उसे परसों लिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मन्त्री को भी अपने संशोधन भेजने हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने भी अपने संशोधन भेजने हैं। संशोधनों के स्थान पर मैंने एक रिपोर्ट देना अधिक अच्छा समझा है। इसलिए मैंने पहले यह कहा है कि मैं यह करने लगा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं वित्त मन्त्रालय की मांगें प्रस्तुत कर रहा हूं।

अब मैं अनिवार्य बचत विधेयक और अधिलाभ कर विधेयक के बारे में कहता हूं। ये दोनों विधेयक नए विचार पैदा करते हैं। मैंने इस समय जब कि हमारे संसाधन विकास कार्य में लगे हुए थे सँकट काल की चुनौती का मुकाबला करने के लिए बचत बढ़ाने और निगमित क्षेत्र पर कराधान के परम्परागत तरीकों को छोड़ने की आवश्यकता समझी। मैंने जानबूझ कर अपने विचारों को दो भिन्न विधेयकों में रखा है जो कि वित्त विधेयक से भिन्न है ताकि सभा अब और भविष्य में इन्हें बचत और लाभों से सम्बन्धित सामान्य नीतियों और कानूनों से भिन्न समझे। ये कितनी देर या किस रूप में कानून बने रहेंगे इस पर इस समय मैं या सरकार या यह सभा कोई विनिर्णय नहीं दे सकते यदि जैसा कि कुछ आलोचकों ने कहा है अनिवार्य बचत योजना फलस्वरूप स्वेच्छा बचत खत्म हो जाएगी या अधिलाभ कर के फलस्वरूप निगमित क्षेत्र के विकास में बाधा होगी तो इन में से कोई भी कानून उचित नहीं होगा तो मैं सब से पहले इन व्यवस्थाओं के निरसन के लिए सभा से अनुरोध करूँगा।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन विधेयकों को पारित करने से पूर्व उन में अधिकतम सुधार किया जाए ताकि उनका लागू करना आसान हो और कोई बुरा नतीजा न निकले अनिवार्य बचत योजना के बारे में मैंने राज्य सरकारों से परामर्श किया है। अत: मैं कुछ सँशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो किसान प्रति वर्ष पांच रुपये से कम लगान देता है उस पर यह योजना लागू नहीं होगी। विभिन्न धन्धों में लगे हुए ऐसे व्यक्तियों पर भी यह योजना लागू नहीं होगी जिन की आय पर अभी आय कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

नहीं लगता है। उन वेतन वाले कर्मचारियों पर भी यह योजना लागू नहीं होगी जिन की वार्षिक आय १,५०० रुपए या उस से अधिक है लेकिन जिन पर अभी आय कर कानून लागू नहीं होता है क्योंकि ऐसे कर्मचारी प्राविडेंट फण्ड, जीवन बीमा, १० या १५ वर्षीय उत्तरोत्तर काल निक्षेप योजना (किमूलेटिव टाइम डिपौज़िटस) के रूप अपनी आय का ११ या उस से अधिक अग्रिम बचाते हैं। उन राटरी सम्पति के मालिकों पर यह योजना लागू नहीं होगी जो अपनी सम्पति से हो रही आय पर आय कर देते हैं। आय कर देने वाले लोगों के बारे में इस योजना को नहीं बदला जा सकता। आय कर देने वालों के व्यक्ति आयकर में वृद्धि होगी और इस में से कुछ भाग वे बचत के रूप में जमा कर सकते हैं जो कि उन्हें वापिस कर दी जाएगी। इस से अधिक कर देना सम्भव नहीं है। कुछ परिस्थतियों में अनिवार्य बचत योजना से एकत्र रकम को समय से पूर्व भी देने की व्यवस्था की गई है जैसा कि यदि कोई विदेशी अन्तिम रूप से अपने देश को लौट रहा हो तो उस की रकम लौटा दी जाएगी।

अधिलाभ कर के सम्बंध में कई सदस्यों ने इस बात पर बल दिया था कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि निगमित क्षेत्र से विकास और ऋण आदि की अदायगी के लिए संसाधन न छीन लिए जाएं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक यह राहत देने का इरादा है कि जितनी आय पर अधिलाभ कर लिये जाने की व्यवस्था की गई थी उस आय के दस प्रतिशत पर अधिलाभ कर नहीं लगेगा जब कि निर्धारण वर्ष १९६३-६४ के लिए जो कि कम्पनियों की पिछले वर्ष की आय से सम्बन्धित है भविष्य के लिए कोई प्रतिबँध नहीं लगाए जाएँगे। यह राहत तभी दी जाएगी यदि यह राशि ऋणों के भुगतान, अतिरिक्त नियत आस्तियों के बनाने, ६ प्रतिशत से अधिक विशेष जमा के भुगतान के लिए प्रयोग की जाए या ऐसी समिति में दी जाए जो कि पांच वर्ष के लिए इन प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए न प्रयोग की जाए। बिजली संभरण कम्पनियों के सम्बंध में संचिति लेखा खोलने की शर्ते भी लागू की जाएँगी। उन विद्युत सँभरण समवायों के सम्बँध में जिन पर रक्षित निधि बनाने सम्बँधी कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं यह आवश्यक नहीं होगा कि यह रक्षित लेखा रखें। उन बैंकों के सम्बँध में जहां संचित निधि के बारे में विनिमय बने हुए हैं और जिन के कार्य का निदेशन रक्षित बैंक करता है मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारणीय लाभों में से संचित निधि में रखी जाने वाली कुल राशि कम कर दी जाए चाहे वह परिनियत हो अथवा अन्यथा परन्तु रक्षित बैंक यह प्रमाणित करेगा कि राशि न्यायसँगत है और भी कि यह राशि गत तीन वर्षों में ऐसी रक्षित निधियों में जमा की गई अधिकतम राशियों से अधिक नहीं है। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि अधिलाभ-कर उस आय पर भी जो अभी आय कर और/या अधिकर से मुक्त है, नहीं लगाया जाए जैसे उन नए औद्योगिक उपक्रमों और होटलों की आय जिन पर आय कर अधिनियम की धारा ८४ और १०१ के अन्दर छूट दी गई है, धार्मिक संस्थाओं और राष्ट्रीय रक्षा कोष को दिया गया दान उस सीमा तक जहां तक वह आय कर अधिनियम की धारा ८८ के अधीन आय-कर से मुक्त है।

भारणीय लाभ की गणना करने से पूर्व उस में से निर्यात लाभों और निर्यात के लिए निर्माता की बिक्री के सम्बंध में दिए जाने वाली छूट के फलस्वरूप बनी हुई कर की राशि घटा दी जाएगी। मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा हूँ कि लाभांश, स्वामिस्व, विदेशी ऋण पर व्यक्ति और तक्नीकी सेवाओं के लिए विदेशियों की दी जाने वाली शुल्क को भी अधिलाभ कर से मुक्त कर दिया जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि उन अपेक्षाकृत छोटे समवायों पर जिनकी पूंजी या रक्षित निधि अधिक नहीं है ५०,००० रुपए की न्यूनतम कमी करके चाहेयह राशि पूँजी और रक्षित निधियों के जोड़ के ६ प्रतिशत से अधिक है राहत दी जाए। अन्त में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विकास कटौती रक्षित निधियों का ही भाग होगी जिस को पूंजी में जोड़ दिया जाएगा।

विभिन्न परिवर्तन जिन पर मैं ने उल्लेख किया है वे सम्बन्धित विधेयकों के सँशोधन के रूप में सभा के सामने लाए जाएंगे। कुछ छोटी और प्रक्रिया सम्बंधी बातें भी शामिल की जाएँगी। मिट्टी के तेल सम्बंधी रियायतों को शीघ्र लागू करने के लिए भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में आज अधिसूचना निकाली जा रही है।

मिट्टी के तेल पर रियायत के फलस्वरूप आय में ११ करोड़ रुपए की कमी होगी, ७ करोड़ रुपए की सीमा शुल्क की आय में और ४ करोड़ रुपए की केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में। मैंने पहले अधिलाभ कर से २५ करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया था। इसके विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं। इस प्रकार के कर से आय का सही अनुमान लगाना कठिन है। मैंने ही पिछले मास कहा था कि आय ३० या ३५ करोड़ रुपए भी हो सकती है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर मेरे अब के अनुमान में अधिलाभ कर से २० करोड़ रुपए की शुद्ध आय होगी। पहले अनुमान से ५ करोड़ रुपए की कमी होगी। उत्पादन राजस्व के राज्यों के भाग में ८० लाख रुपए की कमी होने पर इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बजट में व्यवस्था किए गए राजस्व की कमी ६६ लाख रुपए से बढ़ कर १५.९७ करोड़ रुपये हो जाएगी।

इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि अनिवार्य बचत योजना से कितनी रकम इक्ट्ठी होगी। मैंने पहले बताया था कि कुल ६५ से ७० करोड़ रुपए एकत्रित होंगे। इन में से ४० करोड़ रुपए इस पूर्ण विचार के आधार पर केन्द्र को मिलने का अनुमान था कि भूमि कर और सम्पति कर देने वाले व्यक्तियों से बचत केन्द्र और राज्यों में बराबर बांटी जाएगी और शेष बचत सभी केन्द्र सरकार को मिलेगी। बचत को बांटने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए इस बात का निर्णय कर लिया गया है कि भू राजस्व देने वालों से जो धन एकत्रित होगा वह पूर्णतया राज्य सरकारों को मिलेगा जब कि अन्य सभी वर्गों से बचत केन्द्रीय सरकार को मिलेगी। अनिवार्य बचत योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल बचत ६० करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं होगी जिन में से राज्यों को ३५ करोड़ रुपये और केन्द्र को २५ करोड़ रुपए मिलने की आशा है। राजस्व में १५.२० करोड़ रुपए में वृद्धि और अनिवार्य बचत से केन्द्रीय सरकार को १५ करोड़ रुपए की कमी को ध्यान में रखते हुए कुल बजट में घाटा १५१ करोड़ रुपए से बढ़ कर १८१ करोड़ रुपए हो जाएगा। मुझे फिर भी आशा है कि अपने सँसाधनों कोजुटाने में सुधार की और कोशिशों द्वारा तथा खर्च में कमी करने के कारण इतने बड़े घाटे में कुछ कमी होगी।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : हुक्का तम्बाकू के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** उस की स्थिति वही है जैसी की अब है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम वित्त मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ करते हैं। यदि इस चर्चा के लिए ६ घण्टे चाहिएं तो क्या हम आज आधा घण्टा और बैठ सकते हैं। देर तक बैठना ही उचित है ताकि ६ घण्टे तक हो सके। श्री प्रभात कार।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं कल बोलूंगा।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस की प्रतियां सदस्यों को बांटने के लिए उपलब्ध होंगी। क्या कोई सदस्य आज बोलना चाहते हैं ?

श्री अचल सिंह उठे

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा उठी

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : श्री अचल सिंह :

*श्री अचल सिंह (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिमांड्स वह चीज है जिससे कि तमाम केन्द्रीय सरकार का कारोबार व प्रशासन चलता है। जितनी भी सरकार को इनकम होती है, वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा होती है और जो खर्चा होता है, वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही दिया जाती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

किसी भी वैलफेयर स्टेट को चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता निर्विवाद है। फाइनेंसिस उसके लिए बहुत आवश्यक हैं। फाइनेंसिस की वसूली जिन तरीकों से होती है, वे हैं कस्टम्स, एक्साइज, टैक्सिस।

किसी फाइनंस के विभाग को चलाने के वास्ते खर्च की आवश्यकता होती है। सफल स्टेट वही समझी जाती है जो आसानी से जनता से रुपया वसूल करे और उसको ठीक तरह से खर्च करे।

हम यह देखते हैं कि करीब १७०० या १८०० करोड़ रुपया १९६३–६४ में खर्च किये जाने को है और करीब २६० करोड़ रुपये की कमी है उसको वित्त मंत्री जी टैक्सों के जरिये पूरी कर रहे हैं। तो देखना यह है कि जो रुपया हम वसूल करें उसको इस तरीके से खर्च करें जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अक्सर यह शिकायत होती है कि जनता के रुपए का ठीक उपयोग नहीं होता। हम गरीब और अमीर सबसे टैक्स लेते हैं और यह उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा होता है। अगर इस रुपये का ठीक उपयोग हो, इकानामिकल उपयोग हो तो उससे जनता को संतोष होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ विभागों में जनता के रुपए का किस प्रकार दुरुपयोग होता है, और इस कारण जनता की यह शिकायत होती है कि हमारी गाढ़ी कमाई का रुपया ठीक तरह से खर्च नहीं किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जो रुपया जनता से करों के रुप में वसूल करते हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि जनता को संतोष और तसल्ली हो।

वित्त मंत्री महोदय ने जो २६० करोड़ रुपये के नये कर लगाये है वे इसलिए आवश्यक हो गये क्योंकि चीन ने भारतवर्ष के साथ विश्वासघात करके एक बड़ा हमला किया और उस संकट का मुकाबला करने और देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे डिफेंस का खर्चा पहले कि अपेक्षा अब करीब तीन गुना अधिक बढ़ गया है। पहले जहां डिफैंस पर ३०० करोड़ रुपये के लगभग खर्च होता था वहां अब डिफैंस पर करीब ८७५ करोड़ रुपया खर्च होगा। यही कारण है कि सरकार को जनता पर अधिक टैक्स लगाने पड़े। जनता को इस बात की शिकायत नहीं है कि क्यों टैक्स लगाये गये क्योंकि वह यह जानती है कि यह जो नये अतिरिक्त टैक्स लगाये जा रहे हैं यह देश की सुरक्षा की खातिर और मातृ-भूमि की रक्षा के ख्याल से लगाये गये हैं लेकिन सरकार से इतनी अवश्य अपेक्षा रखती है कि जो पैसा हम से वसूल किया जाय उसको एकोनामिकली और बहुत ही मुनासिब तरीके से खर्च किया जाय अर्थात् पैसे का अपव्यय न होने पाये। इसलिए मैं इस ओर वित्त मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वैसे उन्होंने स्वयं भी कहा है कि वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में खर्चा कम किया जाय और एकोनामी बर्ती जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो मेरा विश्वास है कि जो हमारा डेफिसिट बजट है वह सरप्लस हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुत सारा रुपया इनकम टैक्स का व उत्पादन शुल्क का बकाया है जिसका वसूल होना परम आवश्यक है। इस प्रकार का करीब १५० करोड़ रुपया बाकी है और इसके अलावा और भी कई मदों में है जो कि मिल सकता है। इस बकाया रुपये को वसूल करने के लिए सक्रिय और कारगर कदम उठाये जाने चाहिएं। इस के अलावा मैं यह भी कहूंगा कि जो हमारे सैंट्रल गवर्नमट के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि रेलवेज, पोस्ट आफिसेज़, या जो और पबलिक सैक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जितनी आमदनी होनी चाहिये उतनी आमदनी हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि हमारे यहां रेलवेज़ में कोई १६०० करोड़ रुपया लगा हुआ है लेकिन उस कमर्शियल इंटरप्राइज से हमें डिवीडेंड के रूप में इस वर्ष केवल ८ करोड़ रुपया मिला है। मैं आप का ध्यान उस जमाने की ओर दिलाना चाहता हूं जब कि यहां पर अंग्रेजों का राज्य था और उन्होंने तमाम रेलवेज़ का ठेका कम्पनियों को दिया हुआ था। यह २५ वर्ष का ठेका होता था। उसमें कम्पनी जमीन खरीदती थी, लाइन लगाती थी, स्टेशंस बनाती थी, इंजन, डिब्बे और मालगाड़ी सब की व्यवस्था करती थी और वह रेलवेज़ का सारा काम इस कदर एकोनामिकली करती थी और इतना फायदा करती थी कि २५ वर्ष के बाद वह सारा रेलवेज का काम गवर्नमट को दे देती थी और काफी मुनाफा भी कमा लेती थी। लेकिन उसके विपरीत आजकल हम देखते हैं कि १६०० करोड़ रुपया हमारा रेलवेज़ में लगा हुआ है जिस से सरकार को केवल ८ करोड़ रुपया मिलता है जबकि हमें कम से कम १०० करोड़ रुपया मिलना चाहिए था। इस के अलावा पबलिक सेक्टर इंडस्ट्री में करीब १२०० करोड़ रुपया लगा हुआ है, रिटर्न उस का हम को ना के बराबर मिलता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि हमको बिजनैस लाइक वे में काम करना चाहिये क्योंकि आजकल पबलिक सैक्टर में बहुत खर्चा होता है उस से जनता को काफी दुःख होता है। एक प्राइवेट कंसर्न इनकम टैक्स देती है, सुपर टैक्स देती है और डिवीडेंड देती है, उस पर भी उस को फायदा होता है लेकिन इसके विपरीत हमारी गवर्नमेंट कंसर्नस ज्यादा डिवीडैंड नहीं दे पाती है। पबलिक सैक्टर में बहुत से हमारे जो कारखाने चल रहे हैं उन में अभी तक नुकसान जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि हमको अपनी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े प्रोजैक्ट्स को इस तरीके से आर्गेनाइज करना चाहिये जिससे कि हमको ज्यादा बचत हो। हम ने बड़े इस्पात के कारखाने व बहुत से डैम्स और बहुत से हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर हाउस आदि बनाये हैं, उदाहरण के लिए हम ने डी० वी० सी० प्रोजैक्ट, हीराकुड और भाखड़ा डैम बनाये हैं और उनमें हमने काफी रुपया लगाया है लेकिन उनसे उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना कि व्यापारिक ढंग से मिलना चाहिये। अगर हमारे यहां ठीक इंतजाम हो, ठीक देखभाल हो, तो कोई बजह नहीं है कि उनसे हमें ज्यादा फायदा न हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्राइवेट प्रोजैक्टस व कंसर्नस होते हैं वे काफी फायदा करती हैं जबकि पबलिक प्रोजैक्ट्स में उतना फायदा नहीं होता। हमारे ओवर हैड चार्जेज काफी हो जाते हैं और चूंकि ठीक से निगरानी नहीं होती है इसलिए उसमें काफी लूपहोल्स रह जाते हैं। जनता के सुख व समृद्धि के लिए हमको एकानामी बर्तनी चाहिये ताकि हम काफी बचत कर के यह साबित कर सकें कि हमारे पबलिक प्रोजैक्ट्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक कारगार होते हैं। मैं आशा करता हुं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे ताकि यह देश उन्नति कर सके और जनता सुखी व समृद्ध हो सके।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : कुछ लोगों ने नये करों की आलोचना की है कि इस से भार बढ़ जाएगा। इस समय देश जिस स्थिति में है उस में बड़ी कुर्बानी की आवश्यकता है। युद्ध कुर्बानी से ही जीता जाएगा।

स्वतंत्र पार्टी के नेता ने स्वर्ण नियंत्रण नियमों की आलोचना की है। सरकार स्वर्णकारों की बेरोजगारी दूर करने के लिये कदम उठा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा]

स्वतंत्र पार्टी के उपनेता ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी आलोचना की है। ग्रामों में जा कर देखने से पता चलेगा कि किस तरह से ग्रामों की हालत बदल रही है। ग्रामीण लोगों में आत्म-निर्भरता की भावना आ गई है।

नदी जल विवाद को शांतिपूर्ण हल करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भी प्रगति हो रही है। योजनाओं के आरम्भ होने से उपरान्त काफी अच्छे निष्कर्ष निकले हैं। सिंचाई क्षमता बढ़ गई है। किसानों को अच्छे बीज दे दिये गये हैं।

खेती के मामले में उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ही भूमि के टुकड़े परस भी खेती बढ़ाने के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये। अच्छे बीज, अच्छे औजार इत्यादि का एक ही साथ प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से उत्पादन बढ़गा।

बच्चों की शिक्षा ऐसी कर देनी चाहिये कि प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने के वातारवण में भी वे प्रगति करें। पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहियें कि लोगों के दिल में देश प्रेम बढ़े।

स्त्रियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती संख्या ३ से ६ प्रस्तुत समझे जायं।

वित्त मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२४	३	श्री हरि विष्णु कामत	(१) बैंक आफ चाइना का बन्द किया जाना। (२) असैनिक अनियोजित व्यय में बचत करने के लिए कड़े कदमों की आवश्यकता।	१०० रु०
२७	४	श्री हरि विष्णु कामत	आय कर की बकाया राशियों को प्राप्त करने के प्रभावशाली कदम उठाने में असफलता।	१०० रु०
२९	५	श्री हरि विष्णु कामत	नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों, कामों और शक्तियों के बारे में विधेयक लाने में असफलता।	१०० रु०
३८	६	श्री हरि विष्णु कामत	राज्यों द्वारा सहायक अनुदानों के प्रयोग का ढंग।	१०० रु०

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत है।

†**श्री प्रभात कार** : जब इस समय लोगों को यह बतलाया गया है कि उन्हें कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी तो यह देखना आवश्यक है कि क्या वित्त मंत्रालय अपने काम को उसी ढंग से बना रहा है जिस ढंग से वित्त मंत्री करते हैं कि लोग कुर्बानी करें।

†**श्री बड़े** : ६ बजे से अधिक समय हो गया है। हम ६–३० तक नहीं बैठेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो कल केवल ५१/२ घंटे रह जाएंगे।

†**श्री प्रभात कार** : यह स्वीकार किया गया था कि ६ बजे तक बैठेंगे और कल पांच बजे तक।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज ६–३० बजे तक बैठेंगे नहीं तो कल ५१/२ घंटे का ही समय रहेगा।

†**श्री बड़े** : हम सब इसी बात पर सहमत हुए थे कि ६ बजे तक बैठेंगे।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ६–३० बजे तक बैठेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा ६–३० बजे तक बैठेगी। अन्यथा सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को समय नहीं मिलेगा। मेरे विचार में हमें चर्चा जारी रखनी चाहिए।

†**श्री प्रभातकार** : राजस्व के अनुमान में और जो राजस्व असलीयत में प्राप्त होता है उसमें अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बजट बनाने का गलत ढंग है। यदि ऐसी स्थिति है तो गरीब लोगों को करों से कुछ राहत पहले ही दी जा सकती है। इस संकट काल में राजस्व के अनुमान और व्यय के अनुमान में यथार्थ राजस्व और व्यय में अधिक अन्तर भी होना चाहिए।

करों का काफी बनाया है। कुछ बकाया मिलने की कोई आशा नहीं। इन सब बातों का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय पर है।

करों की वसूली के लिए केन्द्रीय अभिकरण होना चाहिए। राज्यों द्वारा कर वसूल करने की व्यवस्था के कारण ही करों का बकाया इतना एकत्रित हो जाता है। इस संबंध में भी वित्त मंत्रालय को कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को अधिकतर जागरूक रहने के लिए कोशिश करना चाहिये। इस संकट काल में हमें सभी संसाधनों को जुटाना चाहिए। इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।

हम स्वर्ण नियंत्रण आदेश का समर्थन करते हैं। तस्कर व्यापार को खत्म करना चाहिए। परन्तु इस आदेश का कार्यान्वियन बहुत निर्दयता से हो रहा है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री ने बताया कि पता नहीं, कि इस आदेश के कारण कितने स्वर्णकारों ने आत्म हत्याएं कीं। यह भी नहीं पता कि जो आत्म हत्याएं हुई थीं वे इसी कारण हुई थी। समाचारपत्रों में कई समाचार आते हैं कि बेरोजगारी के कारण स्वर्णकारों ने आत्म हत्या कर ली। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो लोग कुर्बानी करने के लिये तैयार भी होंगे।

श्री पी० एन० टैगोर ने प्रमाण के बारे में सुझाव दिया था उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके अन्य कई सुझाव स्वीकार कर लिये जायेंगे।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस में कोई नयी बात नहीं है। पहले से ही इस पर विचार करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : यह प्रस्थापना १९६० में दी गई थी जब कि वित्त मंत्री ने स्वर्ण नियंत्रण के बारे में सोचा नहीं था। उस समय उन्होंने सुझाव दिया था।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने सुझाव दिया था। मैं ने इस सभा में १९५८ में भी कहा था कि मैं इस मामले पर विचार करता रहा हूं।

†**श्री प्रभात कार** : सभा की कार्यवाही में कहा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मंत्रणा समिति ने कहा था जिस के वे सदस्य थे।

†**श्री प्रभात कार** : जब किसी व्यक्ति का सुझाव मान लिया जाता है तो उसे धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिए।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश चोरी छिपे लाये गये सोने को निकलवाना था, परन्तु ऐसा भी हुआ है। स्वर्ण बांडों से भी ऐसा हो सका है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के बहुत मामले हुए है। कई मामलों का मंत्रालय को पता नहीं चला है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा के विनियमों के संबंध में स्थिति के सुधार की कोशिश की जानी चाहिये।

ऋण और अनुदानें जो विदेशों से लिए गए हैं उन का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात पर कि इन का क्यों प्रयोग भी किया जाता और कितने भाग का प्रयोग नहीं किया जाता चर्चा होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखे।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३/२७ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १६ अप्रैल, १९६३

२६ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४३०३—२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८७८	कलकत्ता उपनगरीय गाड़ियों के लिये उपकरण	४३०३–०४
८७९	सफेद बाघ	४३०४–०६
८८०	ग्राम उत्पादन योजना	४३०६–०८
८८१	सहकारी कृषि	४३०८–१०
८८२	बिना लाइसेंस वाले रेडियो	४३११–१२
८८३	एशियाई राजपथ	४३१२–१३
८८४	दुर्गम क्षेत्र समिति	४३१४—१६
८८५	आहारपुष्टि सम्बन्धी शिक्षा	४३१६—१८
८८७	बिहार में लाख का उत्पादन	४३१८–१९
८८८	दिल्ली दुग्ध योजना	४३२०
८८९	भारतीय रेलों का विद्युतीकरण	४३२१–२२
८९१	दूध सुखाने के संयंत्र	४३२२–२३
८९२	बंगलौर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	४३२३–२४
८९३	रासायनिक उर्वरक	४३२४–२५
प्रश्नो के लिखित उत्तर		४३२५–५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९०	हुगली में नौपरिवहन	४३२५–२६
८९४	डेरी विकास योजनायें	४३२६
८९५	रेलवे खनिज साइडिंग का नई दिल्ली यार्ड से स्थानान्तरण	४३२६–२७
८९६	गंगा पर बिजली की रेलगाड़ी का अन्तिम स्टेशन (टर्मिनस)	४३२७
८९७	गैर विभागीय टेलीग्राफिस्ट	४३२७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८९८	विशेष समाचार प्रापक यंत्र	४३२६—२८
१९०४	रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण	४३२८
१९०५	कटक स्टेशन के लेवल क्रासिंग पर नीचे का पुल	४३२८—२९
१९०६	मद्रास में नल कूप	४३२९
१९०७	सहकारी निधि	४३२९
१९०८	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४३३०
१९०९	बिहार में गन्ना अनुसन्धान केन्द्र	४३३०
१९१०	गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन पुरस्कार	४३३०—३१
१९११	उड़ीसा में नल कूपों की खुदाई	४३३१
१९१२	केन्द्रीय सड़क निधि	४३३१—३२
१९१३	उड़ीसा में चावल का उत्पादन	४३३२
१९१४	उड़ीसा में खेती का उत्पादन	४३३२—३३
१९१५	उड़ीसा में डाक तथा तार घर	४३३३
१९१६	हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में बड़ा डाकघर	४३३३—३४
१९१७	किसानों को सहायता	४३३४
१९१८	आन्ध्र प्रदेश में चावल का समाहार	४३३४—३५
१९१९	बायो गैस संयंत्र	४३३५
१९२०	बीकानेर डिवीजन में पटरी का बदला जाना	४३३५—३६
१९२१	जोधपुर डिवीजन के लिये रखे गये डिब्बे	४३३६
१९२२	खतरे की जंजीर	४३३६
१९२३	सहकारी अनाज बैंक	४३३६—३७
१९२४	मद्रास राज्य में मूंगफली के लिये पैकेज प्रोग्राम	४३३७—३८
१९२५	दक्षिण अर्काट तथा त्रिची जिलों में टेलीफोन	४३३८
१९२६	दक्षिण रेलवे की वर्कशापों में चोरियां	४३३८
१९२७	डाक व तार परामर्शदात्री समितियां	४३३८
१९२८	श्रेणी १ के रेल डिब्बे	४३३९
१९२९	मोटर जहाज	४३३९
१९३०	रेल की पटरियों का बदला जाना	४३३९—४०
१९३१	लघु सिंचाई परियोजनायें	४३४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६३२	कीरतपुर साहिब के निकट सतलज पर पुल	४३४०
१६३३	चकबन्दी . .	४३४०
१६३४	पंजाब में डाक सेवायें . .	४३४१
१६३५	दिल्ली दुग्ध योजना के विरुद्ध शिकायतें	४३४१
१६३६	चारा-दाना तैयार करने का कारखाना	४३४१–४२
१६३७	सान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर व्यवस्था .	४३४२
१६३८	रेलवे के वित्त आयुक्त का पद	४३४२–४३
१६३९	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिये ब्रेक ब्लाक	४३४३
१६४०	रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण विद्यालय .	४३४३–४४
१६४१	रेलवे अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण संस्थायें .	४३४४
१६४२	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ . .	४३४४–४५
१६४३	पूर्व रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवा वर्ग के स्थान	४३४५
१६४४	पूर्व रेलवे में कार्यालय अधीक्षक .	४३४५
१६४५	ए० पी० ओ० के स्थान के लिये पदोन्नति	४३४५–४६
१६४६	केरल राज्य के सम्बन्ध में प्रचार सामग्री	४३४६
१६४७	ब्रह्मपुत्र पुल .	४३४६–४७
१६४८	राष्ट्रीय सहकार विकास निगम	४३४७
१६४९	काल कालीघाट धर्मनगर रेलवे लाइन	४३४७
१६५०	नीमाती में वैगन . . .	४३४८
१६५१	भद्रक नगर में राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग रेखण	४३४८
१६५२	उर्वरकों की कमी . .	४३४८–४९
१६५३	लेवल क्रासिंग पर दुर्घटना	४३४९
१६५४	रेल दुर्घटना	४३४९
१६५५	उपभोक्ता स्टोर	४३४९–५०
१६५६	तम्बाकू उत्पादकों को उर्वरकों का आवंटन .	४३५०
१६५७	हिमालय की जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध म गवेषणा .	४३५०–५१
१६५८	सब्जी की मांग .	४३५१
१६५९	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर पुल	४३५१
१६६०	मद्रास में मीन क्षेत्रों का विकास . . .	४३५२

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६६१	डिण्डीगुल में रेलवे डाक सेवा विभाग	४३५२–५३
१६६२	रेलवे डाक सेवा का ई० के० १७ विभाग	४३५३
१६६३	चन्दन के वृक्ष	४३५३
१६६४	ट्राली बसें .	४३५३–५४
१६६५	तीर्थयात्री कर में वृद्धि	४३५४
१६६६	बीज फार्म . . .	४३५४
१६६७	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर इन्द्रावती नदी पर पुल	४३५५
१६६८	रायपुर तक टेलीप्रिंटर लाइन .	४३५५
१६६९	रायपुर के पास मालगाड़ियों की टक्कर .	४३५५
१६७०	कटनी के पास रेल-दुर्घटना	४३५५–५६
१६७१	अण्डों का उत्पादन .	४३५६
१६७२	जुंड कांडला रेलवे लाइन	४३५६
१६७३	राज्य सहकारी बैंक . . .	४३५७
१६७४	भद्राचलम रोड तथा कोलियरी साइडिंग के बीच रेलवे लाइन	४३५८
१६७५	मैसूर राज्य के उर्वरक का वितरण	४३५८
१६७६	गोआ की तार प्रणाली .	४३५८–५९
१६७७	वर्कमैनों तथा लाइन मैनों की भरती	४३५९

सदस्य द्वारा हिरासत के लिये समर्पण . . . ४३५९

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें हैदराबाद के केन्द्रीय कारागार के सुपरिन्टेंडेंट से दिनांक ११ अप्रैल, १९६३ का एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि श्री कोल्ला वेंकय्या ने, जिन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था, ११ अप्रैल, १९६३ को अपने आप को उस जेल के सुपुर्द कर दिया है ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ४३६०

छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदानों की मांगें ४३६०—४४०६

(१) आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) संसद् कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(३) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३/ २७ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि।

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान ।

GIPND—LS III—397(Ai)LS—5-6-63—160.